खण्ड-159, अंक-2
शुक्रवार, 22 आश्विन, शक संवत् 1877
(14 अक्टूबर, 1955 ई0)

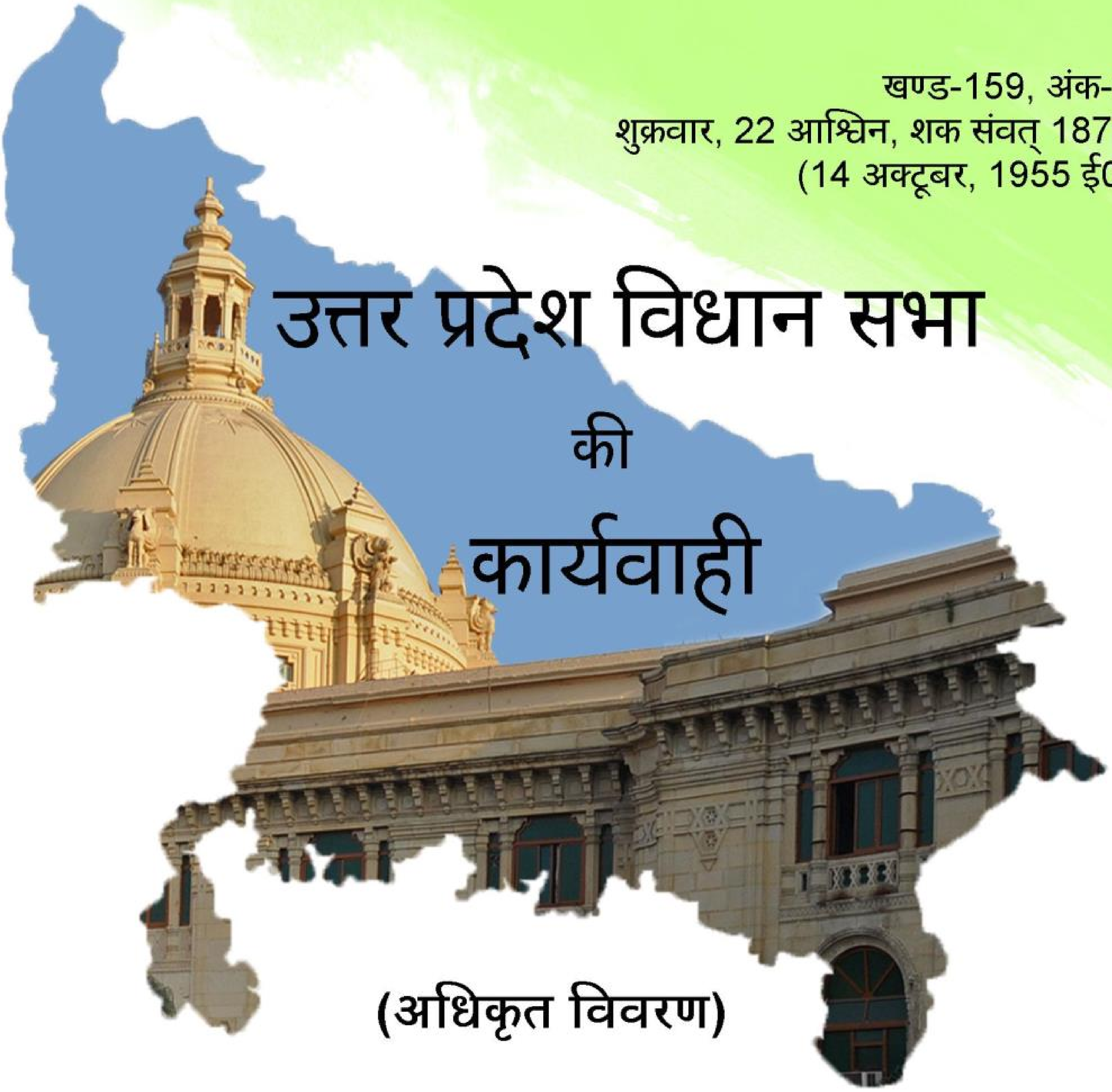

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 159 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १४ अक्तूबर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता श्री बेचनराम गुप्त, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६४)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहगती, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री

बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसेन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर

सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १४ अक्तूबर, १९५५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

नवीन नगरपालिकाओं के स्थापन के लिये मांग

**१—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार पूर्व निश्चय के अनुसार दस हजार से ज्यादा आबादी वाले कस्बे में म्युनिसिपल बोर्ड बनाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—ऐसा कोई निश्चित प्रस्ताव या निर्णय सरकार के सामने नहीं है।

**२—श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार के सामने प्रश्न है कि इन कस्बों को डेवलप करने के लिये जब तक म्युनिसिपल बोर्ड न बनाये जायं इन्हें सरकार वही सुविधायें दे जो बोर्ड को देती है? यदि हां, तो यह सुविधा कब से लागू की जायेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नगरपालिकाओं को कर लगाने के जो अधिकार नगरपालिका अधिनियम की धारा १२८(१) में प्राप्त हैं वे सब टाउन एरिया कमेटियों को भी १९५३ में दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त और कोई सुविधा देने का अन्य प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नये म्युनिसिपल बोर्डों का निर्माण किस आधार पर होता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस बात को देखकर कि वहां आबादी कैसी है और वहां के लोगों की जनरल तरक्की कैसी है।

श्री नत्थूसिंह---क्या सरकार नये म्युनिसिपल बोर्ड बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखती है कि उसकी आबादी १० हजार से ज्यादा हो और उसकी आमदनी १ लाख के लगभग हो ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, इस बात का ध्यान रखा जाता है लेकिन कोई एक चीज काम नहीं कर सकती। ऐसी भी जगहें हैं कि जिनकी आबादी १०,००० से ज्यादा है लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड वहां नहीं है इसलिये कि वहां के लोग उसको पसन्द नहीं करते। लेकिन विचार इस बात का जनरली रखा जाता है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड बनाने के लिये आबादी के अलावा किन-किन और बातों पर विचार किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोकल बाडीज ऐक्ट के अनुसार जहां दो हजार की आबादी है वहां टाउन एरिया, ५,००० की आबादी पर नोटीफाइड एरिया और १०,००० की आबादी पर म्युनिसिपल बोर्ड कायम करने की बात है उस पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---जवाब दिया जा चुका है।

तारांकित प्रश्न

डी० ए० वी० हायर सेकेण्डरी स्कूल, आजमगढ़ में हाई स्कूल परीक्षा के समय विघ्न

*१---श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ में मार्च, सन् १९५५ में होने वाली हाई स्कूल की परीक्षा के एक केंद्र में कुछ बदमाश एक दिन जबरदस्ती घुस गये और उन्होंने परीक्षार्थियों को नकल करने में सहायता दी ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)---जी नहीं।

*२---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---यदि हां, तो क्या उस दिन की नकल किये हुये ही उत्तर परीक्षा में स्वीकार कर लिये गये ?

डाक्टर सीताराम---प्रश्न नहीं उठता।

*३---श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम---प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी---क्या यह सत्य है कि २४ मार्च, १९५५ को कुछ बाहरी लोग और विद्यार्थी आजमगढ़ जिले के हाई स्कूल के एक परीक्षा केंद्र में जबरदस्ती घुस आये थे ?

डाक्टर सीताराम---यह तो उत्तर में बतला दिया गया है। बात यह नहीं है। २४ मार्च, १९५५ को जो घटना घटित हुई उसमें कुछ विद्यार्थी स्कूल के कम्पाउन्ड में जरूर गये थे।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी---क्या यह सत्य है कि आजमगढ़ जिले के डी० ए० वी० हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र में इंग्लिश के थर्ड पेपर में विद्यार्थियों को कुछ लोगों ने नकल कराने में सहायता की ?

डाक्टर सीताराम---नहीं की।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि आजमगढ़ के इस परीक्षा केंद्र से, जिसका संबंध प्रश्न १ से है, कोई शिकायत आयी है माननीय मंत्री जी के पास, विद्यार्थियों को नकल कराने के सिलसिले में ?

डाक्टर सीताराम---विद्यार्थियों ने तो नकल की ही नहीं, लेकिन एक शिकायत आई थी और उसका समाधान इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स ने अच्छी तरह से कर दिया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री जी उस समाधान पर प्रकाश डालेंगे जो उस इन्स्पेक्टर द्वारा दिया गया बताया जाता है ?

डाक्टर सीताराम---इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स ने इसका समाधान कर दिया है। करीब ३८ विद्यार्थियों ने कम्पाउन्ड में जाने का प्रयत्न किया। प्रयत्न करने के पश्चात् इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स वहां पर गये। फिर बाद में उस स्कूल के प्रधान आचार्य ने मिलकर उनको वहां से हटा दिया। इसके पश्चात् ३८ विद्यार्थी बाहर चले गये। ८ आदमियों ने फिर वहां पर भ्रमण करना शुरू किया फिर पुलिस ने आकर उनको बाहर कर दिया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आठ लोग स्कूल के कम्पाउन्ड के अन्दर घुस आये थे उनके खिलाफ स्कूल की ओर से ट्रेसपास की कोई कार्यवाही किसी अदालत में करने की कोई योजना बनी या नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---पुलिस ने उनको पकड़ा और पुलिस ने उनको बाहर कर दिया। तो यह उस धारा के अन्दर आती है या नहीं, इस पर हम यहां कोई विचार अपना नहीं दे सकते।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के बुलाने पर वह गिरफ्तारी की थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने पुलिस को बुलाया था।

१९५३ के बोनस की घोषणा न करने वाली कानपुर की सूती मिलें

*४---श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में कितनी सूती मिलें हैं, जिन्होंने १९५३ के बोनस का एलान नहीं किया है और वे कौन मिलें हैं ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---कानपुर की ५ सूती मिलों ने सन् १९५३ के बोनस का एलान नहीं किया है उनके नाम ये हैं :-

(१) जे० के० काटन मैनुफैक्चर्स लिमिटेड,
(२) स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड,
(३) म्योर मिल्स कम्पनी लिमिटेड,
(४) न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड, तथा
(५) एथरटन वैस्ट एन्ड कम्पनी लिमिटेड।

*५—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन मिलों ने उपर्युक्त बोनस की घोषणा नहीं की है उनके मामले औद्योगिक अदालत को भेज दिये गये हैं? यदि हां, तो कब और उसका परिणाम क्या हुआ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, इन ५ मिलों का मामला २१ मार्च, १९५५ ई० को औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिया गया है, और निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय श्रम मंत्री बतलायेंगे कि इन ५ सूती मिलों में कितनी मिलें रेशनलाइजेशन स्कीम के मातहत चल रही हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—यह बोनस के सम्बन्ध में था। इसकी तो मुझे सूचना नहीं है कि कितनी मिलों में यह चल रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय श्रम मंत्री कानपुर की सूती मिलों के बोनस के झगड़े के तय करने के सम्बन्ध में कोई समिति इस प्रकार की बनाने की कृपा करेंगे जैसी उन्होंने चीनी मिलों के सम्बन्ध में बनायी है?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐसा कोई प्रश्न हमारे सामने नहीं है। अभी तो औद्योगिक अधिकार के मामले ही कमेटी के सामने हैं। अभी कोई निश्चय नहीं हुआ है। हां, अगर कोई मांग हुई तो उस पर विचार किया जायगा।

जौनपुर जिले में डिप्रेस्ड क्लास लाइब्रेरी और नाइट स्कूल, लाइन बाज़ार के खिलाफ़ शिकायत

*६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में डिप्रेस्ड क्लास लाइब्रेरी और नाइट स्कूल, लाइन बाजार के सम्बन्ध में क्या शिकायत प्राप्त हुई थी तथा वह कब प्राप्त हुई और सरकार ने ग्रान्ट बन्द करने का आदेश कब दिया?

डाक्टर सीताराम—मामले से सम्बन्धित सभी कागजात अपराध अनुसंधान विभाग (C. I. D.) को सौंप दिये गये हैं और जांच की जा रही है। इसलिये इस विषय में इस समय कुछ भी नहीं बतलाया जा सकता।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शिकायत की दरख्वास्त और शिक्षा मंत्री का ग्रान्ट बन्द करने का आदेश भी सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दिये गये हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं। यह तो शायद नहीं किया गया होगा। प्रश्नकर्ता महोदय को मालूम ही है कि ग्रान्ट उसकी बन्द है और शिक्षा मंत्री द्वारा [illegible] की गई है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—दरख्वास्त कब दी गई और ग्रान्ट कब बन्द की गई, इन प्रश्न का उत्तर देने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री हरगोविन्द सिंह—दरख्वास्त सी० आई० डी० के पास भेज दी गई है। इसलिये उसकी तारीख नहीं बताई जा सकती।

जौनपुर जिले में राजनीतिक पीड़ित छात्रों को छात्रवृत्ति

*७—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के किन-किन स्कूल के राजनीतिक पीड़ित छात्रों को १९५४-५५ में छात्रवृत्ति दी गई?

डाक्टर सीताराम--जौनपुर जिले के जिन स्कूलों के राजनीतिक पीड़ित छात्रों को सन् १९५४-५५ में छात्रवृत्ति दी गई थी उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४१ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--कुल कितनी दरख्वास्तें राजनीतिक पीड़ित छात्रवृत्तियों के लिये सरकार को मिली थीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसे आंकड़े इकट्ठे नहीं किये जाते हैं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--ये वृत्तियां पोलीटिकल सफरर्स को ही दी जाती हैं या स्कूल वाइज दी जाती हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--पोलीटिकल सफरर्स को ही दी जाती हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--छात्रवृत्ति देने में क्या छात्रों की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है या जितने छात्र होते हैं सबको दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मैरिट पर दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--१९५४-५५ में कितने राजनीतिक पीड़ितों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं और कितने रुपये मासिक ?

श्री अध्यक्ष--उत्तर में इसका टोटल नम्बर आप बतला सकते हैं।

डाक्टर सीताराम--जौनपुर में २० लोगों को दिया गया है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जैसे मैरिट स्कालरशिप दी जाती है क्या उसी तरह राजनीतिक पीड़ित छात्रवृत्तियों के लिये भी उसी आधार पर मैरिट का ख्याल किया जाता है या मैरिट का कोई और अर्थ है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--राजनीतिक-पीड़ितों में जो लड़के मैरीटोरियस होते हैं पहले उनको दी जाती है और इस बात की कोशिश की जाती है कि हर छात्र को जहां तक सम्भव हो मिल जाय।

गाजियाबाद में लोहे की मिलों में तालाबन्दी

*८--**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजियाबाद के लोहे की मिलों में जुलाई, सन् १९५५ में कोई हड़ताल रही ? यदि हां, तो कितने दिन तक यह हड़ताल जारी रही ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं।

*९--**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या सरकार इस हड़ताल के मुख्य-मुख्य कारण बताने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि जुलाई मास में लोहे के कारखाने में गाजियाबाद में काम बन्द रहा था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री रामचन्द्र विकल--जो काम लोहे के कारखानों में बन्द रहा उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कब कबूल किया है कि बन्द रहा ? इसलिये यह सवाल नहीं उठता है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या इन मिलों को मिलमालिकों ने स्वयं ही बन्द कर दिया था ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता है। उनका उत्तर था "जी नहीं"।

श्री रामचन्द्र विकल—यह जांच उन्होंने किस सरकारी कर्मचारी द्वारा कराई ?

आचार्य जुगलकिशोर—वहां के रीजनल रिकंसीलियेशन आफीसर ने की थी।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जुलाई में मिल-मालिकों ने १५ दिन के लिये तमाम कारखानों में लाकआउट रखा था ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, कुछ दिनों के लिये लाक-आउट हो गया था।

श्री तेजासिंह—लाकआउट का क्या कारण था और वह कैसे खत्म हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर—मिल-मालिकों को यह ख्याल हुआ था कि वहां गोस्लो होगा और उनको यह भी खतरा था कि उनके कारखानों में कुछ बरबादी भी कर दी जायगी। इस भय से उन्होंने बन्द किया। फिर रीजनल रिकंसीलियेशन आफीसर के जरिये समझौता हुआ और वे मिलें दोबारा खुलीं।

श्री रामचन्द्र विकल—मजदूरों के इतने दिनों के वेतन के लिये क्या किया जा रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—लेबर डिस्प्यूट की शक्ल में यह सवाल रीजनल कमिश्नर के यहां या अदालत के सामने जा सकता है। हमारे सामने इस प्रकार का कोई सवाल नहीं है और मांग है।

श्री तेजासिंह—क्या झगड़ा तमाम मिलों में हुआ या किसी एक मिल में हुआ ?

श्री अध्यक्ष—अब मैं इससे आगे आपको नहीं बढ़ने दूंगा। हड़ताल के सवाल में लाकआउट निकल पड़ा और अब उसका ब्योरा अन्य मिलों के बारे में पूछना उचित नहीं है।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यार्थियों की मुआफी फीस की अवधि बढ़ाने की मांग

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के पढ़ने वाले गरीब छात्रों की पूरी फीस मुआफ करने की योजना दिसम्बर, सन् १९५५ से बढ़ाकर नई रबी की फसल तैयार होने तक (अर्थात् मार्च, सन् १९५६ तक) लागू करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

*११—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—यह छूट वास्तव में बहुत ही निर्धन छात्रों को ५ महीने के लिये इस दृष्टि से दी गई है कि वे बाढ़ के बाद की कठिनाइयों और अभावों को पार कर सकें। अतः इसका क्षेत्र स्वभावतः सीमित होना चाहिये तथा केवल उतने ही समय के लिये दिया जाना चाहिये जिसमें वे इस आसन्न कष्ट से छुटकारा पा सकें इसके लिये ५ महीने का समय पर्याप्त समझा गया है। पिछले वर्ष भी छूट पांच महीने के लिए ही दी गई थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर के बाद गरीब छात्रों का अभाव किस प्रकार दूर होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, आशा यही की जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार को मालूम है कि नई फसल मार्च के बाद तैयार होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि फसल कब तैयार होती है।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---क्या माननीय मंत्री जी रबी की फसल की पूर्ण हानि का खयाल करते हुये इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि फीस का समय मार्च तक बढ़ा दिया जाय ?

श्री हरगोविन्दसिंह---अभी तो रबी की फसल आगे होगी तब उस पर विचार किया जायगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी, कल के माननीय माल मंत्री जी के आश्वासन को ध्यान में रख कर कि उन्होंने विचार करने का वायदा किया है यह कृपा कर बतलायेंगे कि क्या इस प्रकार का आश्वासन उनकी तरफ से भी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह तो कभी नहीं कहा गया कि विचार नहीं होगा।

महिला समाज कल्याण तथा महिला मंगल योजनाओं के सामंजस्य पर विचार

*१२---श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार Women Social Welfare Board की योजनान्तर्गत कार्य को और महिला मंगल योजना के कार्य क्षेत्र को एक में मिलाने की योजना पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की नीति के अनुसार कार्य करता है और उत्तर प्रदेश सरकार इसके कार्यक्षेत्र का एकीकरण अपनी योजना के साथ स्वयं नहीं कर सकती। मगर इन दोनों योजनाओं का सामंजस्य किस प्रकार हो, इस पर विचार हो रहा है।

गवर्नमेंट बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल, बिजनौर में इन्टरमीडियेट क्लासेज खोलने की मांग

*१३---श्रीमती चन्द्रवती (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मंत्री आगामी वर्ष बिजनौर के गवर्नमेंट बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल में इन्टरमीडियेट क्लासेज खोलने का विचार रखते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---उचित समय में विचार किया जायगा।

झांसी शहर के नगरा प्रेमनगर में रेलवे मजदूरों के लिए श्रमहितकारी केन्द्र की मांग

*१४---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर के नगरा प्रेमनगर (मढ़िया फाटक) व पुलिया नं० ९ मुहालों में रेलवे मजदूरों व कर्मचारियों की कितनी आबादी है ?

नोट--- तारांकित प्रश्न १२-१३ श्री रतनलाल जैन ने पूछे।

आचार्य जुगलकिशोर—सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु जहां तक मालूम हो सका है इन मुहालों में रेलवे कर्मचारियों की संख्या लगभग २,८०० है।

*१५—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त मुहालों में कोई श्रम हितकारी केन्द्र है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि उक्त मुहल्ले में रेलवे के मजदूर व कर्मचारी रहते हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, रहते हैं।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी उक्त मुहल्ले में श्रम केन्द्र खोलने की कृपा करेंगे?

आचार्य जुगल किशोर—यह रेलवे डिपार्टमेंट के हैं इसलिये वहां श्रम आदि का कार्य रेलवे करती है। हमारी तरफ से वहां के लिये कोई योजना नहीं है।

*१६-१८—**श्री गुरुप्रसादसिंह** (जिला सुल्तानपुर)—[वापस लिये गये।]

रजिस्ट्रार, डिपार्टमेंटल एक्जामिनेशन, इलाहाबाद के दफ्तर में ग़बन

*१९—**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार, डिपार्टमेंटल इक्जामिनेशन्स, इलाहाबाद के दफ्तर सम्बन्धी ४५,००० रु० के गबन का एक मामला सरकार के समक्ष पिछले ६ वर्षों से विचाराधीन है?

श्री हरगोविन्दसिंह—इस दफ्तर में ४३,१८१ रु० के गबन की सूचना सरकार को करीब २ वर्ष पूर्व प्राप्त हुई और तब से जांच और उचित कार्यवाही विचाराधीन है।

देवरिया जिले में हरिजन विभाग द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल एवं पुस्तकालय

*२०—**श्री रामेश्वरलाल** (जिला देवरिया)—क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला में हरिजन विभाग द्वारा सहायता प्राप्त कितने-कितने स्कूल, नाइट स्कूल एवं पुस्तकालय हैं?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना तालिका 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४२ पर)

*२१—**श्री रामेश्वरलाल**—क्या शिक्षा मंत्री इनकी संख्या तहसीलवार बतायेंगे?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना तालिका 'ख' में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४३ पर)

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया तहसील में बालिका रात्रि पाठशाला अथवा पुस्तकालय एक भी नहीं है, इसका क्या कारण है?

डाक्टर सीताराम—इनको खोलने के लिये तरीका यह है कि पहले यह स्कूल मेनेजमेंट की ओर से खोले जाते हैं इसके पश्चात् हरिजन सहायक विभाग के संचालक को मान्यता के लिये प्रार्थना की जाती है। जब उसको मान्यता दे दी जाती है तब वे फण्ड

नोट—तारांकित प्रश्न १९ श्री जोरावर वर्मा ने पूछा।

देना शुरू करते हैं। हो सकता है कि वहां के लोगों ने इस प्रकार के आवेदन-पत्र प्रस्तुत न किये हों।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि हाटा तहसील में १४ रात्रि पाठशालायें, ५ पुस्तकालय और दो दिवस बालिका पाठशालायें खुली हैं जो देवरिया जिले में सब से अधिक वही हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने उत्तर में बतला दिया है, वही उत्तर इस प्रश्न पर लागू हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के लिये रात्रि पाठशालायें, पुस्तकालय और स्कूल जो खोले जाते हैं वे हरिजनों की आबादी के लिहाज से खोले जाते हैं या किसी व्यक्ति विशेष की प्रेरणा से खोले जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उनके उत्तर दे देने के बाद यह बात उठती नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पुस्तकालयों और रात्रि पाठशालाओं के खोलने के आधार क्या हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—आधार उनको शिक्षा देने का है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो पुस्तकालय जिले में काम करते हैं वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह भी दी जाती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां।

श्री रामेश्वरलाल—यदि तनख्वाह कर्मचारियों को दी जाती है तो क्या दी जाती है और किसके द्वारा दी जाती है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जो मैनेजर होते हैं वे उनको रखते हैं और वे ही उनकी तनख्वाह भी निश्चित करते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार इसकी जांच भी कराती है कि इन विद्यालयों में या इन लाइब्रेरियों में जो कर्मचारीगण काम करते हैं उनको समय पर तनख्वाह दी जाती है या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी हां, जांच भी कराती है और जिस समय शिकायत होती है उन पर और भी कार्यवाही की जाती है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या यह सही है कि देवरिया जिले में अधिकतर पुस्तकालयों और रात्रि पाठशालाओं का मैनेजर सिर्फ एक ही व्यक्ति है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—ऐसी तो मुझे सूचना नहीं है, शायद माननीय सदस्य को सूचना हो।

संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षकों का वेतन-क्रम

*२२—**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार का विचार संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षकों का वेतन-क्रम जिलों के शिक्षा निरीक्षकों के समान करने का है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—(क) संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक का केवल एक ही पद है जिसका वेतन-क्रम जिलों के शिक्षा निरीक्षकों के वेतन-क्रम के समान है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि बनारस के अतिरिक्त मेरठ और लखनऊ के जो संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक हैं, उनका पद क्या है और उनका वेतन-क्रम क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--एक जो हैं वह तो उत्तर में बतला दिया गया है कि उनका वेतन-क्रम डी० आई० ओ० एस० का २५०--८५० रु० है और जो दूसरे हैं उनको डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के बराबर वेतन-क्रम २००--४५० रु० है।

राजकीय संस्कृत कालेज के प्रिंसिपल का रिक्त स्थान

*२३--**श्री दीनदयालु शास्त्री**--क्या सरकार बतायेगी कि राजकीय संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल का पद कब से रिक्त है और उसकी पूर्ति कब तक हो जायेगी ?

डाक्टर सीताराम--राजकीय संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल के पद का २३ अक्तूबर, १९५० से स्थानापन्न प्रबन्ध चल रहा है। कालेज को संस्कृत विश्वविद्यालय में परिणत करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, इसलिये प्रिंसिपल के पद पर स्थायी प्रबन्ध स्थगित रखा गया है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की योजना कब से आरम्भ हुई है और कब तक पूर्ण होगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--हम आशा करते हैं कि सदन के सामने इसी सेशन में वह बिल आ जायगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सच है कि पिछले ५ वर्ष से संस्कृत कालेज के प्रिंसिपल का पद अस्थायी है और इस कारण से वहां के प्रबन्ध में त्रुटियां हो रही हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--पद तो अस्थायी है लेकिन प्रश्न का दूसरा अंश गलत है कि इस कारण से त्रुटियां होती हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या वहां प्रिंसिपल का पद अभी तक रिक्त है और उसकी नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है और चूंकि वहां एक वाइस-चांसलर रखा जायगा इसलिए विचार हो रहा है कि वहां एक प्रिंसिपल भी रखा जाय या नहीं।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि संस्कृत पाठशाला के निरीक्षक और जिला निरीक्षक की योग्यता में कोई अन्तर है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--जी हां, अन्तर तो है।

श्री रामस्वरूप गुप्त--क्या अन्तर है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--योग्यता का अन्तर है।

श्री रामस्वरूप गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि योग्यता में या अनुभव में अन्तर किस प्रकार का और कितना है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--एक के लिए संस्कृत जानना आवश्यक है और दूसरे के लिए नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि संस्कृत कालेज की स्थापना पूर्णरूपेण कब तक हो जायगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---जब वह बिल आकर इस सदन से और दूसरे सदन से पास हो जायगा उसके बाद ही उसकी स्थापना सम्भव हो सकेगी।

अलीगढ़ जिले में मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकारी सहायता देने की मांग

*२४---**श्री हरदयालसिंह पिपल** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में ऐसे कितने जूनियर हाई स्कूल व सेकेंडरी हाई स्कूल हैं जिनको मान्यता तो प्राप्त है मगर राजकीय सहायता नहीं दी जाती ?

श्री हरगोविन्दसिंह---हायर सेकेंडरी स्कूल १५, जूनियर हाई स्कूल २३।

*२५---**श्री हरदयालसिंह पिपल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार ऐसी संस्थाओं के नाम बताने की कृपा करेगी ?

*२६---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसी संस्थाओं को कब से मान्यता प्राप्त है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---सूची संलग्न है जिसमें प्रश्न २६ में मांगी गई सूचना भी दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १४४-१४५ पर)

एक्स-क्रिमिनल ट्राइब्स छात्रों को छात्रवृत्तियां

*२७---**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९५४-५५ में कितना रुपया एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स (Ex-criminal Tribes) के छात्रों को छात्रवृत्तियों के रूप में दिया गया ?

डाक्टर सीताराम---४४,१४६ रु० ।

श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् ५४ और ५५ में क्रिमिनल ट्राइब्स के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों में कितना धन स्वीकार किया गया ?

डाक्टर सीताराम---वह तो बता दिया गया है कि ४४,१४६ रुपया ।

श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार क्रिमिनल ट्राइब्स के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों का धन बढ़ाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---वह तो आवश्यकतानुसार दिया ही जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति में कम से कम और अधिक से अधिक कितना धन दिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम---प्राइमरी स्कूलों में डेढ़ रुपए से लेकर बी० ए० में २५-३०-३५ और एम० ए० में ३०-३५-४० तक दिया जाता है।

श्री नारायणदास---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्रिमिनल ट्राइब्ज की बस्तियों के अन्दर रहने वाले लड़कों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गईं और उससे बाहर रहने वालों को कितनी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---ऐसा कोई वर्गीकरण हमारे यहां नहीं होता।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो छात्रवृत्ति दी जाती है उसमें हरिजनों की छात्रवृत्ति भी शामिल है या यह अलग है ?

डाक्टर सीताराम--यह अलग है ।

श्री गंगा प्रसाद--तो हरदोई के छात्रों को यह छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलती ।

श्री अध्यक्ष--हरदोई का प्रश्न नहीं उठता। यह तो सारे प्रान्त का टोटल उन्होंने बतलाया है, किसी जिले का नहीं।

श्री नारायणदास--क्या माननीय मंत्री जी अगले बजट में इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्रिमिनल ट्राइब्स के अतिरिक्त जो और ऐसी जातियां हैं जैसे गूजर और भर वग़ैरा उनके बच्चों के लिये भी कोई विशेष प्रबन्ध हो ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह प्रबन्ध तो होता ही है।

*२८--**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर)--[इस प्रश्न का उत्तर १२ अक्तूबर, १९५५ को प्रश्न ४४ के अन्तर्गत दिया गया ।]

*२९--**श्री जगन्नाथ प्रसाद**--[स्थगित किया गया ।]

गोरखपुर हरिजन कालोनी में दस्तकारी का काम बन्द होना

*३०--**श्री शुकदेव प्रसाद** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर हरिजन कालोनी में जो दस्तकारी का काम वहां के हरिजन करते थे उसे सरकारी तौर पर बन्द कर दिया गया ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*३१--**श्री शुकदेव प्रसाद**--इस प्रकार जितने लोग बेकार हुये हैं उनकी रोजी के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

डाक्टर सीताराम--कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं हुआ अतएव रोजी के लिये सरकार की ओर से व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शुकदेव प्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि हरिजन कालोनी में हरिजनों की दस्तकारी का काम क्यों बन्द किया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसलिये कि जितना उस पर व्यय होता था उससे आमदनी बहुत कम होती थी।

श्री शुकदेव प्रसाद--क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आमदनी की दृष्टि से यह रखा गया था या हरिजनों के भरण-पोषण के लिये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह तो उत्तर में बतलाया जा चुका है कि उसके बन्द करने से हरिजनों पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा।

श्री शुकदेव प्रसाद--क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार से जो आदमी बेकार नहीं हुये तो वह किन कामों पर लगाये गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वह लोग पहले यह काम नहीं करते थे वह रोज की मजदूरी पर रेलवे वग़ैरह में काम करते थे। जो बेकार हुये इसमें उनकी संख्या नहीं के बराबर है।

हरिजन सोशल वर्कर्स को वेतन मिलने में विलम्ब

*३२—श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—क्या यह सही है कि मिर्जापुर में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हरिजन सोशल वर्कर्स को मार्च, सन् १९५५ तक की सैलरी देने का आदेश जिला नियोजन अधिकारी को दिया गया था ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*३३—श्री रामकृष्ण जैसवार—यदि हां, तो क्या सरकार को यह पता है कि उन सोशल वर्कर्स को अब तक सैलरी नहीं प्राप्त हो सकी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*३४—श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या सरकार उन हरिजन सोशल वर्कर्स को उनकी सैलरी अपने आदेशानुसार मार्च, सन् १९५५ तक की शीघ्र ही दिलाने की समुचित व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी उनकी सैलरी मिलने में क्या दिक्कत है इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसलिये कि उन्होंने अपनी अवधि की समाप्ति के बाद कोई डायरी आफिसर के पास नहीं भेजी और इसलिये उन्होंने कोई काम किया है इस बात का कोई प्रमाण नहीं है।

*३५-३७—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—[स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर शुगर मिल की दुर्गन्धि का दूषित प्रभाव दूर करने के लिए आदेश

*३८—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार को पता है कि बुलन्दशहर शुगर मिल की दुर्गन्धि से शहर की जलवायु दिन पर दिन बिगड़ रही है ? यदि हां, तो सरकार शहर को इस दुर्गन्धि से बचाने के किन-किन उपायों पर विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—मिल के गन्दे पानी से शहर के कुछ भाग में दुर्गन्ध अवश्य फैलती है। अतएव गन्दे पानी की उचित व्यवस्था करने के लिये मिल से कहा गया है और वे इसका प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा यह आदेश कब भेजा गया और उस पर जो आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया कि वह काम कर रहे हैं तो उसमें उनकी क्या प्रगति है ?

आचार्य जुगलकिशोर—आदेश उनके पास फरवरी में भेजा गया था और उनका यह उत्तर आया है कि वह इस सीजन के पहले ही इसका प्रबन्ध कर देंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों के गन्दे पानी को निकालने के सम्बन्ध में सरकार ने एक जांच समिति बनायी थी और उस समिति की सिफारिशें सरकार के सामने आ गई हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, एक कमेटी बनाई गई थी और उसकी सिफारिशें भी आ गई हैं और उसके आधार पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे दिये गये हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस समिति की सिफारिशों के मुताबिक सिर्फ बुलन्दशहर शुगर मिल को ही आदेश दिया गया या प्रान्त की सभी शुगर मिलों को आदेश दिये गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—सभी को दिये गये हैं।

हरिजन सहायक विभाग द्वारा नियुक्त प्रचारक

*३९—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन सहायक विभाग की ओर से राज्य में कुल कितने प्रचारक नियुक्त किये गये हैं और उनमें से कितने हरिजन तथा कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

डाक्टर सीताराम—७९। उनमें से ५६ हरिजन और ९ पिछड़ी जाति के थे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सब से अधिक संख्या सोशल वर्कर्स की किस किस जिले में है और सब से कम संख्या सोशल वर्कर्स की किस किस जिले में है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—इसके लिये सूचना चाहिये। इस प्रश्न से तो किसी प्रकार यह उठता नहीं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न वर्तमान काल में है और उत्तर भूतकाल में दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह जब आपने प्रश्न किया और जिस वक्त उत्तर हमारे पास आया उस वक्त में जो संख्या थी वह बतला दी गई। कोई तार हमारे पास नहीं आता कि कहां लोग कितने और एप्वाइंट हुए। इसी वक्त की बाबत आप पूछें तो मैं बतलाने में असमर्थ हूंगा।

श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि ये जो ७९ प्रचारक हैं ये प्रान्त के सभी जिलों में हैं या कुछ ऐसे जिले भी होंगे जहां ये नहीं होंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—प्रान्त के सभी जिलों में हैं।

गोंडा जिले में रात्रि पाठशालायें व हरिजन लाइब्रेरी

*४०—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में कितनी रात्रि पाठशालायें और कितनी हरिजन लाइब्रेरी हैं ?

डाक्टर सीताराम—रात्रि पाठशालायें २, हरिजन लाइब्रेरी १।

श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो दो रात्रि पाठशालायें बतलाई गई हैं वे कहां पर हैं और किस स्थान पर चल रही हैं ?

डाक्टर सीताराम—जूनियर हाई स्कूल, बकरौली और हरिजन हाई स्कूल, गोंडा।

श्री गंगाप्रसाद—ये रात्रि पाठशालाएं टाउन एरिया में चल रही हैं या देहात में ?

श्री हरगोविन्दसिंह—यह तो बतलाना मुश्किल है। माननीय सदस्य स्थानीय आदमी हैं वह ज्यादा जानते होंगे कि टाउन एरिया में हैं या देहात में।

श्री हरदयालसिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी के पास रात्रि पाठशालाओं के सम्बन्ध में ऐसी शिकायतें आई हैं कि वे एक ही स्थान पर एक वर्ष से अधिक चल रही हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—हां, ऐसी कोई शिकायत तो नहीं आई, लेकिन यह रूल अवश्य है कि एक वर्ष के बाद उसका ट्रान्सफर कर दिया जाय।

इंटर कालेज, मौरांवा, जिला उन्नाव के टीचरों के वेतन के सम्बन्ध में कथित शिकायत

*४१—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इंटर कालेज, मौरावां, जिला उन्नाव की कोई प्रबन्ध कमेटी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं। क्योंकि कालेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ट्रस्ट के अन्तर्गत है।

*४२—श्री शिवकुमार शर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास इस आशय की कोई शिकायत उक्त कालेज के सम्बन्ध में आई है कि वहां अध्यापकों को वेतन बहुत देर में मिलता है?

श्री हरगोविन्दसिंह—जी नहीं।

*४३—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[स्थगित किया गया।[

जिल बोर्ड को शिक्षा प्रसार के लिए सहायता

*४४—श्री विश्रामराम (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में जिलेवार १९५४-५५ में कितना रुपया विभिन्न बोर्डों को शिक्षा प्रसार के लिये दिया गया?

श्री हरगोविन्दसिंह—तालिकाएं संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १४६-१४८ पर)

ग़ाज़ियाबाद श्रम हितकारी केन्द्र के कार्यकर्ताओं पर व्यय

*४५—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजियाबाद (मेरठ) श्रम हितकारी केन्द्र के द्वारा क्या-क्या कार्य किये गये हैं और एक वर्ष में कितना धन इस केन्द्र पर व्यय होता है?

आचार्य जुगलकिशोर—राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र गाजियाबाद (मेरठ) के कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इस केन्द्र पर वार्षिक व्यय लगभग १६,००० रु० होता है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १४९ पर)

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री चिकित्सा विभाग पर और शैक्षणिक कार्य पर जो व्यय होता है अलग-अलग बताने की कृपा करेंगे?

आचार्य जुगलकिशोर—इसका विवरण मेरे पास तो इस समय नहीं है। लेकिन कुल खर्चा १६ हजार होता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १६ हजार रुपया जो श्रमहितकारी केन्द्र, गाजियाबाद पर वार्षिक व्यय होता है यह किसी व्यक्ति के द्वारा होता है या कोई समिति बनायी हुई है?

आचार्य जुगलकिशोर—समिति है।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी को इसका ज्ञान है कि उस समिति की मीटिंग पिछले दो सालों में एक भी नहीं हुई, चूंकि कोरम ही कभी पूरा नहीं हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर—इसकी सूचना तो मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १८६ सेर जो दूध बांटा गया वह पाउडर्ड मिल्क था या गाय भैंस का दूध डेरी से लेकर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—"सेर" लिखा हुआ है पहले से ही। तो यह प्रश्न उठता नहीं जब कि इतने सेर लिखा हुआ है।

श्री रामचन्द्र विकल—मैं पूछता हूं कि यह पाउडर्ड मिल्क था या....

श्री अध्यक्ष—पाउडर्ड मिल्क को सेर से नहीं नापते हैं।

हरिजन सहायक समिति, गोरखपुर द्वारा हरिजन छात्रों को वजीफे

*४६—श्री शुकदेवप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२-५३ व १९५३-५४ और १९५४-५५ में कितने वजीफे हरिजन सहायक समिति, गोरखपुर द्वारा हरिजन विद्यार्थियों को दिये गये ?

डाक्टर सीताराम—हरिजन सहायक उप-समिति, गोरखपुर के परामर्श से सन् १९५२-५३, १९५३-५४ और १९५४-५५ में क्रमशः १२६, १५४ और २०१ हरिजन छात्रों को वजीफे दिये गये।

श्री शुकदेवप्रसाद—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितने वजीफे देहाती क्षेत्रों के बालकों को और कितने शहरी क्षेत्रों के बालकों को दिये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—हमारे यहां ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है देहाती और शहरी का।

श्री शुकदेवप्रसाद—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनको जो वजीफे दिये जाते हैं उनका मापदंड क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—उनकी गरीबी।

श्री शुकदेवप्रसाद—यह जानते हुए कि हरिजनों में अधिकांश गरीब हैं और उनकी दरख्वास्तें अधिक आती हैं, उनमें से भी कुछ लोगों को मिलता है और कुछ को नहीं। तो उनको देने का मापदंड क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जिले की कमेटी इसको तय करती है और जिले की कमेटी से आशा यह की जाती है कि वह इसी आधार पर कि जो अधिक गरीब होगा उसको देगी और मेरे ख्याल में माननीय सदस्य भी उसमें मेम्बर होंगे।

जिला परिषदों को अपर प्राइमरी स्कूल खोलने का आदेश

*४७—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन किन जिलों में कितने कितने अपर प्राइमरी स्कूल प्रदेशीय सरकार के व्यय से सन् १९५५ में खोलने का आदेश जिला परिषदों को दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी छ आगे पृष्ठ १५० पर)

*४८—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन अपर प्राइमरी स्कूलों को खोलने में प्रदेशीय सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—अनावर्त्तक ५०,००० रु०, आवर्त्तक २,०२,५०० रुपया व्यय होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पांच सौ प्राइमरी स्कूल जो १७ जिलों में खोले गये हैं वह किस आधार पर खोले गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—१७ जिलों में खोले गये हैं और यह समझना ही चाहिए कि वहां आवश्यकता के अनुसार खोले गये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन १७ जिलों के अलावा और जिलों से भी मांग आयी थी प्राइमरी स्कूल खोलने की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—हां, मांग तो आती रहती है ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि देवरिया और बस्ती में सब से कम स्कूल खोलने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह आप लिस्ट देख कर पूछ रहे हैं ? उत्तर में बस्ती में ४० बताये हैं और देवरिया में ९ हैं ।

श्री रामेश्वरलाल—देवरिया में सबसे कम स्कूल खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—उतने की आवश्यकता प्रतीत हुई, इसलिए उतने खोल दिये गये ।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी बहुत कृपा कर बतलायेंगे कि देवरिया जिले से कितने स्कूल खोलने की मांग आई थी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—आयी होगी। यह तो इस वक्त नहीं बताया जा सकता ।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिन जिलों में स्कूल खोले गये हैं उनमें जालौन जिला भी आता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—वह तो सूची में आप देख सकते हैं । जालौन शायद नहीं है ।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह राजकीय अपर प्राइमरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को क्यों नहीं दिये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ही दिये गये हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह सूची पढ़ने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—आगरा २७, मैनपुरी २३, बरेली ३५, मुरादाबाद २३, शाहजहांपुर २४, फर्रुखाबाद २०, कानपुर ३१, इलाहाबाद २७, बस्ती ४०, देवरिया ९, अल्मोड़ा ९, पौड़ी-गढ़वाल ५२, खेरी ३६, हरदोई ४३, गोंडा ५१, भदोही ४९, मिर्जापुर १—कुल ५०० ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि देवरिया में १०० स्कूल का ऐलान करके केवल ९ स्कूल ही खोले गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—मैंने तो ऐसा ऐलान नहीं किया था कि वहां पर इतने खोले जायंगे ।

श्री ब्रजविहारी मिश्र---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कोई स्कूल क्यों नहीं खोला गया ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि १७ जिलों में खोले गये हैं और ५१ जिले हैं। तो ३४ जिलों के एक के बाद एक प्रश्न अगर इसी तरह से पूछे जायं, तो मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि शेष जिलों में स्कूल क्यों नहीं खोले गये हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---उसमें बात यह है कि आवश्यकता के अनुसार, इस समय आर्थिक कारणों से यह सम्भव नहीं है कि सब जगह खोल दिए जायं, लिहाजा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसमें ५,००० स्कूल खोलने का प्रबन्ध किया गया है कि एक हजार हर साल खोले जायंगे और आवश्यकतानुसार खोले जायंगे, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ५,००० स्कूलों के खोलने के बाद, जो स्कीम पहले बतलायी गयी थी कि एक मील, डेढ़ मील के अन्दर सभी लोगों को प्राइमरी शिक्षा मिल सकेगी, तो यह सम्भव हो सकेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन स्कूलों के खोलने में जिला बोर्ड और ग्रामीणों ने कुछ मदद दी है सरकार को ?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह तो राजकीय पाठशाला है, जिनका कुल खर्चा गवर्नमेंट ने बरदाश्त किया है ।

प्रशिक्षित अध्यापकों में बेकारी

*४९---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार द्वारा सी० टी०, जे० टी० सी० तथा नार्मल की ट्रेनिंग पाये हुये शिक्षार्थियों को रोजी देने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जे० टी० सी०, नार्मल और सी० टी० की ट्रेनिंग पाये हुये काफी उम्मीदवार गांवों में बेकार बैठे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---यह सम्भव है लेकिन जो आवश्यकतायें होती हैं वे इन्हीं लोगों से पूरी की जाती हैं और जो अगली पंचवर्षीय योजना में इतने स्कूल खोले जायंगे उसमें भी ये लोग आ जायंगे ।

श्री शिवनारायण---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जिन बोर्डों में उम्मीदवारों से काम ले रहे हैं और जो ये इतने टीचर्स बेकार हैं उनको जगह दिलवाने की कोशिश करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---उनसे सिफारिश तो यही की जाती है कि वे ट्रेन्ड लोगों को रखें और अनट्रेन्ड को न रखें । लेकिन आप जानते हैं कि बोर्ड एक स्वतंत्र संस्था है ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि सी० टी०, जे० टी० सी० और नार्मल ट्रेनिंग के लिये उतने ही शिक्षार्थियों को मौका मिलता है जितनों की जरूरत है या उससे अधिक भी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---कोई ऐसा माप दंड तो नहीं है । जो लोग एप्लाई करते हैं उनको उनकी मेरिट के हिसाब से चुनाव द्वारा एडमिशन मिलता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार को विदित है कि जे० टी० सी० , सी० टी० और नार्मल ट्रेनिंग पाये हुये उम्मीदवार गांवों में बैठे हुये हैं और जिला बोर्ड और सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में अनट्रेन्ड टीचर्स रखे जाते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---सरकारी स्कूलों में तो नहीं लेकिन जे० टी० सी० का जो सेलेक्शन होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्वयं अपने उम्मीदवारों को भेजता है । तो उससे कहा जाता है कि वह उतने ही आदमी भेजे ट्रेनिंग के लिये जितने की उसको आवश्यकता हो, लेकिन अगर ज्यादा भी भेजता है तो उनको शामिल कर लिया जाता है । राजकीय पाठशालाओं में अगर ट्रेन्ड आदमी मिलते हैं तो कोई अनट्रेन्ड आदमी नहीं रखा जाता है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं ।

अस्थायी सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स को स्थायी करने की मांग

*५०---**श्री जोरावर वर्मा**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के कितने स्थान हैं ?

डाक्टर सीताराम---३७८ ।

*५१---**श्री जोरावर वर्मा**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन स्थानों पर कितने व्यक्ति अस्थायी तथा कितने स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं और इनमें हरिजनों की क्या संख्या है ?

डाक्टर सीताराम---१२५ अस्थायी रूप से तथा २५३ व्यक्ति स्थायी रूप से । हरिजन विद्यालय प्रति उपनिरीक्षकों की कुल संख्या ३३ है जिनमें ५ अस्थायी तथा २८ स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ।

*५२---**श्री जोरावर वर्मा**---सरकार जो सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर तीन या तीन से अधिक सालों से अस्थायी रूप में कार्य कर रहे हैं उन्हें स्थायी करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सीताराम---अतिरिक्त शिक्षा संचालक ने लोक सेवा परिषद् को इन पदों की पूर्ति के लिये चुनाव करने के लिये लिख दिया है । लोक सेवा परिषद विज्ञापन निकालने वाला है और परिषद् द्वारा चुने हुये व्यक्तियों को स्थायी नियुक्ति दी जायगी ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एस० डी० आईज० की कम से कम क्वालिफिकेशन क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---बी० ए०, एल० टी० ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १ से २५ तक जो अस्थायी हैं तो उन जगहों पर डिपार्टमेंटल लोग काम कर रहे हैं या रेक्रूटमेंट किया गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---ये टेम्पोरेरी लोग काम कर रहे हैं और बी० ए०, एल-टी० सभी हैं ।

हाथरस से नाइयों के खिलाफ मेहतरों का शिकायती पत्र

*५३---**श्री हरदयालसिंह पिपल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस के हरिजनों (मेहतरों) की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र आया है जिसमें नाइयों द्वारा हरिजनों की हजामत न बनाने की शिकायत की गई है ?

नोट---तारांकित प्रश्न ५२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री हरगोविन्दसिंह---जी हां ।

*५४---श्री हरदयालसिंह पिपल---यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---उचित कार्यवाही की गई ।

अतारांकित प्रश्न

१---श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---[स्थगित किया गया ।]

बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में पंचायत-कर की माफी के लिये प्रार्थना

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री से एक निवेदन करना चाहता था और वह निवेदन यह है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पंचायत कर की वसूली हो रही है और सरकार का एक जी० ओ० पहले जा चुका है कि जो लोग पंचायत कर अदा नहीं करेंगे वे चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष---इसके ऊपर मालूम नहीं आपने या किसने शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स किये हैं जो मैंने मंजूर किये हैं कि वे सरकार के पास भेजे जायं । उनके उत्तर आयेंगे आपके पास । तो उस वक्त आप सवाल कर सकेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---उसमें जरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी आ जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---वह दूसरी बात है । लेकिन यह कोई रिक्वेस्ट करने का वक्त तो है नहीं ।

उपस्थित सदस्य द्वारा अपने प्रस्ताव अथवा संशोधन को प्रस्तुत करने का अधिकार दूसरे सदस्य को देने के सम्बन्ध में व्यवस्था की मांग

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहूंगा । वह यह है कि अगर किसी माननीय सदस्य का कोई प्रस्ताव या अमेंडमेंट एजेंडे पर है और वह सदन में मौजूद है तो वह उसे पेश करने का अखतियार किसी दूसरे माननीय सदस्य को दे सकता है, या नहीं । इसलिये मैं इस पर व्यवस्था चाहूंगा कि परसों मैं सदन में मौजूद था और मैंने अपना प्रस्ताव माननीय रामसुन्दर पांडेय को प्रस्तुत करने का अधिकार देना चाहा, लेकिन अधिष्ठाता महोदय ने उसको इंकार कर दिया । अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परिपाटी रही है कि यदि माननीय सदस्य मौजूद हों तो भी वह दूसरे सदस्य को अधिकार दे सकते हैं । इसलिये मैं चाहता हूं कि यह चीज साफ हो जाय तो आइन्दा गड़बड़ी न होगी ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यवस्था एक दफा दी जा चुकी है, उसके संबंध में अगर कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं या मुझ से यह चाहते हैं कि कोई मैं भिन्न निश्चित निर्णय दे दूं तो उस संबंध में मेरे कमरे में आना चाहिये और मुझ से पूछना चाहिये का परामर्श करना चाहिये । उस रोज भी मैंने कहा था कि मेरे कमरे में प्रश्न मेरे सामने रखना चाहिये । एक बात गुजर गई है, उसको एकदम से सदन में उठाकर मेरा निर्णय चाहा जाय, तो मैं अपना निर्णय नहीं दूंगा । वैसे कोई नया प्रश्न उठाया जाय और माननीय सदस्य चाहे तो मैं सदन में भी निर्णय दे सकता हूं या कमरे में दे सकता हूं । आइन्दा ऐसे प्रश्नों को मुझे मेरे कमरे में बतलाया जाय ।

अगले हफ्ते के कार्यक्रम के विषय में पूछताछ

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन का अगले हफ्ते का कार्यक्रम क्या होगा ? यह सरकार बतला दे तो हमें बड़ी सुविधा होगी।

श्री अध्यक्ष--नियम के अनुसार तो सोमवार को सदन का कार्यक्रम बताया जाना चाहिये। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाना चाहते हों और जवाब देने के लिये तैयार हों तो वह आज भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इस बारे में वैसे सोमवार को ही आम तौर से जवाब दिया जाता है।

सदन की अगली बैठकों की पूर्व सूचना देने का सुझाव

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारतीय संसद में इस बात की प्रणाली देखी गई है कि सदस्यों को उस सदन की कार्यवाही खत्म होते ही एप्रोक्जीमेंट तारीख मालूम हो जाती है कि दुबारा वह कब बैठेगा। उसके बैठने की तारीख का निश्चित रूप से या अनुमानतः पता लग जाता है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ऐसा तो यहां भी होता रहा है। आप पूछते हैं तो वह बतला देते हैं, यही होता है और संसद में भी इसी प्रकार होता है।

श्री झारखंडे राय--अध्यक्ष महोदय, हमारा तात्पर्य यह है कि आने वाली बैठक की अनुमानतः तारीख बतला दी जाया करे तो हमें आसानी होगी।

श्री अध्यक्ष--अच्छी बात है, जिसके बारे में आप पूछना चाहें, मेरे पास प्रश्न भेज दें, मैं आपको सरकार से पूछकर बतला दूंगा।

एक दिन की शलाका में आये प्रस्तावों को दूसरे दिन की कार्य सूची में रखने पर आपत्ति

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था और आपने मुझे बुलाया भी था, लेकिन मैं नहीं आ सका। लेकिन चूंकि सदन की जो परम्परा कायम रही है वह बदली जा रही है, इसलिये मैं आपका ध्यान आज के एजेंडे पर आकर्षित करूंगा। एक नोटिस २८ सितम्बर को निकला था कि ३० सितम्बर को शलाका पड़ेगी। लेकिन ३ अक्तूबर को दूसरा नोटिस मिला कि ३० तारीख को मीटिंग नहीं हुई, इसलिये शलाका नहीं हो सकी। इसलिये १७ सितम्बर को रिजोल्यूशन्स आये थे वही मान्यता प्राप्त करेंगे। अभी तक की प्रक्रिया यह रही है कि जो चीज चल रही होती है उसी को असरकारी दिवस ले लिया जाता है। इस संबंध में रूल २०, ७५ और ९२ के अनुसार दूसरा आइटम नहीं आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--अगर आप यहां इसका जवाब चाहते हैं तो इसको पढ़ दें।

श्री जोरावर वर्मा--"Private Members Business Out standing at End of Day—Private Members business set down for the day allotted for that class of business and not disposed of on that day shall not be set down for any subsequent day unless it has gained priority at the ballot held with reference to that day:

Provided that any business which is under discussion at the end of that day shall be set down for the next day alloted to business of that class, and shall have precedence over all other business set down for that day."

इसी तरह से जो रूल ७५ है बैलेट के संबंध में, उसका जो रूल ६ है.....

श्री अध्यक्ष--इसमें ये शब्द हैं "alloted for that class of business and not disposed of on that day." तो जो डिस्पोज आफ नहीं हुआ वह तो खत्म हो जायगा, लेकिन जिस रोज के लिये एलाट हुआ और उस दिन सदन नहीं बैठा तो उसके लिये कोई प्राविजन नहीं है। जब प्राविजन नहीं है तो अगर मैं उसके लिये निर्णय कर दूं कि उसका एलाटमेंट जो है वह दूसरे असरकारी दिन हो जाय तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं हो सकती। अगर यह निर्णय हुआ कि फलां तारीख के लिये लाटरी डाल दी गई और उस रोज सदन बैठा नहीं, छुट्टी रही तो यह हो सकता है कि कोई इस संबंध में नियम न होने के कारण यानी निश्चित नियम न होने के कारण, मैं यह कर सकता हूं कि मैं यह निर्णय कर दूं कि एक दिन चूंकि लाटरी पड़ चुकी है तो जिनके संकल्प लाटरी में आ चुके हैं उनका हक हो चुका और अगर उस दिन छुट्टी हो गई जिस दिन के लिये वे एलाट हुये थे तो उनका हक मारा न जाय और इसलिये मैंने यह निर्णय कर दिया है कि वही संकल्प दूसरे असरकारी दिन के लिये रहें और दूसरी लाटरी न डाली जाय।

श्री जोरावर वर्मा--रूल ६ जो इसमें दिया हुआ है .....

श्री अध्यक्ष--इसीलिये मैंने कहा था कि आप संभव है कोई बारीकी निकालें, तो उस बारीकी पर मैं यहां विचार करने और बहस करने को तैयार नहीं हूं। अगर आप मुझे समझाने की इच्छा रखते हैं किसी निर्णय के बारे में तो आप मेरे कमरे में आयें और वहां मैं निश्चय करूंगा।

श्री रणंजयसिंह (जिला सुल्तानपुर)--मैं यह जानना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष--जब मैं बोल रहा हूं तो आप खड़े होकर कोई अन्य बात जानने की कोशिश न करें।

गाय-भैंस आदि दुधारू पशुओं के निर्यात को रोकने के सम्बन्ध में संकल्प-(क्रमगात)*

श्री अध्यक्ष--श्री बसन्तलाल शर्मा के निम्नलिखित संकल्प पर, जो २३ सितम्बर, १९५५ को उपस्थित किया जा चुका है, विचार जारी होगा।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि आजकल राज्य में शुद्ध घृत तथा दूध एवं कृषि योग्य उत्तम पशुओं की अत्यधिक कमी है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा कृषि को उन्नतिशील बनाने में पर्याप्त बाधा पहुंचती है। अतः यह सदन राज्य सरकार से अनुरोध करता है कि वह शीघ्रातिशीघ्र कोई ऐसा विधेयक सदन में लाये जिसके द्वारा दुधारू पशुओं की नस्ल के रक्षार्थ उत्तर प्रदेश से गाय तथा भैंस और उनके वंशजों का निर्यात अविलम्ब रोका जा सके।"

(श्री रणंजय सिंह से) अब आप पूछें। क्या जानना चाहते हैं?

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--क्षमा चाहता हूं श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि नत्थी "ख" जो है उसमें मेरे नाम के सामने कोई संशोधन लिखा नहीं है, नम्बर ७ के सामने तो इससे कुछ स्पष्ट नहीं होता।

श्री अध्यक्ष--यह मैंने उस रोज अवैधकरार दे दिया था और इसलिये छापा नहीं गया।

श्री रणंजय सिंह--जो दूसरा संकल्प है उसके लिये भी मैंने संशोधन भेजा था, लेकिन कोई संशोधन छपा नहीं है।

श्री अध्यक्ष--उसे तो आप जब दूसरा संकल्प आये उस समय पेश करें। अभी आप अपना भाषण जारी रखिये। आपके ९ मिनट बाकी हैं।

---

*२३ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही से।

श्री रणंजयसिंह—मैं गत असरकारी दिन अपना संशोधन जब यहां रख रहा था तो उस समय मैंने कुछ शाब्दिक संशोधन यहां रखे थे और उनके लिये मैंने पुनः बहुत विचार किया। गीता के वे श्लोक भी पढ़े जिसमें पर्याप्त और अपर्याप्त शब्द पर व्याख्या है और जगद्गुरु आद्य शंकराचार्य जी से लेकर वर्तमान समय के बड़े-बड़े विद्वानों की सम्मति और आचार्य नरदेव शास्त्री आदि से सलाह लेकर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसलिये मेरा संशोधन जो "पर्याप्त" शब्द के लिये इस संकल्प में आया है उसको मान लिया जाय। इसलिये मैं इस पर कुछ अधिक विवाद नहीं करना चाहता। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह मेरा संशोधन है और इससे बहुत स्पष्टीकरण हो जाता है इस पर्याप्त शब्द के विषय में, जो इसका अर्थ आया है उसको भी देखने का कष्ट करें :

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्।
पर्याप्त त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्॥

इस शब्द का जो अर्थ इसमें आया है उससे मैं इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस पर्याप्त शब्द के कारण शब्द बदल देना बहुत आवश्यक है। पर्याप्त शब्द के लिये कोष में जो अर्थ आया है वह "पूर्ण" आया है "समर्थ" आया है "यथेष्ठ" आया है "आवश्यकता के अनुसार" आया है। और भी नाना प्रकार के शब्द आये हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा जैसा कि उस दिन मैंने संकेत में निवेदन किया था कि यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यह चाहता हूं कि यह शब्द जो यहां पर हैं इस पर विचार होना आवश्यक है। महाभाष्य में आया है कि "अर्थ शब्दानुशासनम्" अर्थ के अनुसार शब्द पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। इसलिये इस प्रस्ताव में इस शब्द के महत्व को मानते हुये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे अन्य माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें और शांतिपूर्वक विचार करें कि यह जो निर्यात का प्रश्न है इसके लिये माननीय गेंदा सिंह जी ने उस दिन कहा था कि यदि निर्यात बन्द कर दिया जाय तो फिर पंजाब वाले भी अगर निर्यात बन्द कर देंगे तो हमारे यहां अच्छे पशु नहीं आ सकेंगे, क्योंकि वहां से अच्छे पशु हमारे इस प्रांत में आया करते हैं। इसलिये इस बात की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रांत से निर्यात बन्द किया जाय। यदि अन्य प्रांतों में भी निर्यात बन्द हो गया तो फिर वह ठीक नहीं होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि श्री गेंदा सिंह जी ने जो इस बात को कहा है कि वहां से पशु आते हैं और वहां के पशु हमारे यहां की पशुओं की नस्ल से अच्छे माने जाते हैं, उत्कृष्ट समझे जाते हैं, तो इस वजह से अन्य प्रांतों में पंजाब से पशु आया ही करते हैं, हमारे यहां से पंजाब में पशु नहीं जाते हैं। वह तो बेचने के लिये, बिक्री के लिये पंजाब से बाहर भेजते हैं। पंजाब को इस बात की आवश्यकता नहीं है कि वह हमारे यहां से पशु मंगाये। इसलिये उस दृष्टि से निर्यात बन्द नहीं होगा। किन्तु इस समय जब कि हमारे प्रदेश में गोवध निवारण विधेयक पास हो चुका है और इसको विधान मंडल के दोनों सदनों से पारित कर दिया है तो अब गो रक्षा के विचार से और यहां घी दूध की वृद्धि के लिये निर्यात तब तक के लिये रोकना अवश्य उचित है जब तक कि अन्य प्रांतों में गोवध बन्द नहीं हो जाता। इसलिये यह प्रश्न है और इस पर हमको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। कुछ दिन हुये मा० टंडन जी ने मथुरा में अपने भाषण में कहा था कि कलकत्ता में ही सूर्योदय से पूर्व एक सहस्र गाय मारी जाती हैं। ऐसी दशा में जब कलकत्ता जैसे नगर में इतनी गाय मारी जाती हों जिसको कि एक असाधारण मनुष्य ने कहा है तो ऐसे प्रांत में जब तक गोवध बन्द नहीं हो जाता तब तक के लिये इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि इस प्रांत से निर्यात बिल्कुल बन्द कर दिया जाय। अगर निर्यात बन्द रहता है तो इसमें शक नहीं है कि हमारे प्रदेश में इन उपयोगी दुधारू कृषि योग्य पशुओं की संख्या बहुत बढ़ जायगी और वे यहां पर सस्ते हो जायेंगे। इस प्रकार से स्वास्थ्य और कृषि के लिये इससे लाभ हुआ करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि मेरे जो ३,४ संशोधन इस पर हैं उन पर विचार किया जायगा। यह संशोधन इस प्रकार के नहीं हैं कि इनकी आवश्यकता को देखते हुये इनको न माना जाया। यदि किसी कारण से यह हो जैसा कि माननीय सदस्यों ने बतलाया कि संभव है यह केन्द्रीय सरकार

[श्री रणंजयसिंह]

तक जाय। अगर वहां जाने की आवश्यकता हो तो उसके लिये भी हमें तैयार होना चाहिये। मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यदि इसको केन्द्रीय सरकार के पास भेजने की आवश्यकता हो तो इसके लिये प्रयत्न किया जाय और केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की जाय कि इस प्रकार का प्रस्ताव हमारे यहां पास हो गया है और उसके लिये उपर्युक्त विधेयक पारित किया जाय। इस के साथ ही साथ इस प्रस्ताव की शब्दावली इससे संशोधित हो जाती है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार संशोधित हो जाने से इस में कुछ और भी विशेषता आजाती है। मैं इसमें और अधिक निवेदन करने की आवश्यकता नहीं समझता। यदि किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हुई तो बड़े-बड़े विद्वानों, विशेष कर लोक मान्य तिलक जैसे महान महान विद्वान की रचनाओं, टीकाओं और वर्तमान देशी और विदेशी कोषों से हवाला देकर इन संशोधनों का समर्थन करूंगा। इस प्रकार से यह बहुत ही आवश्यक और महत्व पूर्ण संकल्प है। उस के लिये मैंने सदन में जो संशोधन उपस्थित किये हैं उनके लिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि सदन उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और संशोधन सहित इस संकल्प को स्वीकार करे।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि संकल्प की पंक्ति ४ में शब्द "वह" तथा शब्द "शीघ्रातिशीघ्र" के बीच में शब्द "दूध न देने वाली अर्थात् ठाठ गायों की बिक्री को रोक दे और यदि आवश्यकता हो तो" रख दिये जायं।

इस संकल्प को लाने का मतलब माननीय सदस्य का यह है कि जिससे हमारे यहां दूध-घी की उन्नति हो, बहुतायत हो और लोगों को खाने पीने को खूब मिले। लेकिन जिस शक्ल में यह प्रस्ताव है अगर वही पास कर दिया जाय और इस प्रांत से दूसरे प्रांत में यहां के जानवरों का भेजना बंद कर दिया जाय तो डर इस बात का है कि यहां पर पशुओं की कीमत बहुत गिर जायगी और इस प्रकार से सस्ती हो जाने के कारण बहुत मारी जायेंगी। यह कहा जा सकता है कि मारी कैसे जायेगी, कानून बन चुका है कि गो हत्या उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर सकता। यह बात सही है कि ऐसा कानून बन गया है और उसकी पाबन्दी होनी चाहिये मगर सिर्फ कानून बन जाने से वह काम नहीं हो जाता। उद्देश्य तो बहुत अच्छा है लेकिन लोग उसकी पाबन्दी नहीं करते हैं। इसलिये मैंने इस संशोधन द्वारा ठाठ गायों के बेंचने को रोकने के लिये प्रार्थना की है। होता यह है कि बिना दूध की गाय जब तक जिन्दा रहती है तो सस्ती रहती है, उसकी कम कीमत होती है और जब उसका कत्ल हो जाता है तो उसकी कीमत खाल से ही पूरी हो जाती है। यानी यह कि जिन्दा रहने पर सस्ती और मरने के बाद महंगी हो जाया करती है। नतीजा इसका यह होता है कि इसको गरीब लोग खाते हैं। यह वाजे रहे कि उसको ऊंचे दर्जे के लोग जिनके पास पैसा है वे बड़ा गोश्त नहीं खाते हैं। वे तो बकरे का, मुर्ग का और कम उम्र के बच्चे बकरे का गोश्त खाते हैं। गाय या भैंस को गरीब लोग खाते हैं, क्योंकि वह सस्ता पड़ता है। तो यदि हम चाहते हैं कि दूध का उत्पादन बढ़े और ये गायें मारी न जायं तो मेरी प्रार्थना यह है कि इनके बिकने पर शर्त लगा दी जाय। यह नहीं हो सकता कि जब तक वे दूध देने वाली हैं तब तक तो गोमाता हैं, भवसागर से तारने वाली हैं और उनका गोबर घर के लिये पवित्र है, लेकिन जहां दूध देना बन्द कर दिया तो किसी दूसरे को बेंच दिया फिर उनसे कोई मतलब ही नहीं है। इसके लिये बिना कोई शर्त लगाये प्रैक्टिकल और व्यावहारिक बात नहीं हो सकती। श्रीमान् को मालूम है कि सरकार ने बहुत से गो-सदन खोले हैं ताकि वहां पर लोग अपनी ठाठ गायें भेज दें जिससे उनको वहां रखा जा सके तथा उनकी परवरिश हो सके लेकिन लोग अपनी गायें वहां नहीं भेजते हैं....।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपकी इजाजत से कि जब तक गायें दूध देती हैं तब तक तो वे रक्षक हैं और दूध देना बन्द कर देने पर वे रक्षक नहीं तो क्या हैं, इसको जरा साफ कर दें।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा था। अगर माननीय सदस्य थोड़ा सा जब्त करते तो जितनी देर वे बोले और सदन का समय बरबाद हुआ उतनी देर में मैं उस पर आ जाता। मैं कह रहा था कि ऐसे तो कहने के लिये वे बड़े गोमाता के रक्षक बनते हैं, लेकिन कुछ हिन्दू साहबान उन गायों को खरीद कर कसाइयों को दे आते हैं। कसाई खुद गाय खरीदने के लिये नहीं जाता बल्कि हिन्दू ही गाय खरीदते हैं। यह कितनी कमबख्त बात है, इससे आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। वे गरीब अपना पेट पालने के लिये ही यह गलत काम करते हैं। लेकिन आप इनको कानून से नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि यह बहुत आसान नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं तो बेंचने वालों पर शर्त लगायी जाय।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के शान्ति कायम रक्खें। आपस में कुछ लोग बात कर रहे हैं उनके पीछे। माननीय राणा साहब से मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि वक्ता को डिस्टरबेंस हो रहा है।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं कह रहा था कि सरकार ने बहुत से गोसदन बनाये हैं ताकि वहां पर लोग गायें भेज सकें और वे वहां पर आराम से रह सकें, लेकिन १० रु० पाने के लालच से लोग अपनी गायों को वहां पर नहीं भेजते हैं। दरअसल अगर हम गायों की रक्षा करना चाहते हैं और रक्षा होनी चाहिये। क्योंकि बहुत दिनों का जनता का अरमान पूरा हुआ है, यहां की पब्लिक के बहुमत की ख्वाहिश बहुत दिनों के बाद पूरी हुई है, तो फायदा इससे तभी होगा जब कि गायों के बेंचने पर शर्त लगा दी जाय कि ठांठ गायों को कोई न बेंचे, बल्कि अपने यहां ही रक्खे अथवा किसी गरीब को मुफ्त दे दे तो बहुत से लोग उसको अपने यहां पालेंगे और अगर इसके लिये उनको कुछ दाम भी देना पड़ेगा तो जब गायों के दूध होने लगेगा तो उसी को बेंच कर वे धीरे धीरे उसका मूल्य अदा कर देंगे। क्योंकि गरीब लोग फौरन दाम नहीं दे सकते हैं। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि सरकार से जितना भी हो सकता है उसके लिये प्रयत्न कर रही है कि हमारे यहां दूध और घी की वृद्धि हो। उस पर काफी पैसा भी खर्च कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अक्सर होता यह है कि कुछ लोग मिल कर इस तरह का हिसाब-किताब लगा लेते हैं कि इतने की गाय होगी, इतने का चारा होगा, इतने का दूध होगा और इतना नौकरों को पैसा देना होगा और इतना मुनाफा होगा, अतः गायों, भैंसों को पालते हैं। सरकार की तरफ से कुछ ग्रांट या सबसिडी के रूप में भी दिया जाता है ताकि वे गो सदन चलावें, लेकिन नतीजा यह होता है कि रहते तो वे शहर में हैं और गोशाला तथा उसका हिसाब किताब रखने वाले देहात में होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि अक्सर गोशालों में घाटा ही होता है। बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं दूकान कलकत्ते में है, गोशाला कहीं है, इससे उनको नुकसान हो जाता है। मेरा सुझाव है और मंत्री जी से प्रार्थना है बजाय इसके कि डेरी फार्मों को इकट्ठा २०–२५ या ३० हजार रुपया दिया जाय यह बेहतर होगा कि गरीब ग्वालों, अहीरों और हरिजनों को एक एक, दो–दो गायें या भैंसें दी जायं जिनके बच्चे बेकार घूमते हैं। वह घास छीलकर उनको पाल सकते हैं और इससे उनको भी मजदूरी मिल जायगी और गायों की भी रक्षा हो जायेगी। इसलिये एक आदमी को बड़ी रकम गोशाला के लिए न दी जाय और गरीब लोगों को दूध के जानवर दिये जायं उससे अधिक लाभ होगा।

दूसरी बात यह है कि "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्" अर्थात् भूखा क्या पाप नहीं करता। अगर केवल कानून-कायदे से गोरक्षा कोई चाहता है तो वह नहीं हो सकती। इस कानून से जो कि गोवंश के सम्बन्ध में पास हुआ है बहुत से कसाइयों

[श्री सीताराम शुक्ल]

की रोजी खत्म हो गई, अगर कोई अब गोवध करता है तो उसको दो साल की सजा होती है और १,००० रुपया जुर्माना होता है, तो वह क्या करे भूखा आदमी यदि अपने को मार सकता है अर्थात् अपनी खुदकशी कर सकता है तो भूखा आदमी गाय को क्यों न मारे वह चुपके से खरीदेगा और मारकर चोरी से बेचेगा, अगर आप को बन्द करना है कसाई तबके को आप को काम देना चाहिए, उस को कोई रोजगार मिलना चाहिए और उसकी रोजी का सवाल हल होना चाहिये, और ऐसा होने पर वह खुद ही गो को नहीं मारेगा। जहां तक गो रक्षा का सम्बन्ध है इसके प्रचार की भी आवश्यकता है कानून के साथ साथ। अगर हम ठीक दिशा में प्रचार भी करें तो वह दिन आयेगा कि इस प्रदेश में फिर दूध और घृत पर्याप्त मिलने लगेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे संशोधन का समर्थन करेगा।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)— श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से अपने तीनों संशोधन एक साथ पेश करना चाहता हूं।

संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "एवं" तथा शब्द "कृषि" के बीच में शब्द "खाद्य पदार्थ और" रख दिये जायं, और

संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "है" के स्थान पर शब्द "होती जा रही है" रख दिये जायं, और

संकल्प की पंक्ति ६ में शब्द "भैंस" तथा शब्द "और" के बीच में शब्द "इत्यादि" रख दिया जाय।

श्रीमन्, हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यदि हमारा ध्यान कृषि की ओर होगा तो देश उन्नति करेगा। अब यह देखना है कि कृषि की उन्नति के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता है। यदि हम पहले मशीनरी और ट्रैक्टर्स आदि की ओर ध्यान देते हैं जैसा कि हमारे देश में और प्रदेश में जोर दिया जा रहा है, तो उसके बारे में अब तो यह सिद्ध हो चुका है कि ट्रैक्टर हमारे देश के लिए लाभदायक नहीं है और अत्यन्त हानिकारक है और जिन किसानों ने ट्रैक्टर प्रयोग में लाये हैं उनको भी हानि ही हुई है और प्रादेशिक सरकार को भी हानि रही है। इसलिये परम आवश्यक है कि खेती की उन्नति के लिए हम इन चीजों की ओर ध्यान न देकर अपने पशुओं की ओर ध्यान दें जिससे हमारी खेती की वृद्धि हो। सर्वप्रथम स्थान कृषि-कार्य में गाय और उसकी सन्तान का है और उसकी रक्षा के लिए इस सरकार ने इसी सदन में गोवध निवारण विधेयक भी पास कराया है परन्तु मैं समझता हूं कि केवल उसके पास करा देने ही से काम न चलेगा।

श्रीमन्, आज इस समय हमारे प्रदेश में पशुओं की संख्या में, जो हमारी खेती की उन्नति के लिये आवश्यक है, गिरावट हो रही है बल्कि दिन प्रतिदिन उसमें कमी होती जा रही है। तो इसके लिये यह आवश्यक है कि हम गायों को और दूसरे जानवरों को जिनसे खेती की उन्नति पहुंचती है उनकी ओर ज्यादा ध्यान दें। गाय के सम्बन्ध में मेरे एक मित्र ने संशोधन दिया है कि जो दूध देने वाले जानवर नहीं हैं उन पर प्रतिबन्ध न हो। मैं समझता हूं कि प्रत्येक पशु, गाय, भैंस और उनके वंशज सब पर यह प्रतिबन्ध लगा देना अत्यन्त आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस प्रकार से इन पशुओं का ध्यान रखेंगे तो हमारी खेती की उन्नति होगी। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जैसे गायों और उनके वंशजों की रक्षा अत्यन्त आवश्यक है उसी प्रकार से भैंसों की रक्षा भी अत्यन्त आवश्यक है। हमारे इस प्रदेश के पूर्वी जिलों में शायद ऐसा न हो कि भैंसों के जो वंशज हैं जिनको कटरा कहते हैं भैंसों से हल या गाड़ियां चलाई जाती हों लेकिन यह देखने में आता है

कि पश्चिमी जिलों में अधिक संख्या में गाड़ियां जिनको बुग्गी कहते हैं उनको जो छोटे भैंसे होते हैं वह गाड़ियां चलाते हैं। और जितना ढुलाई का काम होता है वह उन्हीं से होता है। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि गाय या उसके वंशजों पर जब रोक लगाई जाय तो भैंस और उसके वंशज भी सम्मिलित होने चाहिये, क्योंकि भैंसे जो गाड़ियां चलायेंगे, जो किसान की उन्नति के लिये है वह भी आवश्यक है और उस पर रोक लगा देने से बैल या भैंसे सब इस प्रदेश में सस्ते हो जायंगे, नहीं तो ऐसी दशा होगी जैसी अब हो रही है कि दूसरे प्रदेशों में बैल या भैंसें जायें या दूसरे जानवर जो दूध न देते हों या उनमें जो दूध देने वाले हों वह भी जाते रहेंगे। जैसा अभी हमारे मित्र शुक्ल जी ने बतलाया है कि यदि प्रतिबन्ध न हुआ तो दूसरे तरीके से हमारे यहां से गाय भैंस कम होती चली जायेंगी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अपने प्रदेश में हम खेती की उन्नति चाहते हैं और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। जब हमारे प्रदेश में गायों की अधिक संख्या होगी, अधिक दूध होगा, गायें और भैंसे अधिक सस्ती कीमत में मिलने लगेंगे और इसलिये दूध और घी भी अधिक सस्ता मिलेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो संशोधन मैंने दिया है कि दूध और घी और जितने खाद्य पदार्थ हैं, जो बाजारों में मिलते हैं यदि हम चाहते हैं कि वे पवित्र और असली घी के बने हुये हों या हम खाना जो खाते हैं उसमें शुद्ध घी मिले तो हमको यह अवश्य करना पड़ेगा कि जो संशोधन मैंने दिया है उसको स्वीकार किया जाय। यदि ऐसा न होगा तो यह चीजें नहीं होंगी और यह हमारा डालडा इत्यादि जो बाजारों में बिक रहा है वह बिकता रहेगा। यदि यह प्रतिबन्ध लगेगा तो मशीन द्वारा बनाया गया बनावटी घी महंगा पड़ जायगा और असली घी सस्ता हो जायगा और इस तरह से हमारे प्रदेश की उन्नति हो सकती है। ऐसी दशा में हो सकता है कि हम इन एतराजों की ओर ध्यान दें और उनकी रक्षा करने के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करें। इस सम्बन्ध में जहां तक मैं समझता हूं यह हो सकता है कि इसमें कुछ वैधानिक अड़चनें हों लेकिन हमारी सरकार के लिये यह कोई अनुचित या कठिन बात नहीं है। जैसा कि पहले भी गल्ले इत्यादि के कंट्रोल के सम्बन्ध में देखा गया है कि उसमें भी एक देश से दूसरे देश को ले आना और ले जाना बन्द किया गया। यह ठीक है कि हमारा प्रदेश ऐसा नहीं कर सकता, यह केन्द्रीय सरकार द्वारा ही हो सकता है, लेकिन इसके सम्बन्ध में ऐसे ही अनुपूरक रूप से एक दूसरी बात रोक की हो सकती है। यदि केन्द्रीय सरकार को इसके सम्बन्ध में लिखा जाय तो कोई ऐसा कारण नहीं कि इसे स्वीकार न किया जाय। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसकी ओर ध्यान दिया जाय और अधिक से अधिक इन पशुओं की रक्षा करने की कृपा की जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले सब संशोधन ले लेता हूं और उनके उपस्थित हो जाने पर बाद में जनरल डिसकशन होगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प की पंक्ति ५ में शब्द "लाये" के बाद का वाक्यांश निकाल कर निम्न वाक्यांश रख दिया जाय:—

> "जिसके द्वारा गाय और उनके वंशजों का उनकी नस्लों के रक्षार्थ निर्यात अविलम्ब रोका जा सके।"

अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में, जो श्री बसन्त लाल शर्मा जी ने उपस्थित किया है, गाय तथा भैंस दोनों के निर्यात को रोकने की बात कही गई है, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि नस्ल के सुधार की बाबत जो निर्यात रोकने की बात है उसमें भैंस का

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

प्रश्न कैसे उपस्थित होता है। जहां तक गाय का सम्बन्ध है उनकी बाबत तो हम यह कह सकते हैं कि जो विधेयक इस सदन ने स्वीकार किया है गोरक्षा के सम्बन्ध में यह आशंका सही है कि इससे गाय या उसके वंशज जब किसान या दूध की इच्छा रखने वाले व्यक्ति विशेष लोगों के लिये उपयोगी नहीं रह जायंगे तो उन्हें बेकार समझ कर सूबे के बाहर भेज देंगे, क्योंकि हमारे सूबे में गोवध होगा नहीं। उनके चमड़े के लोभ में यहां के लोग उन्हें खरीदकर प्रान्त के बाहर ले जाकर बेंच सकते हैं और वहां उनका वध हो, यह संभव हो सकता है। जहां तक गाय और उसके वंशज का सवाल है वह तो ठीक है, लेकिन भैंस के निर्यात का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है भैंस का वध तो पिछले कुछ वर्षों में हमारे सूबे में बढ़ता ही गया है और गायों पर कुछ थोड़ी रुकावट हुई। म्यूनिसिपैल्टीज के जरिये से या एक विचारधारा में परिवर्तन होने के जरिये से गायों का वध तो कम होता गया। लेकिन उसके ही अनुपात में भैंसों का, उनके वंशजों का वध अधिक मात्रा में बढ़ा। जब हमारे यहां भैंसों के वध पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो इस गरज से भैंसों का कोई निर्यात होगा नहीं। लेकिन गायों के निर्यात की बहुत बड़ी आशंका है। नस्लों की रक्षा की जो बात प्रस्ताव में कही गयी है, जहां नस्लों की रक्षा की बात है, उसमें भी मैं यही निवेदन करूंगा कि गायों की नस्ल की रक्षा का खतरा जरूर होगा, कि हमारे यहां से अच्छी किस्म की गायें और उनके वंशज दूसरे सूबों में भेजे जायं। उनका गलत तरीके से इस्तेमाल हो। लेकिन भैंसें तो अच्छी नस्ल की हमारे सूबे में आती हैं बाहर से। पंजाब से काफी भैंसें अच्छी नस्ल की आती हैं और गायें भी आती हैं। लेकिन अच्छी नस्ल की गाय हमारे सूबे में काफी होती है। उनके निर्यात की बात तो खतरनाक है जरूर। लेकिन भैंसें अच्छी नस्ल की हमारे सूबे से दूसरे सूबे में जाती हैं इसका मेरी जानकारी में कोई फीगर नहीं है।

प्रस्तावक महोदय अगर यह बतला सकें कि भैंस अच्छे नस्ल की कितनी निर्यात होती हैं तो शायद सदन इस पर ज्यादा अच्छी तरह से विचार कर सकेगा। भैंसों का आना जाना सूबे के बाहर जायं या अन्दर आयें इस पर कोई प्रतिबन्ध रखना मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं होगा। अगर हम इस पर प्रतिबन्ध लगायेंगे कि हमारे सूबे से भैंसों का बाहर जाना रोका जाय तो फिर इसका यह भी नतीजा हो सकता है कि दूसरे सूबे भी जो अच्छे नस्ल की भैंसें हमको देते हैं, रोक दें। तो उसमें हम फायदे में नहीं रहेंगे। मैं चाहता हूं कि भैंसें हमारे सूबे में दूसरे सूबे से आयें। हमारे सूबे से भी अगर दूसरे सूबे में भैंसें जाती हैं तो उस पर कोई रुकावट न हो, क्योंकि उस रोक से हमको दूसरे सूबों की भैंसों के आने में रुकावट होगी और हमारा नुकसान होने का डर है। लेकिन गायों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। गायों का निर्यात हमारे उस कानून के जरिये से जो बनने वाला है गायों और उनके वंशजों के सम्बन्ध में उस पर बड़ा असर पड़ जाता है। परिस्थिति बिलकुल बदल जाती है। उसकी वजह से अगर हम नहीं रोकते तो खतरा है और एक न एक दिन जिस गरज से हम गाय और उसके वंशज की उन्नति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और जिस पर हमारी आर्थिक सुव्यवस्था आधारित है वह नष्ट हो जायगी, और हमारा सारा मंशा विफल हो जायगा। अतः गायों का निर्यात रोकना बहुत ही जरूरी है। इसलिए दो-तीन पहलुओं से सोचने की जरूरत है। एक पहलू तो यह है उसका कि हमारे देश में जो गायें या उनके वंशज जो बहुत बड़ी तादाद में हैं अगर वे अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरते हैं, अगर उनका जिन्दा चमड़ा नहीं तो मुर्दा चमड़े का व्यापार बढ़ सकता है, हालांकि वह घटिया किस्म का होगा। लेकिन वह काम में आयेगा और उसके लिए जो लोग चमड़े का रोजगार करते हैं, खाल वग़ैरह का काम करते हैं, उनकी रोजी बढ़ेगी। लेकिन अगर हमारे यहां की गायों और उनके वंशज दूसरे सूबों में

जाने लगेंगे तो एक तो चमड़े का रोजगार छिन जायगा और दूसरे सूबे वालों के हाथ में जायगा और दूसरे बाहर ले जाने के लिए उनको वही कसाई लोग, जो इसका पेशा करते हैं, वह खरीदेंगे और दूसरे सूबों में भेजेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जो चीज अपने काम की नहीं रह जाती, जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है उसके प्रति लोग अन्मनस्क हो जाते हैं, यहां तक कि अपने मां-बाप की लोग उपेक्षा करते हैं और उनके पालन-पोषण की पूरी जिम्मेदारी उनके ही अपने पुत्र और कलत्र हैं, उनका निर्वाह करने के लिए तैयार नहीं होते। तो उसी प्रकार से जो गायें और उनके वंशज जो खेती और दूध देने के काम लायक नहीं रह जायंगे, और वह खूंटे पर बंधे रहेंगे। तो यह स्वाभाविक है कि उनको लोग बेंचने की फिक्र करेंगे। उनके खरीदार वही लोग ज्यादा होते हैं जो उनका वध करना पसन्द करते हैं। ऐसी सूरत में हम जो चाहते हैं कि हमारे यहां के जानवर आर्थिक समृद्धि में सहायक हो सकें, तो इस तरह से एक धारा उनके निर्यात की बहेगी। इसीलिए मैंने इस संशोधन को रखा है और मैं समझता हूं कि अगर भैंस वाले अंश को निकाल दिया जाता तो हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाता। असल में तो दूध देने वाले जानवरों की रक्षा हो, उनकी नस्ल की रक्षा हो, यह हमारे देश की बहुत प्राचीन परम्परा है। दूध हमारे लिए बहुत ही पौष्टिक आहार है, इसमें भी कोई सन्देह नहीं है, भैंसों की समृद्धि हो, इसे भी मैं स्वीकार करता हूं कि होनी चाहिये, और अगर इनका भी बध न हो तो वह भी मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन जो निर्यात रोकने की बात है उससे यह प्रश्न हल होता नहीं। भैंसें तो हमारे यहां, जैसा मैंने कहा अधिकाधिक संख्या में कत्ल हो रही हैं। तो उनका तो कोई निर्यात होता नहीं। मुझे माननीय सदस्य बताएं कि कितनी भैंसें यहां से बाहर जाती हैं और कितनी बाहर से आती हैं? किस नस्ल की यहां से बाहर जाती हैं और हमारे सूबे में दूसरे सूबे से आती हैं? यह अगर बतलाया जाय तो हम समझ सकें कि क्या परिस्थिति है और क्या होना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि वह भैंस वाला अंश निकाल करके यह प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिये, और मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—श्री रामचन्द्र विकल, जरा आप अपने संशोधन की भाषा में सुधार कर लीजिए। इसमें यह है—"इन दुधारु जानवरों की नस्लों को सुधारने के लिए तथा उनके पालन-पोषण में इन जानवरों को पालने वालों को उचित सहायता दें।"

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आज्ञा दें तो एक बात कहूं। नियम १७७ (२) की ओर मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं। अगर यह संशोधन इसी शक्ल में मान लिया जाता है तो एक निगेटिव वोट होगा और ऐसा संशोधन वैधानिक नहीं है। प्रस्ताव में रखा गया है, निर्यात के बारे में और आप कहते हैं कि सबको सहायता दी जाय और "निर्यात" के लफ्ज को निकालना चाहते हैं। तो इससे निर्यात की बात तो खत्म होती है और एक किस्म से निगेटिव वोट होगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—जो संकल्प रखा गया है उसकी मंशा यह है कि शुद्ध घी और शुद्ध दूध और खेती के लिए पशु कम हो गये हैं और आगे वह कहते हैं कि सरकार ऐसा विधेयक लाये कि निर्यात रोक दिया जाय। तो मेरा संशोधन इसी मंशा को पूरा करता है कि शुद्ध घृत और दूध और पशुओं की उन्नति के लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा सहायता दी जाय।

श्री अध्यक्ष--लेकिन बात यह है कि उनके संकल्प का आपरेटिव पार्ट यह है कि निर्यात रोक दिया जाय। ऐसा विधेयक लाने के लिये उन्होंने कहा है। आप ऐसा विधेयक चाहते हैं कि जिसमें सरकार केवल सहायता दे। तो ये दो बिल्कुल परस्पर विरोधी हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी की आपत्ति मुझे उचित प्रतीत होती है। इस तरह का संशोधन नहीं आ सकता। यदि उससे मिलता-जुलता होता तो बात दूसरी थी। आप एडीशन करते तो हो सकता था। मैं इस संशोधन की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से श्री शर्मा के प्रस्ताव में निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं :--

"संकल्प की पंक्ति ५ में शब्द 'दुधारु' के आगे शब्द 'तथा उपयोगी' और शब्द 'नस्ल' के बाद शब्द 'जीवन' तथा शब्द 'रक्षार्थ' के बाद शब्द 'तथा विकास के हेतु' रख दिये जायं।

श्रीमन्, दूसरा प्रस्ताव मेरा यह है:--

संकल्प की पंक्ति ६ में शब्द 'निर्यात अविलम्ब रोका' के स्थान पर 'केवल आयात किया' रख दिया जाय।"

श्री अध्यक्ष--तो यह भी उसी तरह का है।

श्री नारायणदास--श्रीमन्, वह तो बढ़ाने के लिये है। जो कमी यहां है वह तो आयात से ही पूरी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--यह यों पढ़ा जायगा कि भैंस और उनके वंशजों का केवल आयात किया जा सके। तो यह चीज बिल्कुल निरर्थक हो जाती है।

श्री नारायण दास--इसमें यह है कि जो पशु हमारे यहां है जिनसे घी-दूध की समस्या हल नहीं हो रही है तो उनके जीवन रक्षार्थ एक अधिनियम लाया जाय और दूसरे आयात इतना ज्यादा किया जाय ताकि यह समस्या हल हो जाय।

श्री अध्यक्ष--इसका अर्थ तो यही मालूम होता है कि आयात हुआ करे लेकिन निर्यात बन्द हो जाना चाहिये।

श्री नारायण दास--निर्यात से कोई मतलब नहीं है श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष--आप तो यह कह रहे हैं कि इसके बीच में केवल आयात किया जा सके, रख दिया जाय।

श्री नारायण दास--तो श्रीमन्, केवल हम वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--तो फिर आयात तो होता ही है। यह संशोधन निरर्थक होगा। इस लिये मैं इसको अवैध करार देता हूं। यह नहीं आ सकता।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--श्री नारायण दास के दो संशोधन हैं ५-घ और ६-क। पहले वाले से कोई विशेष तब्दीली होती नहीं है लेकिन दूसरे में जरूर विरोध है।

श्री अध्यक्ष--इसलिये दूसरे वाले को ही मैं कह रहा हूं कि वह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उसको वह पेश नहीं कर सकते हैं।

श्री नारायणदास--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि:--

संकल्प की पंक्ति ५ में शब्द "दुधारु" के आगे शब्द "तथा उपयोगी" और शब्द "नस्ल" के बाद शब्द "जीवन" तथा शब्द "रक्षार्थ" के बाद शब्द "तथा विकास के हेतु" रख दिया जाय।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन से मेरा मकसद यह है कि जिस वक्त गौवध रोकने के लिये विधेयक सदन में अभी हाल आया था उस वक्त यह भी समस्या उठायी गई थी कि दुधारू पशुओं का भी वध रोका जाय क्योंकि हमारे देश में घी-दूध की बहुत ही कमी है तो उस वक्त हमें यह आश्वासन मिला था कि इसके लिये दूसरा विधेयक आ सकता है तो इस मेरे संशोधन का केवल इतना ही मतलब है कि अगर हमें अपने देश में घी-दूध की अधिकता लाना है तो हमें दुधारु पशुओं व उनके वंशजों की जीवन रक्षा करनी होगी, उनकी बढ़ोत्तरी करनी होगी, चारे-पानी का प्रबंध करना होगा। यह तयशुदा बात है कि जब तक स्लाटर हाउसेज बंद नहीं होंगे तब तक गोवध या अन्य दुधारू पशुओं का वध रोका नहीं जा सकता है।

श्रीमन्, पहले हमारे यहां घी-दूध अधिक मात्रा में मिलता था, लेकिन आज उल्टी दशा है। गाय का घी या दूध दवा के लिये भले ही मिल जाय वैसे पीने को अधिक नहीं मिल सकता है और जो हमें मिलता भी है तो वह भैंस का दूध होता है। पारसाल को ले लीजिये या पिछले सालों को ले लीजिये तो मालूम होगा कि भैंस का वध भी बहुत बढ़ गया है। ऐसी दशा में हम यह आशा करें कि हमें अच्छा घी-दूध मिल सकेगा तो निरर्थक है क्योंकि आजकल भैंस के वंशजों की हालत भी दिनों दिन गिरती जा रही है, कम होती चली जा रही है। इसलिये हमें अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी है कि हमें अच्छा घी दूध मिल सके या पशु कृषि के लिये मिल सकें तो हमें गाय, भैंस और अन्य पशुओं के वंशजों की जीवन रक्षा करनी होगी। इसलिये श्रीमन्, मैं चाहता था कि जहां पर हमारे ठाकुर साहब ने इतना बड़ा कदम उठाया कि सारे सूबे में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि उन्होंने गोवध का निषेध कर दिया है और हमारी कांग्रेस सरकार का भी मान सम्मान बढ़ा है। परन्तु जब तक भैंस के वंशजों का वध रोकते नहीं है तब तक हमारा विधेयक अधूरा ही रह जाता है।

आज चारों तरफ डाक्टरों की मांग हो रही है। स्कूलों में बच्चों को देखिये। देहात की बात जाने दीजिये। लखनऊ शहर में जितने माननीय सदस्य पूड़ी खाते हैं वह सब डालडा, कोकोजम और घासलेट की होती है, शुद्ध घी की हो भी नहीं सकती है। दारुलशफा में मांग हुई कि डाक्टर रख दिया जाय। तो ऐसी अवस्था में श्रीमन्, जो हमारे देश की कृषि और स्वास्थ्य के बारे में अवनति हो रही है उसके लिये हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा और इसमें हमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई पड़ती है कि जिसे हम मनुष्यों की जीवन रक्षा के लिये न कर सकें। मनुष्य चाहे जिस मजहब का हो लेकिन जब उसको अपनी जीवन रक्षा के लिये, अपने खाने-कपड़े के लिये, घर के लिये प्रबन्ध करना पड़ता है तो उसमें अगर कुछ एक स्वार्थी लोगों को हानि भी होती हो तो उसे उनको बरदास्त करना चाहिये और यही भावना इस समय इस कार्य को करते समय हमारी होनी चाहिये। यही हमारे बापू जी ने कहा था। उनका एक मंत्र है:—

"वैष्णव जन तो तेने कहिये जो पीर पराई जाने रे,
पर दुखः उपकार करे त्वै मन अभिमान न आने रे।
जिव्हा थके असत्य न बोले पर धन झाले न हाथ रे।"

यह पांच बातें हैं जो हमें वास्तव में, सत्य रूप में उस तरफ ले जाती हैं। जहां उच्च मानवता है। इन्हीं के बारे में हमारे प्राचीन ऋषियों ने कहा था:—

"दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम्, वस्त्रपूतं जलं पिवेत,
सत्य पूतं बदेत् वाचम्, मनः पूतं समाचरेत्।।"

तो इस सारी चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिये। यह कानून हमें देश की उन्नति को, समाज की उन्नति को, राष्ट्र की उन्नति को ध्यान में रख कर बनाना पड़ेगा। हमारे सामने यह बड़ी समस्या है। आज हम आजाद हैं, थोड़े दिन पहले गुलाम थे। हमारे सामने जो समस्या है वह यह कि जितनी कुर्बानी हमने आजादी को पाने में की थी, उससे कहीं ज्यादा, लाखों गुना, कुर्बानी हमें अपनी इस आजादी की रक्षा करने में करनी होगी।

[श्री नारायणदास]

हमारा भारत देश अगर आगे न बढ़े तो कम से कम उस दशा में तो पहुंच जाय कि जहां पहले वह था। उसके लिए हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे सामने केवल घी-दूध की ही समस्या नहीं है, हमारे सामने बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं। कानून से या समझाबुझा कर, जैसे भी हो हमें अपने देश को उस स्थान पर पहुंचाना है जहां कि पहले वह था। कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और वह केवल मजहब की बात को लेकर उचित बात को अनुचित ढंग से लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन यह तो उन राष्ट्रों के अन्दर भी एक समस्या है कि जहां विशुद्ध रूप से उसी मजहब के लोग रहते हैं। वहां कोई मजहब का प्रश्न नहीं है, वहां केवल घी-दूध का प्रश्न है, कपड़े-लत्ते का प्रश्न है। इसी चीज को वे लोग वहां कानूनन बंद करते हैं। अगर हमारे राष्ट्र के लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो राष्ट्र उठेगा कैसे? उनका विकास कैसे होगा? किस तरह से उसमें अध्यात्म की बात आयेगी? कैसे वह विशुद्ध आचरण करेंगे? कैसे बड़े-बड़े साइन्टिस्ट पैदा होंगे? तो मैं अपने संशोधन के संबंध में श्रीमन्, आपके द्वारा ठाकुर साहब से केवल इतना ही प्रार्थना करूंगा कि जो विधेयक आपका पास हुआ है उसका पूरक अगर दूसरा विधेयक नहीं आता है तो वह हमारा पहला विधेयक अधूरा रह जाता है। ऐसी दशा में अध्यक्ष महोदय, हमारे सब के सामने जो प्रश्न है वह घी और दूध का है। हमारे यहां जो दुधारू भैंसें थी वह सब नष्ट हो रही हैं। जिस वक्त यहां पर अमेरिकन, अंग्रेज व विदेशी फौजें पिछली जर्मन लड़ाई में भारत आयीं और दूसरी फौज जो बाहर से आयीं वह हमारे पशुधन को खा गयी। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे जो पशु थे वह बहुत कम हो गये अब जो हमारे सामने समस्या आती है वह यही कि आखिर भैंस, गाय कहां से आये। हमारे देश में निम्न श्रेणी के हिन्दू भी भैंस को खाते हैं और मुसलमान भी भैंस को खाते हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि चाहे कोई हिन्दू हो या मुसलमान या ईसाई हो कोई भी बुद्धिमान आदमी भैंस के मांस को कभी नहीं खाता है और न खाना चाहता है। ऐसी दशा में जब वह खाते नहीं है और वह उसका खाने में प्रयोग नहीं करते हैं तो बुढ़ापे में सिर्फ चमड़े के लिये उसके ऊपर छरी चलायी जाय यह मानवता नहीं है, क्योंकि हमने उसका जन्म भर दूध पिया है। ऐसी दशा में हमें उसके साथ वही रियायत करनी चाहिये जोकि हम अपने बूढ़े मां-बाप के साथ करते हैं। आज सरकार भी बूढ़ों के लिये इस प्रकार के नियम बनाने जा रही है कि वह बूढ़ों के लिये कुछ पेन्शन का प्रबन्ध करे ताकि उनके जीवन के लिये कुछ आसानी हो जाय। जब हम इस प्रकार से करने जा रहे हैं तो आखिर पशु भी तो हमारे मानव समाज के ऐसे जानवर हैं जो मानव समाज की रक्षा करते हैं। गाय, भैंस के वंश ही नहीं कुत्ते को लीजिये कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि जिसने मानव प्राणी हित में सारे जानवरों को गुलाम बनाने में आदमी का साथ दिया है मिसाल के तौर पर महात्मा युधिष्ठर का उसने अन्त समय तक साथ दिया। इससे एक बड़ा सवाल आज हमारे सामने है और दुधारू व उपयोगी पशुओं के प्रति मां बाप की तरह से उसके साथ हमको व्यवहार करना चाहिये क्योंकि जब तक दूध और घी का प्रबन्ध सुचारु रूप से न हो तब तक मानव समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। और जब तक मानव समाज की उन्नति नहीं हो सकती है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा यह संशोधन है इसको मान लिया जाय। माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि एक विधेयक शीघ्र ऐसा लावें जो कि गोवंश वध निषेध विधेयक की पूर्ति कर सके। और दुधारू व उपयोगी पशुओं की जीवन रक्षा हो सके।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

> "एवं राज्य सरकार से आग्रह करता है कि अन्य प्रदेशों से अधिक दूध देने व घृत उत्पन्न करने वाली गायें व भैंसें व उनकी नस्ल सुधारने के हेतु अच्छे-अच्छे सांड़ अधिकाधिक संख्या में मंगाये जायें।"

मेरे इस संशोधन से जो संकल्प उपस्थित हुआ है उसका विस्तार हो जाता है। उसमें पशुओं के निर्यात को रोका गया है। इसमें दूध बढाने के लिये और नस्ल सुधार करने के लिये उनके आयात को कहा गया है। इसमें शक नहीं है कि आज हमारे प्रदेश में दूध की अत्यन्त कमी है। जो गायें आज हमारे यहां देश में हैं बहुत से भागों में अपने बच्चों के अलावा उनसे एक सेर भी दूध उत्पन्न नहीं होता। उसका आज असर यह हो रहा है कि मनुष्यों को तो क्या बच्चों को भी दूध नहीं मिलता है। हमारे प्रदेश में गाय भैंस, और उनके वंशजों की संख्या करीब ३ करोड़ है और इसमें दूध देने वाली गायों और भैंसों की संख्या १ करोड़ से अधिक न होगी और आज इतना दूध प्राप्त नहीं हो रहा है कि वयस्कों की तो कौन कहे बच्चों को भी दूध नहीं मिल पा रहा है। जिन बच्चों का विकास दूध के ऊपर निर्भर है उनको भी दूध नहीं मिलता है। जो छोटे-छोटे बच्चे केवल दूध पर ही पलते हैं, उनकी मातायें उनको काफी दूध नहीं दे सकतीं। और उनको थोड़ा थोड़ा अन्न देने लगती हैं, इसका प्रभाव यह है कि सारी जनता निर्बल होती जा रही है। इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि ज्यादा दूध हो। घी के संबंध में तो जानते हैं कि उसका मिलना तो बहुत ही दुश्वार हो गया है। इसलिये यह बड़ी भारी आवश्यकता है कि दूध और घी को बढ़ाने के लिये जल्द से जल्द कदम उठाये जायं। इसके लिये दो ही तरीके हो सकते हैं — बाहर से, अन्य प्रदेशों से अच्छी गायें और भैंसें मंगायी जाय और दूसरा यह कि नस्ल को सुधारने के लिये सांड़ मंगाये जायं — हमारे देश के बहुत से भागों में ऐसी गायें हैं जिनका दूध एक सेर से अधिक नहीं होता। हमारे पड़ोस के पश्चिमी भागों में हिसार और रोहतक के जिलों में गायें १० और १५ सेर तक दूध देती हैं। इसके साथ भैंस गायों के मुकाबिले में ज्यादा दूध देती हैं इसलिये और स्थानों से अच्छी नस्ल की भैंसें मंगायी जायं जो ज्यादा दूध देती हों। इसी प्रकार से अच्छी गायों के मंगाये जाने की भी आवश्यकता है। इससे इस बात की अत्यन्त ज्यादा जरूरत है कि उनकी नस्ल को सुधारा जाय। लेकिन दूसरे प्रदेशों से अच्छे जानवर मंगाये जायं इसमें ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा और साथ ही पूरा लाभ भी नहीं होगा। स्थायी लाभ तभी होगा जब कि गाय और भैंस की नस्ल को सुधारा जायगा अब उनकी नस्ल को सुधारने के लिये यह जरूरी है कि अच्छे-अच्छे सांड मगाये जायं। सरकार ने पशुपालन विभाग खोल रक्खा है। उस विभाग ने कुछ सांड़ भी मंगाये हैं। मेरठ, बुलन्दशहर आदि जिलों में कुछ बछड़े भी सांड़ बनाने के लिये उत्पन्न किये जाते हैं। इसके साथ ही साथ कृत्रिम गर्भाधान का भी प्रयोग किया जाता है।

श्री अध्यक्ष—अब आपके ५ मिनट हो गये हैं अभी आप १० मिनट और बोल सकते हैं। अब समय हो गया है बाकी समय आप बाद में ले लीजिये।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त की अध्यक्षता में कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रतनलाल जैन—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संकल्प पर जो इस समय इस सदन में प्रस्तुत है, बोल रहा था। मैंने यह कहा कि केवल गाय और भैंसों के निर्यात को रोकने से ही काम नहीं चलेगा बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि दूध को बढाने के लिये दूध देने वाली गायों और भैंसों को बाहर से मंगाया जावे और इससे भी ज्यादा आवश्यक यह है कि इनकी नस्ल को सुधारा जावे। जो हमारे यहां आजकल गाये हैं इस प्रदेश में उनमें से बहुत सी गायें इतना थोड़ा दूध देती हैं कि उसको कहते हुये भी संकोच होता है। बहुत सी गायें तो अपने बच्चों के अलावा दिन भर में एक सेर तक भी दूध नहीं देती हैं। ऐसी गायों से काम नहीं चल सकता, हां यहां पर भैंसें जरूर गायों के मुकाबले में अधिक दूध देती हैं। तो दूध यहां पर इतना कम है कि मनुष्य तो क्या बच्चे तक को नहीं मिलता है और खासकर वे छोटे-छोटे बच्चे जिनको जीवन दूध पर ही निर्भर करता है, जब उनकी मातायें काफी दूध नहीं देती हैं तो उनको भूखों रहना पड़ता है या उनको थोड़े थोड़े-अन्न पर रहना पड़ता है जिसके कारण वे निर्बल और कमजोर होते जाते हैं। उनका विकास जितना होना चाहिये उतना नहीं हो पाता। इसीलिये यहां के स्वास्थ्य

[श्री रतनलाल जैन]

के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि यहां पर अधिक मात्रा में दूध हो। तो अधिक मात्रा में दूध-घी केवल जो मौजूदा मवेशी हैं, मौजूदा गाय भैंस हैं उनके निर्यात से नहीं मिल सकेगा। इसके लिये तो बाहर से अच्छा दूध देने वाली गायें मंगानी चाहिये जैसे कि पंजाब में रोहतक, हिसार, मांटगुमरी जहां कि गायें दस-दस सेर, पंद्रह-पंद्रह सेर तक दूध देती हैं। अगर ऐसा होगा तो यहां पर दूध-घी में तरक्की होगी। अगर हम केवल गायें ही मंगावें तो उससे ही काम नहीं चलेगा। क्योंकि गायें अधिक मंगायेंगे तो उसमें पैसा भी अधिक खर्च होता है हमारा इससे भी मतलब हल नहीं हो सकता। इसलिये आवश्यकता यह है कि जो हमारे यहां मौजूदा गायें और भैंसें हैं उनकी नस्ल को सुधारा जाय और उनकी नस्ल को तभी सुधारा जा सकता है जब कि अच्छे-अच्छे सांड़ हों।

यहां पर गांवों में जो मवेशी होते हैं, गांव के लोग देशी बछड़े को ही छोड़ देते हैं और वे ही सांड़ का काम देते हैं। उसका नतीजा यह हो रहा है कि गायों की नस्ल बजाय उन्नत होने के दिन प्रति दिन अवनति को पहुंच रही है। इसलिये आवश्यक यह है कि नस्ल को सुधारने के लिये अच्छे-अच्छे सांड़ होने चाहिये। सरकार ने इस कार्य में उन्नति करने के लिये अपना पशुपालन विभाग खोल रखा है लेकिन उसमें जितना काम हो रहा है वह इस प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये, इसके विस्तार को देखते हुये बहुत थोड़ा है। एक जिले में दस पांच सांड़ प्रतिवर्ष आते हैं। कुछ थोड़े से कृत्रिम गर्भाधान कार्य से, कहीं-कहीं इंजेक्शन से काम लिया जाता है और दो तीन जगह पर बछड़े सांड़ के लिये पाले जा रहे हैं और उनको उत्पन्न किया जा रहा है। परन्तु इन चीजों से हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमारे सूबे की आबादी साढ़े ६ करोड़ के करीब है यहां बहुत अधिक जरूरत है कि हमारी उन्नति के लिये अच्छे-अच्छे सांड़ हों। इसलिये मैं गवर्नमेंट से यह आशा करता हूं और उस पर जोर देना चाहता हूं कि अधिक मात्रा में सांड़ मंगाये जायं और जो जगह-जगह उसके सेंटर हैं वहां पर सांड़ को उत्पन्न करने के लिये बछड़े को पालें और अच्छे-अच्छे सांड़ उत्पन्न करें। कृत्रिम गर्भाधान से जिस कदर काम हो सके वह करें और आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक गांव में एक अच्छा सांड़ हो और हर गांव में भी न हो तो मैं निवेदन करूंगा कि गांवों के अदालती पंचायत क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या लगभग दस हजार की होती है और जिसमें करीब दो हजार के गायें होंगी, वहां एक अच्छी नस्ल का सांड़ होना चाहिये, अच्छी नस्ल का सांड़ पंजाब में रोहतक, हिसार मान्टगुमरी और नागौर से आ सकते हैं, इसलिये जहां से भी उचित हो, उनको मंगाना चाहिये।

इसी प्रस्ताव के संशोधन में एक संशोधन माननीय मौर्य जी ने किया था जिसका आशय था कि इस प्रांत में भैंसों का निर्यात न रोका जाय। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रांत में जो अच्छा दूध होता है वह अधिकतर भैंस से ही मिलता है और गायों का बहुत कम होता है। दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि यहां से भैंसों का निर्यात कम हो। जिस समय तक अपने यहां दूध की पैदावार नहीं बढ़ जाती है उस समय तक भैंसों का निर्यात अवश्य रोकना चाहिये। इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने पशुपालन विभाग को ज्यादा तेजी से बढ़ायें, अब तक उनका काम जो हो रहा है वह बहुत थोड़ा है और प्रांत की आवश्यकता को देखते हुये बिलकुल अपर्याप्त है। इस प्रस्ताव का जो पहला भाग है उससे हमारा काम कदापि नहीं चल सकता। अगर हम निर्यात को रोक कर बाहर से अच्छी गाय, भैंसों को न मंगावेंगे तो हम अपनी उन्नति बहुत समय तक नहीं कर सकेंगे। इसलिये दूसरा भाग जो मैंने अपने संशोधन में रखा है वह बहुत जरूरी है। अच्छी गाय, भैंस दूध के जानवर बाहर से मंगाये जायं और अच्छे सांड़ों का प्रबन्ध किया जाय और कृत्रिम गर्भाधान करा कर भी इस कमी को पूरा किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री शिवनारायण--अधिष्ठाता महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अभी कितने संशोधन बाकी हैं ताकि हमें भी मालूम हो जाय कि हम लोगों को भी बोलने का अवसर मिलेगा या नहीं।

अधिष्ठाता—केवल ३ रह गये हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल—अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री बसंत लाल शर्मा के संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ना चाहता हूं :—

"इन दुधारू जानवरों की नस्लों को सुधारने के लिये पशुधन पालने वालों को सरकार उचित आर्थिक सहायता दे ।"

सदन के सामने इस समय जो संकल्प उपस्थित है उस के उद्देश्य का जहां तक सम्बन्ध है मैं माननीय बसंतलाल जी से सहमत हूं । उनका इस संकल्प .....

श्री हुकुमसिंह—श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में एक बात जानना चाहता हूं कि क्या इस संशोधन का ठीक नोटिस है, क्योंकि यह हमारे एजेंडा पर तो है नहीं ?

अधिष्ठाता—यदि मन्त्री जी को इस अमेंडमेंट के बारे में कोई आबजक्शन है तो फिर मैं इसको न लूं ।

श्री हुकुमसिंह— तो क्या मैं यह समझूं कि इसके लिये प्रापर नोटिस नहीं है ?

अधिष्ठाता—नहीं ये संशोधन लास्ट मिनट पर यानी साढ़े बारह बजे के करीब आये थे और स्पीकर महोदय ने यह हिदायत दी कि यदि हाउस की उच्छा हो तो ले लिया जाय ।

श्री हुकुमसिंह—मुझे कोई एतराज नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल—तो मैं कह रहा था कि बसंतलाल जी का जो मंशा है कि इस प्रदेश के अन्दर शुद्ध घी और दूध मिल सके और खेती के लिये अच्छे पशु मिल सकें इससे मैं सहमत हूं लेकिन उन्होंने इस बात पर जो ज्यादा जोर दिया है कि यह सब तभी हो सकेगा जब हमारे पशुओं का बाहर जाना बन्द हो, इसके लिये मेरा कुछ सुझाव है कि यह बाहर जानेवाली पाबन्दी पशुधन की उन्नति के लिये नहीं है, बल्कि हमारे प्रदेश की जनता को यहां के किसानों को भारी संकट में डाल देगी । सभी लोग जानते हैं कि जिन दिनों सरकार ने सीमेंट, लोहा, चीनी और गुड़ वगैरह पर कंट्रोल लगाया कि ये चीजें प्रदेश के बाहर न जायं तो उससे आम जनता को बड़ा भारी कष्ट हुआ और इतना करप्शन हुआ जिसकी वजह से यह सरकार काफी बदनाम भी हुई । इसी तरह से यह आये दिन जो काम आने वाले पशु हैं किसानों के जो कि सीमा के निकटवर्ती दूसरे प्रदेश हैं जिनका बड़ा भारी सम्बन्ध दूसरे प्रदेश की जनता से होता है अगर यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय तो इस प्रदेश के लोगों को और प्रदेश के बाहर के लोगों को दोनों को कष्ट होगा, बड़ी भारी कठिनाई होगी ।

श्री कृष्णशरण आर्य—माननीय सदस्य संकल्प का समर्थन कर रहे हैं या विरोध ।

अधिष्ठाता—आप जरा धैर्य रखिये, समझ में आ जायगा, मेरे ख्याल से वह समर्थन कर रहे हैं ।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—वह निर्यात का विरोध कर रहे हैं ।

अधिष्ठाता—मैं माननीय विकल जी से जानना चाहूंगा कि आप इसका विरोध कर रहे हैं या अपने अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल—मेरा मंशा यह है कि प्रदेश में अच्छा दूध घी-मिले, जानवरों की अच्छी नस्ल हो, इसका समर्थन मैं करता हूं, लेकिन बाहर जाने के लिये मैंने सुझाव दिया है कि बाहर जाने से प्रतिबन्ध लगाने पर कोई खास फायदा नहीं होगा ।

श्री कृष्णशरण आर्य--अधिष्ठाता महोदय, विकल जी का संशोधन इस संकल्प क अन्त में जोड़ने के लिये है। इसका आशय हैं कि वे निर्यात के सिद्धांत को मानते हैं और उसके बाद आप उसके विरोध में भी बोल रहे हैं।

अधिष्ठाता--(एक क्षण ठहर कर और संशोधन को पढ़ने के पश्चात् श्री रामचन्द्र विकल से) अमेंडमेंट तो आप का ठीक है आप बोलिये।

(श्री कृष्णशरण आर्य से) उनका अमेंडमेंट ठीक है और वे केवल सुझाव दे रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--तो मैं कह रहा था कि आज काफी माननीय सदस्यों ने इस अच्छे दूध और घी के सवाल को और उत्तम जानवरों के सवाल को गोवध बन्दी से जोड़ दिया है। वैसे मैं भी अपने को बड़ा भारी गोरक्षक समझता हूं और गो की हत्या हर्गिज पसन्द नहीं करता कि इस प्रदेश में गोवध हो, लेकिन निर्यात रोकने का प्रश्न तो इस सवाल से बिलकुल नहीं जुड़ता। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की इसी सभा ने एक बड़ा अच्छा विधेयक पास किया है और उस विधेयक का इस प्रदश में ही नहीं, बाहर भी स्वागत हुआ है और हमारे पड़ोस के प्रदेश बिहार में भी इस प्रदेश के बाद गोवध का एक विधेयक पास हुआ है। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि पंजाब सरकार भी गोवध को रोकने के लिये शीघ्र ही बहुत प्रयत्नशील है और वह जल्दी ही इस सम्बन्ध में विधेयक ला रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में गोवध लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो छोटे-छोटे प्रान्त हैं उन प्रान्तों में ही नहीं, वरन् हिन्दुस्तान भर से यह आशा की जाती है कि यह विधेयक सारे देश भर में आयेगा और जो आशंका गो के सम्बन्ध में इस सदन में की जा रही है वह शायद दूर हो जायगी। अब यह संकल्प जो यहां पेश किया गया उसमें अधिक बल इस बात पर है कि माननीय बसन्त लाल जी यह कहते हैं कि सरकार शीघ्र ऐसा विधेयक इस सदन के सम्मुख उपस्थित करे, जिससे प्रदेश के बाहर पशुओं का जाना रुक जाय। यह स्वाभाविक है कि जब एक कानून इस किस्म का बनेगा हमारे उत्तर प्रदेश में कि हमारे पशु बाहर न जा सकें तो यह हो नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में एक विधेयक पास हो इस बारे म, और फिर पड़ोसी प्रदेश चाहे पंजाब हो, विन्ध्य प्रदेश हो, मध्यभारत हो या बिहार हो वे इस बारे में न सोच सकें कि उत्तर प्रदेश अपने किसी लाभ के लिये कोई कानून बना सकता है तो वे क्यों नहीं बना सकते और पंजाब से जो अच्छी नस्ल की गायें आती हैं उनका आना भी बन्द हो जाय...

अधिष्ठाता--विकल जी आप बैठ जाइये। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप का संशोधन इस प्रकार है कि संकल्प के अन्त में ये शब्द जोड़ दिये जायं और मूल रिजोल्यूशन यह है कि "प्रदेश की गाय और भैंस और उनके वंशजों का निर्यात अविलम्ब रोका जाय" जिसके मानी यह हैं कि आप मूल रिजोल्यूशन को मानते हैं कि रोका जाय और बोलते यह हैं कि निर्यात न रोकना चाहिये यानी आप कांट्रेडिक्शन में बोल रहे हैं। यह कुछ इर्रेलिवेंट सा है, ऐसी बात चलेगी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल--म अपने विचार रख रहा हूं।

अधिष्ठाता--मगर विचार ऐसे होने चाहिये जो मूल प्रस्ताव है उससे असंगत न हों।

श्री रामचन्द्र विकल--पहले मैंने एक छोटा संशोधन रक्खा था और वह इसी तरह का था जिससे मेरा यह मतलब पूरा हो जाता था।

अधिष्ठाता--मैं तो उसको देखूंगा जो आपने मुझे दिया है। मैं पहले वाले को नहीं जानता।

श्री रामचन्द्र विकल—इसीलिये जो दूसरा पहलू है उसको भी मैं रख रहा हूं।

अधिष्ठाता—अच्छा आप चलिये।

श्री रामचन्द्र विकल—मैं प्रस्तावक महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जो उनका उद्देश्य है कि इस प्रदेश के पशुधन से वे शुद्ध घी व शुद्ध दूध उपलब्ध करने के लिये उनका निर्यात बन्द करना चाहते हैं, लेकिन मैं यह उचित समझता हूं कि इस प्रदेश में कानूनी बंधनों को हटा कर उन किसानों को जो पशु पालते हैं उनको ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय कि उत्तम किस्म के पशु इस प्रदेश के हों और उत्तम किस्म के पशु जब इस प्रदेश के होंगे तो शुद्ध घी व शुद्ध दूध उपलब्ध हो सकेगा। किसानों में और जो पशु पालने वाले लोग हैं उनमें इस बात की कमी पाई जाती है। सरकार द्वारा उनको थोड़ा बहुत जब पुरस्कार मिल जाता है किसी मेले वगैरह में तो उनको प्रोत्साहन मिलता है कि वे अच्छे किस्म के जानवर रक्खें। सरकार अगर ऐसा प्रोत्साहन देती रहे तो अच्छे किस्म के जानवर रखने की ओर किसान अधिक ध्यान देगा और शुद्ध घी व शुद्ध दूध उपलब्ध हो सकेगा। अच्छी नस्ल के पशु बढ़ाने के लिये हमको जो पाउडर्ड मिल्क बाहर से आता है उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। ट्रैक्टर्स द्वारा खेती करने पर सरकार कम से कम धन खर्च करे। तो ट्रैक्टर जब नहीं होगा, अच्छे किस्म के पशु होंगे और अच्छे किस्म के पशु होने से जो उनकी मंशा है वह पूरी होगी। यही मैं अपने विचार रखते हुये इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—माननीय सभापति जी, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि संकल्प के अंत में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

> "एवं राज्य सरकार से यह सदन आग्रह करता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोसंवर्धन की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय। प्रदेश में और भी गोसदनों की स्थापना की जाय, भूमि व्यवस्था में इस प्रकार का सुधार किया जाय जिससे गांव-गांव में गोचर भूमि-उपलब्ध हो सके और 'अधिक चारा उपजाओ' यह आन्दोलन और आयोजन प्रान्त भर में चलाया जाय।"

सभापति जी, मैं इस संकल्प का जो आज सदन के सामने उपस्थित है समर्थन करता हूं और यह समझता हूं कि यह संकल्प हमारे उस विधेयक का एक पूरक अंग है। उसको पूरा करता है जो गोवध निषेध के लिये हमने इस सदन में पास किया है। जितने महत्व का हमारा वह विधेयक है जिसके द्वारा अपने प्रदेश में गाय और गाय के वंशज का वध निषेध हमने किया है और जिसकी सराहना आज सारे देश में हो रही है केवल सराहना ही नहीं, दूसरे प्रदेश जैसे बिहार इत्यादि उसका अनुकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं उस महत्वपूर्ण विधेयक का, यह संकल्प एक पूरक हिस्सा है। यदि इस विधेयक को पास कर के हम चुप हो जाते, तो मुझे संदेह है कि उसके सफलतापूर्वक अमल होने में हमारे प्रदेश में कठिनाइयां पड़तीं। यानी गोवध निषेध करके यदि हम ऐसी व्यवस्था न करें, गाय के पालन और उसके संवर्धन की तो गोवध निषेध भी सफल नहीं हो सकता। हमारे सदन में जो रिपोर्ट गोसंवर्धन की पेश हुई थी उसमें दोनों हिस्से थे। एक तरफ तो उस कमेटी ने गोवध के निषेध की सिफारिश की थी और दूसरी तरफ उसने ही विस्तारपूर्वक और योग्यतापूर्वक उन्होंने और बहुत सी सिफारिशें की थीं जो गोपालन के लिये और गोसंवर्धन के लिये आवश्यक है। यह हमारा संकल्प आज उन्हीं सिफारिशों की तरफ उत्तर प्रदेश में उनको अमल में लाने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करता है।

पहले विधेयक में हमने गाय के वध का निषेध किया और इस संकल्प के द्वारा हम गाय और दूसरे दुधारू पशुओं को प्रान्त से बाहर जाने के निर्यात पर रोक लगाना चाहते हैं। दोनों से एक ही नतीजा निकलता है कि हमारे यहां पशुओं की संख्या में, जिसकी रक्षा करना

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

हमारा कर्तव्य है, वृद्धि होगी। गोवध निषेध से भी वृद्धि होगी और उनके निर्यात पर रोक लगाने से भी वृद्धि होगी। इसलिये हमारे सामने स्वभावतः यह समस्या आ जाती है कि जब हम संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव और कानून पास कर रहे हैं तो उनके चारे का और उनके पालन का भी समुचित प्रबन्ध हमको करना चाहिये। इसी अभिप्राय से मैंने यह संशोधन सदन के सामने उपस्थित किया है और इस संशोधन के जरिये कुछ उन बातों की तरफ़ सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये बहुत ज़रूरी हैं।

पहली बात तो यह है कि इस समस्या का महत्व जितना हमारा गांव वाला समझता है और जितना किसान समझता है, शायद हम उतना महत्व उसका अभी तक अनुमान नहीं कर पाये हैं। मेरे कहने का कारण यह है कि हम पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं और कुल मिला कर साढ़े तीन सौ करोड़ से अधिक रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च करना चाहते हैं। हमें देखना यह है कि पशुओं की समस्या को हल करने के लिये हम उसमें कितना रुपया खर्च कर रहे हैं और कितने उपाय काम में ला रहे हैं, क्योंकि दोनों का परस्पर संबंध है। यदि आप पशुओं की रक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते तो मनुष्यों की रक्षा और उनकी उन्नति भी नहीं हो सकती। पशु और मनुष्य दोनों एक दूसरे की उन्नति में सहायक हैं। इस दृष्टिकोण से ही हमें अपनी सारी योजना बनानी चाहिये। पंचवर्षीय योजना में हमको इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

हमारे प्रदेश में, अगर सारे संसार के आंकड़े लें तो पशुओं की संख्या का जितना प्रपोर्शन है, जितना अनुपात है आबादी से, उतना संसार में दूसरी जगह नहीं है और अपने उत्तर प्रदेश की संख्या हम लें तो यहां की पशुओं की संख्या उसकी आबादी के अनुपात से अधिक है। इस कारण हमको ऐसा उपाय काम में लाना है, हमारी खेती की भूमि, व्यवस्था की सारी योजना कुछ इस प्रकार से बननी है, जिसमें इतनी बड़ी पशुसंख्या की सम्भाल, रक्षा और पालन हम कर सकें। अभी तक इतनी बड़ी संख्या के पालन में किसान समर्थ हुआ है, उसका कारण है मिक्स्ड फार्मिंग, यानी हमारे यहां खेती और पशुपालन दोनों साथ-साथ चलें। जिसके जरिये से गरीब किसान और इतनी बड़ी जन-संख्या, छः, साढ़े छः करोड़ की हमारे उत्तर प्रदेश की संख्या और लगभग ३ करोड़ हमारे पशुओं की संख्या, उन दोनों का पालन होता रहा। क्योंकि किसान मिक्स्ड फार्मिंग, दोनों काम एक साथ करता है, खेती और पशुपालन भी और दोनों से एक दूसरे में मदद मिलती है। अब इस क्रिया को हमें और आगे बढ़ाना है और उसके लिये उसी प्रकार का आन्दोलन हमें प्रान्त में चलाना चाहिये, जैसा हमने "अधिक अन्न उपजाओ" का चलाया और "अधिक वृक्ष लगाओ" का, वन-महोत्सव का चलाया। इसी तरह से आवश्यकता इस बात की है कि "अधिक चारा उपजाओ" यह आन्दोलन सारे प्रान्त में चलाया जाय। और इसके लिये कई सिफ़ारिशें मैं इस सदन के और सरकार के सामने उपस्थित करता हूं। एक तो यह है कि उत्तर प्रदेश में इसकी पंजाब की बनिस्बत बहुत कमी है। वहां से जो हमें अच्छे, दुधारू पशु, गाय और बैल प्राप्त होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां का किसान अपनी खेती के साथ में एक हिस्सा, एक बीघा, दो बीघा हरे चारे की भी खेती करता है और हरा चारा वहां के जानवरों को मिलता है जिसकी वजह से वे दूध भी बहुत ज्यादा देते हैं और उनके बछड़ों की नस्ल भी बहुत अच्छी होती है। उस चारे का हमारे प्रदेश में बिल्कुल अभाव है। उसकी खेती का भी अभाव है। हमारे कृषि विभाग ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे चारे की खेती की वृद्धि हमारे प्रदेश में हो। इस समय आवश्यकता यह है कि कोई इस प्रकार की एक कमेटी बैठे जो पशु विभाग, कृषि विभाग और गांव सभा इन सब का प्रतिनिधि रूप हो और सब सम्मिलित रूप से विचार करें कि हम अधिक चारा इस प्रदेश में कैसे पैदा कर सकते हैं। ५ फ़ीसदी या १० फ़ीसदी ज़मीन पर हरे चारे की खेती करना लाज़िमी कर देने में भी कोई अनुचित बात नहीं होगी। एक दफ़ा किसान उसका लाभ देख लेगा फिर तो स्वेच्छा से वह करेगा जैसे पंजाब का किसान करता है।

इसी तरह से आज गांवों में सार्वजनिक चरागाहों का अभाव हो गया है और किसान महसूस करता है कि उनके जानवरों के चरने के लिये क्या जगह निकलने की भी नहीं रही है ? तो वह कमेटी कोई ऐसी योजना बनायेगी, जिससे सार्वजनिक चरागाहों की व्यवस्था होगी और वर्षों की परती जमीन जो करीब १ करोड़ हो सकती है उस की भी हम उपयोग में ला सकते हैं जैसे कि कई तरह की फ़स्लें बो कर कि जिससे चारा भी हो जाय और उसके बाद रबी की फ़सल के लिये वह जमीन और अच्छी तैयार हो जाय। ऐसी फ़सलें हम अगर परती जमीन में वर्षा के दिनों में बोयें तो बहुत लाभ हो। इसी तरह से जितनी जमीन नहरों के किनारे और जंगलों में है उस सब में भी हमें ऐसी घासें पैदा करनी चाहिये जो चारे के काम में आ सकें, जैसे लोबिया, पाराघास, नेपियन, बरसीम। ये ऐसी हैं जो नहर के किनारे और जंगलों में आसानी से पैदा हो सकती हैं। बुन्देलखंड में मूसल घास पैदा की जा सकती है। यह केवल किंवदन्ति ही नहीं है जो हमारे यहां प्राचीन काल से चल रही है कि यह पृथ्वी गाय के सींग पर स्थित है। हमारे मनुष्यों की इतनी बड़ी जनसंख्या के पालन का भार गायों पर निर्भर है और हमारी संस्कृति का तकाजा यह है कि जो सब से कमजोर हैं, जिनको अन-एकोनामिक कह कर आप छोड़ देते हैं उनकी रक्षा का हम सब से पहले प्रयत्न करें। गाय इसमें आती है। गाय को हमने अन-एकोनामिक बना रखा है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय ....

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—अधिष्ठाता महोदय, मैं एक प्रश्न आपसे यह करना चाहता हूं कि यह संशोधन इलेवन्थ आवर पर लिया जा रहा है तो ऐसा होना चाहिये....

अधिष्ठाता—मैं यह बता देना चाहता हूं कि इलेविन्थ आवर पर मैं इसको नहीं ले रहा हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री—अधिष्ठाता महोदय, हम यह चाहते हैं कि औरों को भी मौका दे दिया जाय।

अधिष्ठाता—स्पीकर साहब से आप बात कर लीजिये। जैसी उनकी आज्ञा थी मैं तो उसका पालन कर रहा हूं।

श्री नवलकिशोर—अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि माननीय शर्मा जी ने इस सदन में संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसमें यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस संकल्प की पंक्ति ५ में शब्द "विधेयक" के उपरान्त शब्द "राष्ट्रपति की अनुमति से" जोड़ दिये जायं तथा जो अंतिम पंक्ति है उसमें शब्द "वंशजों" के बाद के शब्द हटाकर उनके स्थान पर "के निर्यात पर उचित प्रतिबन्ध लगाया जा सके" जोड़ दिये जायं।

मान्यवर, मेरे संशोधन के बाद संकल्प की यह रूपरेखा हो जाती है :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि आजकल राज्य में शुद्ध घृत तथा दूध एवं कृषि-योग्य उत्तम पशुओं की अत्यधिक कमी है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा कृषि को उन्नतिशील बनाने में पर्याप्त बाधा पहुंचती है अतः यह सदन राज्य सरकार से अनुरोध करता है कि वह शीघ्रातिशीघ्र कोई ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से सदन में लाये जिसके द्वारा दुधारू पशुओं की नस्ल के रक्षार्थ उत्तर प्रदेश से गाय तथा भैंस और उनके वंशजों के निर्यात पर उचित प्रतिबन्ध लगाया जा सके।"

श्रीमन्, यह जो संकल्प है इसके दो भाग हैं। एक का तो सम्बन्ध फैक्ट्स से तथा वस्तु स्थिति से है, दूसरे का सम्बन्ध इस बात से है कि यह वस्तुस्थिति किस तरह से सुधर सकती है। इसमें कहा गया है कि हमारे प्रदेश में दूध देने तथा कृषि योग्य पशुओं की अत्यधिक कमी है जिसके कारण कृषि तथा स्वास्थ्य की उन्नति में काफी बाधा पहुंचती है। यह उचित ही बात है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते हैं।

[श्री नवलकिशोर]

हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में ७ करोड़ २२ लाख एकड़ भूमि है, जिसमें से ४ करोड़ ९२ लाख एकड़ खेती के अन्तर्गत आती है और जैसा कि हमारे माननीय माल मंत्री जी का विचार है टैक्टरी से खेती करना न उचित है, न इकोनामीक है और न लाभदायक ही है। यदि इसको मान लें तो ४-५ एकड़ के किसान जो हैं उनके लिये कम से कम एक बैलों की जोड़ी की आवश्यकता होगी। लेकिन आपके जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं उनसे मालूम होता है कि हमारे पास ५० लाख जोड़ी बैल हैं जिनसे और भी काम होते हैं जैसे गाड़ी का काम है, रेहट का काम है तथा ट्रांसपोर्ट का काम है तो हमारे यहां खेती में ३५ लाख के करीब बैल की जोड़ी हैं और हमें आवश्यकता एक करोड़ की है, इसके माने हैं कि ६५ लाख जोड़ियों की और आवश्यकता है।

जहां तक घी और दूध का सम्बन्ध है यह उचित ही बात है दूध आमतौर से शुद्ध नहीं मिलता है। यही शुद्ध घी का हाल है कि असली घी नहीं मिलता। अगर कोई असली के नाम पर खरीदता है तब भी अच्छा नहीं मिलता है। आज ऐसी स्थिति है, इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं कि हमारी सरकार ऐसी योजना बनाये जिससे दूध देने वाले और खेती के योग्य पशुओं की उन्नति हो और बढ़ोत्तरी हो।

मुझे इस सम्बन्ध में यह भी कहना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारी सरकार के पास ऐनीमल हस्बैंडरी डिपार्टमेंट है और मंत्री जी उसके इंचार्ज हैं और इसने पिछले ५ सालों में काफी काम किया है परन्तु समस्या इतनी भीषण है, इतनी व्यापक है कि जितना काम किया गया है वह हमारी स्थिति और आवश्यकता को देखते हुये बहुत कम सा प्रतीत होता है इसके बाद माननीय शर्मा जी ने इसमें एक उपाय बतलाया था और वह यह कि यहां के दुधारू जानवरों का निर्यात हम अपने प्रदेश से दूसरे स्थानों के लिये बंद कर दें। सरकार अगर कोई ऐसा विधेयक लाये तो इससे उनका ख्याल है कि दूध देने वाले जानवरों की प्रदेश में बढ़ोत्तरी होगी और उनकी रक्षा हो सकेगी। मैंने जो आपके सामने संशोधन पेश किया है उसकी वजह यह है कि मुझे यह संदेह था कि यदि हम उनका प्रस्ताव जिस रूप में है इसी में रखें तो शायद हमारी सरकार को उसे पास करने में आपत्ति हो सकती है। क्योंकि हमारा जो संविधान है उसकी धारा १९ में फ्रीडम आफ ट्रेड की बात कही गयी है कि हर मनुष्य को फ्रीडम आफ ट्रेड है और उसकी धारा ३०१ के अन्दर यह है कि हमारा भारत जो देश है उसकी जितनी टेरीटेरीज हैं उनके अन्दर इंटर स्टेट ट्रेड की भी पूरी-पूरी फ्रीडम दी जायगी। लेकिन इसके साथ ही साथ धारा ३०४-बी में एक प्राविजन है और उसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

"The State Legislature of a State may by law impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or inter-course with or within that State as may be required in the public interest:

Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (*b*) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President."

तो इसके अंदर दो बातें हैं। उन्होंने यह तो अधिकार दिया है कि हमारी स्टेट असेम्बली, स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसीडेंट की अनुमति से इस प्रकार का कानन पास कर सकती है कि जिससे एक किस्म का प्रतिबन्ध स्टेट के भीतर लगाया जा सकता है। तो हम जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, हालांकि इंपोर्ट की बात इसमें नहीं कही गयी है, इसमें बंद करना चाहते हैं उसमें यह एक कानूनी दिक्कत थी और इसलिये इसको हटाने के लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है।

अब इस संबंध में मुझे यह कहना है कि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर दूध देने वाले जानवर हमारे प्रदेश से बाहर जायेंगे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हमारे अच्छे-अच्छे जानवर बाहर चले जायं, जो कि आलरेडी हमारे यहां बहुत कम हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि केवल

इतना ही करने से शर्मा जी का मकसद पूरा होने वाला नहीं है। आज गायों और भैंसों की नस्ल को अच्छा करने के लिये हमको जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उनमें सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमारे अन्य बहुत से भाइयों ने कही, अच्छे सांड़ों की है। अच्छे सांड़ हमारे पास होने चाहिये। हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में अच्छे सांड़ों की कमी है। दूध के लिये साहीवाल और खेती के लिये हरियाना ब्रीड की जरूरत होती है और दोनों किस्म के सांड़ों को हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। कुछ सांड़ों को गवर्नमेंट फार्म पर पैदा किया गया है, लेकिन आपके फार्म्स उतनी तादाद में इन सांड़ों को पैदा नहीं कर सकते जितनी कि प्रदेश में उनकी मांग है। इसके लिये सरकार ने कुछ आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन सेंटर भी खोले, लेकिन जब उनके आंकड़े मंगाये गये तो यह भी देखा गया कि कुछ ऐसे इंसीमिनेशन सेंटर हमारे प्रदेश में है कि उनमें उतनी गायें और भैंसें भी नहीं आयीं जितनी की नेचुरल कोर्स में सर्विस हो सकती थी। यह किसानों के अन्दर पापुलर नहीं हो पाया है और वह इससे कुछ प्रिजुडिस से हैं। मैं समझता हूं कि जब हमें अच्छे सांड़ों की जरूरत है तो सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से इस तरीके को पापुलर करने के लिये भी काफी प्रोपेगेंडा होना चाहिये और इसके लिये कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिये। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही साथ दूसरी चीज गोसदन की है। हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या इस बात की है कि जो बूढ़े और अपाहिज जानवर हैं उनका क्या होगा? सरकार ने दो गोसदन खोले हैं? जिनकी कैपेसिटी एक हजार जानवरों की है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है शायद ५०० या साढ़े ५०० से ज्यादा जानवर वहां किसी तरह से नहीं पहुंचे हैं। अखबारों में जो खबर छपी है उन पर अगर विश्वास किया जाय तो मैं यह भी बताऊं कि जो किसान वहां पर अपने जानवर भेजते हैं उनको यह भ्रम है कि जो जानवर वहां जाते हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से यह गलतफहमी जो किसानों के मध्य में है, उसको दूर किया जाय। यदि गोसदन में कोई कमी है तो वह दूर होनी चाहिये। वह आदर्श किस्म के गोसदन बनने चाहिये, जिससे अपाहिज और बूढ़े जानवर वहां पर जा सकें और रह सकें।

इसके बाद गोशालाओं का प्रश्न आता है। सरकार ने गोशाला फेडरेशन कायम किया है और शायद सरकार के पास उसके लिये एक योजना भी है। उन गोशालाओं में केवल अपाहिज जानवरों का पालन और परवरिश हो इस बात को छोड़कर यदि इसके साथ साथ वह दूध बेचने का काम करे और अच्छे सांड़ का प्रबन्ध करे तो इससे अधिक लाभ हो सकता है। उसके अन्दर सरकार ने २६ हजार रुपये दिया है। मैं समझता हूं कि वह सब रुपया आपके सेक्रेटरियट में ही खत्म हो जाता है। मेरे ख्याल में वहां पर अच्छे किस्म के जानवर रखकर दूध का प्रबंध किया जाय तो आपका गोशाला फेडरेशन अच्छा काम कर सकता है। मैं इस विचार का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि उसको जीवित किया जाय और उसमें जान डाली जाय। जो फेडरेशन है उसके अन्दर इस बात की कोशिश की जाय कि गाय भैंस की जो ब्रीडिंग हो उसका इम्प्रूवमेंट किया जाय, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ सकता है।

इसके साथ साथ माननीय गुप्त जी ने एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने उठाया जो चारे और चरागाह का है। हमारी सरकार ने इस विषय में कई अनुसंधान किये हैं और आज भी कई अनुभव किये जा रहे हैं और इस साल के बजट में इसके लिये शायद एक लाख रुपया रखा गया है। यह अनुभव किया जा रहा है कि कौन सा घास अच्छा है और कौन सा पापुलर हो सकता है। जहां तक सरकार की स्कीम का ताल्लुक है वह स्कीम अच्छी है और मैं सरकार को उसके लिये धन्यवाद देता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार की कोई भी बढ़िया योजना हो जब उसका एक्जिक्यूशन होता है तो उसके पीछे वह भावना नहीं रहती है, जिसको लेकर सरकार चलती है या चलना चाहती है और जिस भावना को लेकर वह स्कीम बनायी जाती है। वह भावना बात में नहीं रहती।

श्री हुकुमसिंह--क्या यह बजट पर डिस्कशन हो रहा है ?

श्री नवलकिशोर--जो यह चरागाह की समस्या है और हमारे चारे की समस्या है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपकी स्कीमें जरूर हैं। लेकिन उनमें कमी हैं। जितना फायदा सरकार को पहुंचना चाहिये उतना फायदा नहीं पहुंचता है। इसके साथ-साथ और भी बहुत सी चीजें सरकार की तरफ से हो रही हैं।

इसी तरह की टीके की बात है। वह अच्छी स्कीम है। कई लाख जानवरों के टीके लगाये गये हैं। वह स्कीम चल रही है यह उचित बात है लेकिन इसके साथ जो बुनियादी चीज है वह यह है कि आज इस बात को सोचना है कि जब हम गाय भैंस की बात करते हैं और जैसा कि कुछ मित्रों ने इशारा किया कि अभी हमने गोबध विधेयक पास किया है ताकि गोवंश बढ़े। आज गाय हमारे देहात के किसान के लिये इकानामिकल नहीं है। वह यह समझते हैं कि गाय के मुकाबले में भैंस इकनामिकल है और आहिस्ता-आहिस्ता देहात में गाय को भैंस रिप्लेस करती चली जा रही है। आज यह भी हमारे सामने एक समस्या है कि हम गाय की ब्रीडिंग को ऊंचा उठावें। आज जो यह संकल्प हमारे सामने आया है इसके पीछे भी इस बात का संकेत है कि यदि हमने गोवध निषेध विधेयक के पास करने के बावजूद भी जानवरों का एक्सपोर्ट करना नहीं रोका और बन्द नहीं किया तो वह जो विधेयक है और उसकी जो मन्शा है वह पूरी होने वाली नहीं है। जहां तक शर्मा जी की यह मन्शा है कि दूध देनेवाली और खेती योग्य जानवरों की रक्षा की जाय वह पूरी नहीं हो सकेगी। इन विचारों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और यह आशा करता हूं कि मैंने जो संशोधन पेश किया है उसको वह और माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

अधिष्ठाता--माननीय रामेश्वर लाल जी का संशोधन आया है कि माननीय श्री बसन्त लाल जी शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विचार हेतु एक सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाय। सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत की जायगी। मैं इसको आउट आफ आर्डर घोषित करता हूं क्यों कि यह कोई बिल तो है नहीं। यह तो प्रस्ताव है जो सरकार के लिये एक सिफारिश की चीज है।

*श्री रामकुमार शास्त्री--माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश के अस्वस्थ जनसमुदाय और पशुसमुदाय की उन्नति के लिये यह संकल्प रखने वाले माननीय सदस्य को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। दूध और घी यहां के रहने वालों को अधिक मात्रा में मिले, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं और न इसका विश्लेषण या व्याख्या करने की आवश्यकता है। इस संकल्प में जो "निर्यात" का शब्द रखा गया है उसका एकमात्र अभिप्राय यह है कि गोबध न हो और उनकी रक्षा हो। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं की इन सब की रक्षा और वृद्धि उनके निकट ही है। यदि वह इतने सदस्यों का समय नहीं लेते और निकट ही में हमारे कृषि मंत्री जी से कह देते तो बहुत कुछ हम लोगों की समस्या हल हो जाती। आपका आराजी कानून, जो शैतान की आंत बना हुआ है, उसे अगर देखा जाय, और अनुभव हम सदस्यों को अच्छी तरह से है ही, कि इस प्रदेश के निवासी जिनके पास काफी जमीन नहीं है, इस लालच में कि जमीन मिल जाय और कब्जे का जो कुछ ढंग रखा गया है, इससे प्रकट है कि हम लोग अगवारा और पिछवारा सब जोतते चले जाते हैं। यहां तक कि खलिहान तक को हम जोतते चले जाते हैं। तो वे गाय और भैंस क्या खावेंगी ? हम पूर्वी जिलों के निवासियों का यह अनुभव है कि जमुनापारी बकरियां ज्यादा दूध देती हैं लेकिन हमारे यहां की गाय भैंसें कम। यह दूसरी बात है कि बरसात में वे २,३

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेर दूध दे दें लेकिन आगे चलकर बैसाख और जाड़ों में बिरले ही गाय या भैंस सेर भर दूध देती होगी। तो माननीय माल मंत्री को ऐसी व्यवस्था हमारे सामने करनी चाहिये कि जिससे हम चरागाह पर्याप्त मात्रा में कायम कर सकें। ज्यों-ज्यों हम इसमें विलम्ब करते जायेंगे त्यों-त्यों हमारे स्वास्थ्य की रक्षा नहीं होगी। मैं एक उलाहना सरकार को देना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी को और उनके विभाग को देना चाहता हूं।

अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य का ध्यान शब्द "उलाहना" की ओर दिलाऊंगा। यह प्राईवेट में दिया जाता है, सदन में नहीं।

श्री रामकुमार शास्त्री—मेरा मतलब आम विभाग से है। बांसी ट्रेजरी में हमने २ बछड़ों के लिये रुपया जमा कर दिया है ताकि हमारे यहां कृषि और दूध घी अच्छी तरह से हो सके। कृषि के लिये पूर्वी जिलों को हरियाना, खैरीगढ़ और साहीवाल के बछड़े नहीं मिलते हैं। पूर्वी जिलों के निवासियों की आर्थिक स्थिति बाढ़ और सूखा की वजह से बहुत ही बिगड़ी रहती है। अगर एनीमल हसबैंडरी विभाग ध्यान दे तो हम लोगों का काफी कल्याण हो सकता है। मैं इस संकल्प के रखनेवाले महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि हमारी सिफारिश कृषि मंत्री से करें कि वह अपने विभाग को ऐसा आदेश दें कि शीघ्र से शीघ्र ऐसे बछड़ों को वे बांसी और गोरखपुर और दूसरी जगह जहां जरूरत हो भेजें। कृषि मंत्री जी ने यहां गोरक्षा या गोवध के सम्बन्ध में विधेयक पास कराया, इससे और जगह उपकार हुआ हो या न हुआ हो, मेरी बीती कहानी है कि मुझे तो उससे बहुत लाभ हुआ है। जनरल एलेक्शन के समय १०० गाय हमेरी-तिलोरी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाई गयी और उनके लिये यह कथन था कि ये वध होने के लिये जा रही हैं लेकिन इस विधेयक द्वारा अब यह बात दूर हो गयी है और हमारे मस्तक पर जो कलंक का टीका लगा हुआ था वह छूट गया है। निर्यात के सम्बन्ध में मैं संकल्प रखने वाले महोदय को बताये देता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से हमारी अड़चनें दूर हो जावेंगी। आर्थिक दृष्टि से भी उन लोगों का कल्याण होगा ही, जिनको गरीबी के कारण डालडा पर निर्भर रहना पड़ता है या जिनको यह भी नहीं मिल पाता है। यह संकल्प हमारे स्वास्थ्य के लिये और पशुधन के लिये बहुत ही शुभ है और मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह संकल्प यह चाहता है कि हमारे प्रदेश से पशुधन बाहर न जाय। गाय, भैंस, बैल इत्यादि बाहर न जावें और कामना जो इस सदन के कतिपय सदस्यों ने अपने भाषणों में प्रकट की है वह यह है कि बाहर से यह धन हमारे यहां आवें। हमें सबसे पहले यह विचार करना होगा कि हमारे यहां जो पशुधन है वह अधिक है या कम। यदि वह कम है तो यह निश्चय है कि अगर हम उसे बाहर के हाथों बेचेंगे तो हम इसलिये बेचेंगे कि हमें अधिक से अधिक पैसे मिलें, मुनाफा हो और यदि मुनाफा नहीं है तो फिर बाहर भेजने के लिये कोई आदमी भी तैयार नहीं होगा। क्योंकि यह कायदा है कि जब आदमी के पास किसी भी सामान की कमी होती है तो वह उसको बेचना पसन्द नहीं करता और अगर बेचना पसन्द करता है तो अधिक से अधिक पैसा लेता है, यह माननीय सदस्यों ने मंहगी के जमाने में देखा होगा। खरीदने का भी यही क़ायदा है कि जब अपने यहां से कोई चीज आदमी को दूसरे स्थान पर सस्ती मिलती है तब दूसरे स्थान से वह खरीदता है। हमें यह विचारना होगा कि हमारे पूरे देश में पशुओं की जो कमी है वह हमारे उत्तर प्रदेश से कम है या अधिक है। यह सन् ५१ की सेंसस रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि हमारे पूरे देश में पशुधन की बहुत कमी है। यह कमी जो देश में है वह मजबूर करती है दूसरे प्रान्त वालों को भी और हमारे प्रान्त को भी हम अधिक से अधिक अच्छी नस्ल पैदा करें और उसकी उन्नति करें। सब लोग इसके लिये प्रयत्नशील हों। जब आपके यहां कमी है तब हमें दूसरे देशों से मंगाना होगा। हमारे पूरे देश में ६ करोड़ बैल हैं। हमारे प्रान्त में ६२ लाख बैल हैं। हमारे यहां ४ करोड़ एकड़ में खेती होती है। एक करोड़ हलों के लिये २ करोड़ बैलों की आवश्यकता है। हमारा देश गांवों में फैला हुआ है, यातायात के साधन हमारे यहां अभी अच्छे

[श्री रामेश्वरलाल]

नहीं है, इसलिये अपने सामान को शहरों में पहुंचाने के लिये ५० लाख गाड़ियों के लिये १ करोड़ बैलों की आवश्यकता है। इस प्रकार से ३ करोड़ बैलों की हमें आवश्यकता है। और पूरे देश में ६ करोड़ बैल हैं तथा हमारे प्रान्त में केवल ९२ लाख हैं। हमारे यहां सवा करोड़ परिवार आबाद हैं। यदि एक परिवार के लिये एक गाय भी रक्खी जाय तो सवा करोड़ गायों की हमें आवश्यकता है।

अधिष्ठाता--आप मुझे मुखातिब होकर कहें।

श्री रामेश्वरलाल--श्रीमन्, मैं आपकी तरफ ही हूं। केवल मेरा रुख उधर है।

अधिष्ठाता--आपका रुख भी इधर होना चाहिये।

श्री रामेश्वरलाल--हम इस प्रकार से देखते हैं कि जितने पशुओं की हमें आवश्यकता है उतने पशु हमारे यहां नहीं हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हम बाहर के प्रान्तों को अपने यहां के मवेशी भेजें या हम उनके यहां से लें। हमारे प्रान्त के स्टेटिस्टिक्स को देखा जाय तो उनके केवल ६ जिले ऐसे हैं जिनमें ३ लाख से अधिक मवेशी होंगे, लेकिन बाकी जिलों में १-२ लाख से कम ही होंगे। अब जब हमारे यहां उनकी बहुत कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिये दूसरे देशों से हमें उनको मंगवाना पड़ेगा तब अपने यहां से देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, बल्कि हमें और बाहर से मंगाना होगा। फिर यह कहां का न्याय है कि हम कहें कि हम तो अपने यहां से नहीं देंगे, लेकिन आपके यहां से मंगायेंगे। श्री बसन्त लाल जी का यह प्रस्ताव कोई नया प्रस्ताव नहीं है। अभी पिछले दिनों २४ मार्च को ठाकुर दत्त जी भार्गव ने यह मांग की थी कि पंजाब और हिसार से ऐसे पशु बाहर न भेजे जायं। हरियाना और हिसार के दुधारू पशु पंजाब के बाहर न भेजे जायं। अगर चारों तरफ से यह मांग हो तो हमारे प्रान्त में मवेशियों और दूध की जो स्थिति है वह भी खराब हो जायगी। क्योंकि उस खराब स्थिति को सुधारने के लिये अच्छे पशुधन को हम बाहर से ही प्राप्त कर सकते हैं। इससे तो प्रोविंशियलिज्म बढ़ेगा, सूबाई झगड़े बढ़ेंगे। जैसे कि बंगाल, बिहार तथा पंजाब में सूबाई झगड़े चल रहे हैं उसी तरह से हमारे प्रान्त को भी अगर सूबाई झगड़े के अखाड़े में आप उतारना चाहते हैं तो इस तरह के प्रस्ताव और संकल्प को यहां रखें। और अगर ऐसा नहीं है, हम सारे देश को एक ही दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, एक ही तराजू पर तौलना चाहते हैं और सारे देश को एक ही साथ देखना चाहते हैं तो हमारे लिये उचित होगा, श्रीमन्, कि हम ऐसा कोई भी संकल्प या प्रस्ताव इस सदन में न रखें न पारित करें।

श्रीमन्, हम यह महसूस करते हैं कि हमारे यहां दूध की कमी है और दूध की कमी के कारण सौ में १६ आदमियों को तो दूध देखने को भी नसीब नहीं होता है। अपने प्रान्त में ही क्या, हिन्दुस्तान में दो छटांक दूध, दही घी का औसत एक आदमी पर पड़ता है। हम इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन इसका एक मात्र इलाज क्या यही है कि हम अपने यहां के पशुओं को बाहर न जाने दें? मैं तो माननीय बसन्त लाल शर्मा के संकल्प का बड़ा स्वागत करता अगर हमारे सामने यह चीज होती कि यहां के पशु बड़ी संख्या में बाहर चले जा रहे हैं। अभी अप्रैल के स्टेटिस्टक को मैंने देखा तो उसके देखने से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे यहां निर्यात तो जीरो (शून्य) है और यातायात पशुओं का ६.५ है। तो हमारे यहां आयात है, निर्यात नहीं है। जब निर्यात होता रहता है और यहां के पशु बाहर जाते तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता कि और कहने को मजबूर होता कि माननीय बसन्त लाल शर्मा जी का संकल्प उचित है, लेकिन निर्यात तो है ही नहीं। यहां के पशुओं को कौन अपने यहां मंगायेगा। हमारे सूबे में थोड़े से पंजाब और हरियाना के ऐसे मवेशी हैं जो मजबूत किस्म के हैं। दूसरे सूबों में तो इससे अच्छी नस्ल के हैं। आप पूर्वी यू० पी० के मवेशियों को ही देख लें, सिवा बलिया की गायों को छोड़ कर जो अच्छे किस्म की होती हैं, मध्य के मवेशियों को देख लें

श्री हुकुम सिंह--बलिया की गंगातीरी गायों के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री रामेश्वर लाल--ऐसा मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी ने सुना ही नहीं । मैंने कहा तो था कि बलिया की गायें अच्छी होती हैं । माननीय मंत्री जी जरा एटेंटिव हो जायं । पूर्वी यू० पी० में सिर्फ बलिया के मवेशी अच्छे किस्म के होते ह । आर्थिक अवस्था अच्छी न होने के कारण लोग अच्छे किस्म की गाय भैंसें नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनको फीड करने में दिक्कत होती है । आज फीड करने की दिक्कत होने की वजह से ही लोग दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह रुपये के बैल पालने को मजबूर हो रहे हैं । फिर श्रीमन् मैं माननीय मंत्री जी से आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर कतई विचार नहीं होना चाहिये, क्योंकि यह विचार करने लायक प्रस्ताव है ही नहीं । जो दूध दही और घी की कमी की बात की गयी है। श्रीमन् इसके ऊपर तो इस सदन में पहले भी चर्चा की गयी है और हम सभी चाहते हैं कि इस प्रदेश में गाय बैल अच्छे किस्म के हों और उसकी तरफ सरकार एक अच्छा कदम उठावे । लेकिन आज जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है वह कोई ऐसा संकल्प नहीं है, जिसको पास करने से हमारे प्रान्त का कोई बहुत बड़ा कल्याण हो सके । श्रीमन्, आखिर इस प्रदेश के बाहर भी बहुत से मेले पशुओं के लगते हैं, जैसे सोनपुर है, पंजाब में भी मेले लगते हैं.....

श्री हुकुमसिंह--सोनपुर इस प्रान्त में नहीं है, बिहार में है ।

श्री रामेश्वरलाल--श्रीमन्, मैंने कहा कि इस प्रदेश के बाहर भी बहुत बड़े मेले पशुओं के लगते हैं ?

अधिष्ठाता--माननीय मंत्री के कहने का मतलब यह था कि इस प्रान्त में भी बड़े-बड़े मेले लगते हैं ।

श्री रामेश्वरलाल--इस प्रान्त में भी बड़े-बड़े मेले लगते हैं, लेकिन मैंने कहा कि इस प्रान्त के बाहर भी मेले लगते हैं । जहां अच्छे-अच्छे किस्म के मवेशी आते हैं । यह मैं मानता हूं कि यहां भी मवेशियों के मेले लगते हैं लेकिन पूर्वी यू०पी० के लोगों को अधिकतर मवेशी खरीदने के लिये सोनपुर जाना पड़ता है । बलिया में ददरी का मेला भी लगता है । इसके अलावा पश्चिम के लोगों को पंजाब के मेलों में भी जाना पड़ता है । और उससे वे अधिक मुनाफा कमाते हैं । अभी पिछले दिनों चावल तथा और अनाज के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया था कि यहां से चावल या गेहूं बिहार में नहीं जायगा लेकिन देखने में आता है कि लोग इस तरह से ४२० करना सीख गये और सैकड़ों लोग इन चीजों की ब्लैक मार्केटिंग में रोज पकड़े जाते हैं । तो अगर हमने यह प्रतिबन्ध लगाया कि यहां से पशुओं को बाहर नहीं जाने देंगे तो यह निश्चित है कि हम लोगों को ४२० करने को सिखायेंगे और इसके लिये उनको मजबूर करेंगे ।

अधिष्ठाता--मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि '४२०' पार्लियामेंटरी भाषा नहीं है । आप इसको जरा तशरीह करके कहें तो अच्छा है ।

श्री रामेश्वरलाल--मेरा मतलब ठगी से है कि लोग ठगी करना सीख जायेंगे । ४२० नहीं तो ८४० ही सही ।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता--माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री रामेश्वरलाल--अधिष्ठाता महोदय, मैं सुनने का भी प्रयत्न करता हूं ताकि सुनकर जरूरत हो तो उसका उत्तर भी दे दिया करूं । हमारे प्रदेश में जो परिस्थिति है उसको देखते हुये मेरा निश्चित मत है और मैं चाहता हूं कि सदन का भी यह निश्चित मत होना चाहिये कि किसी प्रकार का प्रतिबन्ध आयात या निर्यात पर न लगाया जाय । आज जो जानवरों को बाहर भेजने और बाहर से लाने की समस्या है उसके

[श्री रामेश्वर लाल]

बारे में माननीय जैन ने भी कहा था कि हमारे यहां बाहर से अच्छे सांड़ मंगाने की जरूरत है और सरकार भी मानती है कि जहां २५० सांड़ों की जरूरत है वहां एक भी नहीं है। हमें अपनी नस्लों को अच्छा बनाना पड़ेगा और इस दिशा में सरकार के प्रयत्न हैं वह अच्छे से अच्छे होने चाहिये और मैं तो यह भी मानता हूं कि सरकार ने इधर बहुत कम ध्यान दिया है, अगर सरकार इस ओर ध्यान दे और सदन भी निश्चित कर ले तो अवश्य ही पशु धन की नस्लें सुधारी जा सकती हैं और उसमें अच्छी वृद्धि हो सकती है, सांड़ भी बाहर से मंगाकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। इसलिये श्री बसन्त लाल जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है मैं उसको ऐसा नहीं समझता कि उस पर सदन का अधिक समय हम लें और उससे भी आवश्यक काम एजेंडे पर रखा हुआ है, नहरों के कर आदि का मामला है, अच्छा होता कि इस पर विवाद समाप्त करके सदन उस पर विचार करता। यह कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि जो प्रदेश की पशुधन की समस्या को हल करे इससे तो और प्रादेशिकता फैलेगी और हमारे यहां जो निर्यात होकर पशु आते हैं वह भी बन्द हो जायेंगे और तरह-तरह के झगड़े पैदा हो जायेंगे। इसलिये मैं सदन से चाहूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे।

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री शिवनारायण—अधिष्ठाता महोदय, जब आप ने ४२० को कन्ट्रेडिक्ट किया था तो उसके बाद माननीय सदस्य जो बोल रहे थे उन्होंने कहा है कि ४२० न सही तो ८४० सही, तो मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं, क्योंकि ऐसा कहना चेयर के खिलाफ है।

अधिष्ठाता—उन्होंने उसे 'ठगी' भी कहा था।

श्री जोरावर वर्मा—मेरे प्रश्न उपस्थित करने के प्रस्ताव के बारे में आपका क्या निर्णय है? ऐसे तो जब तक सदस्य खड़े होते रहेंगे आप उनको समय देते रहेंगे, इस सम्बन्ध में आप कोई नियम बना दें।

अधिष्ठाता—अभी बहुत से लोग बोलने वाले हैं। मैं अभी आपकी बात को कबूल नहीं करता। मैं अभी प्रश्न उपस्थित नहीं करता, इसी निर्णय पर मैं अभी निर्भर करता हूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब इस संकल्प पर प्रारम्भिक भाषण हुये थे तो मैंने माननीय गेंदासिंह जी के भाषण को सुना था। उन्होंने भी इसका विरोध किया था और श्री रामेश्वर लाल जी ने भी आज उस प्रस्ताव का विरोध किया है। मुझे तो इस प्रस्ताव के विरोध में उन दोनों के भाषणों को सुना कर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बहुत जरूरी प्रस्ताव है अभी थोड़े दिन हुये हमने गोवध को रोकने के लिये एक विधेयक भी इस सदन में पास किया है। अगर हमने गोवध पर रोक लगायी है तो उसके साथ ही साथ हमें इस प्रस्ताव को पास करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ने अपने यहां से गोवध निवारण बिल पास कर के यह रोक न लगाई और पशुओं के निर्यात को न रोका तो उसका फल क्या होगा वह मैं श्रीमन् आप के द्वारा थोड़े शब्दों में सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। हमने उस बिल में यह रखा है कि रेलवे में या हवाई जहाज में जो लोग यात्रा करेंगे वह लोग टिन में बन्द गोमांस का प्रयोग कर सकते हैं और हमारी रेलें एक प्रान्त से दूसरी प्रान्त में जाती हैं हमारे प्रान्त से होकर दूसरे प्रान्त में जाती हैं। अगर हम पशुओं के निर्यात पर रोक नहीं लगाते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि पशुओं को दूसरे प्रान्त में ले जाया जायगा और वहां से उनका वध करके इस प्रान्त में मांस लाया जा सकेगा। इसलिये यह आवश्यक है कि हम पशुओं के निर्यात बन्द कर दें। माननीय रामेश्वरलाल जी ने आंकड़े दिये कि सवा करोड़ परिवार इस प्रान्त में हैं। मैं उन्हीं की

दलीलों से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनका तर्क उचित नहीं है। सवा करोड़ परिवार वे इस प्रदेश में बतलाते हैं और बैलों की संख्या इस प्रदेश में है १ करोड १५ लाख ही है अगर प्रति परिवार एक-एक बैल दिया जाय तो भी १० लाख परिवार बिना बैल के ही रह जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारे यहां बैलों की कमी है और अगर हम इसके बाद भी निर्यात जारी रखेंगे तो इसके अर्थ होंगे और भी कमी। इसलिये यह प्रस्ताव जो पेश किया गया है वह हर प्रकार से उचित और न्यायसंगत है। माननीय शास्त्री जी ने जो भाषण दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि हम गोचर भूमि छोड़े पशुओं की नस्ल को सुधारें। आयात के संबंध में माननीय रामेश्वर लाल जी ने कहा था। उन्हें मालूम होना चाहिये कि हम आयात पर रोक नहीं लगा रहे हैं। निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का मतलब केवल यह है कि पशुओं की संख्या बढ़ाई जाय। यदि हमारे यहां ज्यादा पशु हो जायेंगे और ऐसा समय आ सकता है कि जब पशु बहुत ज्यादा हो जायं उस समय हम प्रस्ताव कर सकते हैं और निर्यात का प्रतिबन्ध हटा सकते हैं और निर्यात कर सकते हैं लेकिन आज जब पशुधन की इतनी अधिक कमी है उस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम पशुधन की तरक्की करें उनको स्वस्थ बनावें, उनकी संख्या में वृद्धि करें और इसलिये आवश्यकता है कि कुछ समय तक उनका निर्यात रोक दें। इस लिये अधिष्ठाता महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय रामेश्वर लाल जी और माननीय गेंदा सिंह जी अपने विरोध को वापस ले लेंगे और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो जायगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रस्ताव पर विवाद समाप्त किया जाय, क्योंकि नहर रेट वाला आगे का जो प्रस्ताव है वह बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरे यह हमारी गल्ती नहीं थी जो उस बार यह नहीं आ सका और इसके लिये आज उस प्रस्ताव को क्यों रोका जाय। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री शिवनारायण---मैं जो प्रस्ताव, माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने किया है उसका घोर विरोध करता हूं।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ ---

पक्ष में -१३,

विपक्ष में -५३।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं संकल्प की आत्मा के साथ हूं और उसका स्वागत भी करता हूं परन्तु जहां तक उसमें निर्यात के बन्द करने का संबंध है मैं उससे सहमत नहीं हूं जिसका कारण यह है कि प्रस्ताव के उद्देश्य की पूर्ति के लिये दो बातों का होना आवश्यक है (१) दुधारू पशुओं की संख्या (२) उनकी दशा। जहां तक पशुओं की संख्या की कमी का संबंध है उसका एक मुख्य कारण हमारे प्रदेश में गोवध था जिसको रोकने के लिये गोवध निरोधक विधेयक इस सदन ने पास किया और इसी सदन ने नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी प्रदेश बिहार ने भी उसको पास कर दिया है। इसके अतिरिक्त हमारे पड़ोसी प्रदेश राजपूताना में गोवध की समस्या का प्रश्न ही नहीं है। मध्यप्रदेश, मध्य भारत, यहां भी करीब-करीब गोवध की समस्या नहीं के बराबर है। इसके अतिरिक्त हमारा पड़ोसी प्रान्त पंजाब जैसा कि समाचार पत्रों से ज्ञात होता है गोवध निरोधक विधेयक वह भी पास करने जा रहा है। अब केवल दो प्रान्त हमारे देश में ऐसे रह जाते हैं जहां आज भी गोवध की समस्या है। वे हैं बंगाल और बम्बई। तो जहां तक बंगाल और बम्बई का संबंध है आशा ऐसी की जाती है कि देश के वातावरण को देख कर वहां की सरकारें भी शीघ्रातिशीघ्र इस तरह का

[श्री महीलाल]

विधेयक पास करेंगी, जिससे हमारे देश में पूर्णतया गोवध बन्द हो जाय। अब प्रश्न यह रह जाता है कि हमारे देश से बाहर हमारे ये दुधारू पशु या पशु धन जाय या न जाय। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं कि हमारे देश का पशुधन बाहर नहीं जाना चाहिये। इस तरह का संकल्प पास करके हम अपनी भारत सरकार को परामर्श दें कि वह यह पास करे कि हमारे प्रान्त से पशुधन बाहर न जाय। प्रस्तुत संकल्प के पास करने की प्रतिक्रिया हमारे पड़ोसी दूसरे प्रान्तों पर क्या होगी, हमें इस प्रश्न पर भी विचार करना है। जहां तक व्यापकता का प्रश्न है माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो यह जानता हूं और अपने इस थोड़े से जीवन के अपने पड़ोसी जिलों के अनुभव बताता हूं कि हमारी ओर का किसान लगातार पंजाब के जानवर खरीदता है। पंजाब से अच्छे बैल, अच्छी गाएं और अच्छी नस्ल की भैंसें हमारे यहां आती हैं और उनका हमारे यहां के किसान इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम एक ओर अपने प्रान्त से इस प्रकार का प्रस्ताव पास करेंगे तो स्वाभाविक है कि दूसरे प्रान्तों पर भी उसकी प्रतिक्रिया यही होगी कि वह भी अपने यहां से पशुधन के आने पर रोक लगायें जिसका फल यह होगा कि अच्छी नस्ल के और अच्छे पशु जो हमारे प्रदेश में दूसरे प्रान्तों से आते हैं, उदाहरण के तौर पर मैंने पंजाब की बात कही, वह आना बन्द हो जायेंगे और हमारे यहां के पशुधन को एक शक्ति मिलने के बजाय हानि ही होगी और यही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश में सरकार अपने गोशालाओं में हरियाना के सांड और दूसरे प्रकार के अच्छे-अच्छे सांड अन्य प्रान्तों से मंगा कर अपने यहां की गायों की नस्ल सुधारने की कोशिश कर रही हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस प्रश्न पर जब हम गम्भीरता से विचार करेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें कम से कम इस मामले में आगे नहीं जाना चाहिये। हां, यदि यह संकल्प इस रूप में होता कि सदन भारत सरकार को यह परामर्श देता है तो उचित था और मैं उससे पूरे-पूरे तरीके से सहमत होता। मेरे एक मित्र पूछ रहे हैं कि भारत सरकार को क्या परामर्श देता। यह मैंने साफ कर दिया। फिर भी आर्य जी न समझें तो क्या किया जाय।

अधिष्ठाता--आर्य जी से बातचीत न करें।

श्री महीलाल--मैं आप के द्वारा आर्य जी से कह रहा हूं। ऐसी गलती मुझसे नहीं हो सकती कि मैं सीधे बातचीत करूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस कारणवश मैं यह अनावश्यक समझता हूं कि हम अपने प्रदेश में यह पाबन्दी लगावें कि हमारे प्रदेश के बाहर पशु न जायं। इसके अतिरिक्त एक मोटी सी बात यह भी सोचने की है कि जिस विषय पर हम संकल्प पास कर रहे हैं वह समस्या प्रान्त में है भी या नहीं। मैंने कोशिश की माननीय मंत्री जी के द्वारा, उनके विभाग से जानने की कि कुछ इस प्रकार आंकड़े मिलें कि कितने पशु हमारे प्रान्त से दूसरे प्रान्तों को जाते हैं और कितने पशु दूसरे प्रान्तों से हमारे प्रान्त में आते हैं। लेकिन समयाभाव के कारण मैं वह आंकड़े नहीं पा सका। लेकिन अपना निजी अनुभव पश्चिमी जिलों का यही है। कि हमारे जिलों में लगातार पश्चिम के पशु आते हैं और अच्छी से अच्छी नस्ल की भैंसें और गायें आती हैं और हमारे यहां से कमजोर गायों के जाने का कोई सवाल नहीं है। हां, इस संकल्प की आवश्यकता उस अवस्था में थी जब कि हमारी सरकार ने गोवध निवारक विधेयक पास न किया होता और हमारे यहां से जानवर जा रहे होते, या हमारे यहां से गायें ले जाने की लोगों को सुविधा होती। वह समस्या, जैसा मैंने कहा, नहीं है। तो जब वह समस्या नहीं है और हमारे पास इस प्रकार के आंकड़े भी नहीं हैं, कोई सबूत नहीं है कि कितने पशु हमारे यहां से बाहर जाते हैं तो अच्छा नहीं मालूम होता कि हम अपने पड़ोसी प्रदेशों के अन्दर व्यर्थ ही प्रान्तीयता की भावना पैदा करें। जिसकी कोई आवश्यकता नहीं।

जहां तक संख्या का संबंध था, वह मैंने बहुत थोड़े में स्पष्ट किया। अब दूसरी बात घी दूध की है। घी दूध जानवर की तन्दुरुस्ती पर निर्भर करता है। जो गाय जितनी स्वस्थ होगी, जितना अधिक जिसको खाने को मिलेगा, वही अधिक दूध देगी। इसके अतिरिक्त जो भैंस अच्छी नस्ल की होगी, जिसको अच्छा खाना मिलेगा वह उतना ही ज्यादा दूध देगी। मैं समझता हूं कि हर घर और गांव में ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं कि जो मालदार लोग हैं, जिनके जानवरों को अच्छा खाना मिलता है उनके ही जानवर ज्यादा दूध देते हैं अपेक्षाकृत उनके जानवर के जो कि निर्धन हैं। आवश्यक यह है कि हमारी सरकार की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था हो जिससे हमारे प्रान्त के पशुओं की हालत सुधरे और हमारे देश के रहने वाले वह किसान और वह आदमी जो पशु पालते हैं, इस योग्य हो जायं कि अपने जानवर को, अपनी गाय या भैंस को अधिक से अधिक चारा और दाना दे सके जिसकी जरूरत अच्छी तन्दुरुस्ती और अच्छे दूध देने के लिये होती है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आप के द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि उनका ध्यान इस समस्या की ओर जाना चाहिये और ऐसे उपाय काम में लाने चाहिये जिससे हमारा प्रान्त घी दूध में आगे बढ़े और अपने यहां के निवासियों के स्वास्थ्य को सम्भाल सकें और उनका बौद्धिक तथा शारीरिक विकास भी हो सकें। इसमें संदेह नहीं कि हमारा देश और प्रदेश खेतिहर है और बहुत कोशिश हमारी सरकार ने लोगों को ट्रैक्टर खरिदवाने की और मशीनों की तरफ ध्यान देने की, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि हमारे देश में ट्रैक्टरों के लिये कोई स्थान नहीं है। हमारी खेती के आधार हमारे बैल हैं। उनके लिये जहां तक आंकड़ों का संबंध है मेरे बहुत से साथियों ने आँकड़े दिये हैं। मेरे पास समय का अभाव है, वरना, मैं भी यह कोशिश करता कि मैं अपने मित्र माननीय बसन्तलालजी को अवगत कराऊं कि संकल्प अनावश्यक है क्योंकि हमारे प्रदेश में और हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि हमारे अड़ोसी-पड़ोसी ने भी गोवध निरोधक विधेयक पास कर दिये हैं और आशा यह है कि हमारे समस्त देश में गोवध की समस्या शीघ्र ही हल हो जायगी तो फिर निर्यात से कोई लाभ नहीं रहेगा और इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी से दूध और घी की कमी को पूरा करने के लिये यह प्रार्थना करता हूं कि सरकार की तरफ से ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने पशुओं की नस्ल सम्भालने और उनको अच्छा चारा और अच्छा दाना दिलवाने की तरफ होना चाहिये और उसके साथ साथ एक ही रास्ता होता है कि हमारे गांव के रहने वालों का आर्थिक स्तर ऊंचा हो।

श्री झारखंडे राय—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता—वह तो हो चुका है।

श्री झारखंडे राय—मैं एक और अर्ज करना चाहता हूं। इस बात को देखते हुये कि इस प्रस्ताव पर पिछली बार भी दिन भर बहस हुयी और आज भी करीब करीब दिन भर बहस हो चुकी। अब इसमें और महत्वपूर्ण बात रह नहीं गयी है और मैं सरकार से और खासतौर से मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुये कि जो दूसरा प्रस्ताव है वह बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आने दिया जाय और खामख्वाह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर इस हाउस को मौका न मिल अपनी राय जाहिर करने का यह उचित नहीं लगता।

अधिष्ठाता—अभी १० मिनट हुये कि हाउस से राय ली गयी कि इस प्रश्न पर वाद-विवाद समाप्त किया जाय और वह माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का प्रस्ताव था और वह प्रस्ताव गिर गया। तो हर १० मिनट के बाद प्रश्न उपस्थित किया जाय यह मैं उचित नहीं समझता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, यह कोई जरूरी नहीं है कि दस मिनट के बाद लोगों की राय न बदले। इसलिये मैं चाहता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय। सदन की राय हर ५ मिनट क बाद बदल सकती है।

अधिष्ठाता--मैं आपका ध्यान रूल १७६ की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा है--

"At any time after a motion has been made, any member may move, 'That the question be now put,' and, unless it appears to the Speaker that the motion is an abuse of these rules or an infringement of the right of reasonable debate the Speaker shall then put the motion: 'That the question be now put"

मैं समझता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और देखता हूं कि कितने मेम्बर बोलने के लिये खड़े होते हैं और एक दफा प्रश्न उपस्थित भी किया जा चुका है और फिर १० मिनट के बाद आप कहते हैं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय। तो हर ५ मिनट के बाद प्रश्न उपस्थित करना मैं उचित नहीं समझता और इस वास्ते प्रश्न उपस्थित नहीं करता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अधिष्ठाता महोदय, मैं देख रहा हूं कि सरकार नहर के रेट्स के प्रस्ताव को लाने देना नहीं चाहती है। इस सम्बन्ध में अगर आप स्पष्टीकरण कर दें कि अगर आज भी वह प्रस्ताव नहीं आया तो वह लैप्स नहीं होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव दूसरा है। यह सदा से इस सदन की परम्परा रही है कि अगर कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि जो प्रस्ताव एजेंडे पर आ गये हैं उन सभी पर विचार हो जाय तो उसके लिये समय निश्चित हो जाता है। आप यह देखेंगे कि जो दूसरे प्रस्ताव अन्य सदस्यों द्वारा लाये गये हैं वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। पहले भी जब कभी विवाद हुआ है तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है कि समय निश्चित कर दें। इसमें काफी विवाद हो चुका है। तो या तो आप अपनी ओर से समय निश्चित कर दें १० मिनट १५ मिनट २० मिनट और उसके बाद स्वयं मौका दें कि दूसरा प्रस्ताव भी जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण है उस पर विचार हो सके। यह क्लोजर का प्रस्ताव नहीं है, यह दूसरा प्रस्ताव है जिस पर आप विचार कर सकते हैं।

अधिष्ठाता--मैं जरा इस प्रश्न को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जहां तक इन प्रस्तावों और संशोधन का सवाल है माननीय अध्यक्ष ने कुछ समय नियत किया है और अब उस समय के अनुसार सदन का काम हो रहा है। जब यदि माननीय सदस्य चाहते हो कि उसमें भी समय की कमी कर दी जाय, बजाय १५ मिनट के १० मिनट या ५ मिनट कर दिया जाय तो मैं उस पर विचार करने के लिये तैयार हूं या सदन की राय लूं। क्या माननीय नारायणदत्त जी कहते हैं कि मैं उनके प्रश्न को अच्छी तरह से समझा नहीं। मैंने जहां तक समझा शायद उनका प्रश्न यही था अब समय निर्धारित कर दिया जाय जिसमें दूसरे प्रस्ताव भी ले लिये जायं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मेरा तात्पर्य यह था कि जो संकल्प माननीय बसन्त लाल शर्मा का चल रहा है यह किस समय तक चले यह निश्चित कर दिया जाय।

अधिष्ठाता--यह तो हाउस निर्धारित करेगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं क्वेशचन पुट कर दूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जो प्रस्तुत संकल्प है माननीय बसन्त लाल शर्मा का उस पर साढ़े ४ बजे तक विवाद समाप्त हो जाय।

श्री हुकुमसिंह--अधिष्ठाता महोदय, इस प्रजातंत्र राज्य में यह सरकार बहस मुबाहिसे पर कोई रोक लगाना उचित नहीं समझती है। यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण बतलाया जाता है, इसलिये मेरे लिये मुमकिन नहीं है कि मैं कह दूं कि ऐसा न हो। लिहाजा जो सदन चाहे निर्णय करे और इस सदन के निर्णय का मैं पाबन्द हूं।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि माननीय बसन्तलाल शर्मा के प्रस्ताव पर साढ़े चार बजे तक वाद-विवाद समाप्त हो जाय ।

(विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी और इस बीच में निम्न कार्यवाही हुयी ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि आप देख रहें हैं कि सरकारी पार्टी का रुख हमें न्याय पूर्ण नहीं मालूम होता है । ऐसी हालत में हम चाहते हैं कि .....

अधिष्ठाता--मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो न्याय पक्ष और अन्याय पक्ष की बात जान सकूं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अधिष्ठाता महोदय, आपके सामने दो रास्ते हैं और आपकी यह कृपा के ऊपर है कि एक तो आप हाथ उठवाकर संख्या गिनवा लें और दूसरा यह कि लौबीज में हस्ताक्षर रजिस्टर पर हों। हाथ उठाने से सरकारी पक्ष का प्रभाव पड़ेगा जैसा की स्पष्ट प्रतीत हो रहा है ऐसी हालत में न्याय के हेतु हमारी प्रार्थना यह है कि एक मर्तबा हम आपके समय में लौबीज में जाकर सिगनेचर्स करें ।

अधिष्ठाता--आपका तो प्रस्ताव भी नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--लेकिन मुझे हक है ।

अधिष्ठाता--हां, आपको बोलने का हक है। विभाजन माननीय नारायणदत्त तिवारी ने मांगा है, अगर वह कहें तो मैं उस पर विचार करने के लिये तैयार हूं।

श्री तेजप्रतापसिंह--अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न चाहता हूं। क्या कोई माननीय सदस्य इस सदन में बैठक के समय में बिल्ली या कुत्ते की बोली बोल सकता है।

अधिष्ठाता--जी नहीं, हरगिज नहीं ।

श्री शिवनारायण--अधिष्ठाता महोदय, माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने हमारी पार्टी के सब सदस्यों के लिये ऐसे शब्द कहे जो अनुचित है । मैं चाहता हूं कि वह उनको वापस लें।

अधिष्ठाता--नहीं कोई ऐसे शब्द नहीं कहे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अधिष्ठाता महोदय, यदि यह हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लकिन समय बचाने की गरज से आप हाथ उठाकर करवा दें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि श्री बसन्तलाल शर्मा के संकल्प पर बहस साढ़े चार बजे तक समाप्त हो जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१४,
विपक्ष में--६९) ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मुझे बड़े दुख के साथ निवेदन करना पड़ता है और आपका ध्यान बड़े दुःखपूर्ण शब्दों में आकर्षित करना पड़ता है कि हमारे माननीय मंत्री जी और सरकार इरिगेशन रेट्स के सम्बन्ध में जो अगला प्रस्ताव है और जो अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है उस पर सदन में विवाद होने देना नहीं चाहते । पहले भी इस तरह की परम्परा

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

रही है कि इस प्रकार के आवश्यक प्रस्ताव आये हैं और उन पर विचार करने का मौका सदन में परामर्श करने का दिया गया है। मैंने यह इसलिये निवेदन किया कि अगला प्रस्ताव इरिगशन रेट्स के सम्बन्ध में है और उसको आने देने में सरकार को आपत्ति है यह स्पष्ट हो चुका है और इसलिये मजबूरन अपने विरोध को व्यक्त करने के लिये इस व्यवहार के विरुद्ध हमारा सारा विरोधी दल आज के लिये सदन का त्याग करने का निश्चय करता है।

(इसके बाद विरोधी दल के सदस्य सभा भवन का त्याग करके चले गये।)

श्री हुकुमसिंह--यह सरकार किसी प्रस्ताव को रखने में विरोधी नहीं रही है और सदन जिस प्रकार से फैसला करेगा उसी प्रकार से प्रस्तावों पर विचार होगा।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा अपने माननीय सदस्य बसन्तलाल जी को इस प्रस्ताव के लिये हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है कि जिससे प्रदेश के पशुओं की हालत पर और उसकी उन्नति करने पर असर पड़ता है। परन्तु प्रस्ताव की अंतिम पंक्तियों में यह जो शब्द आये हैं कि उनके वंशजों का निर्यात अविलम्ब रोका जा सके, इस पर मुझे कुछ आपत्ति है। मेरी आपत्ति यह है कि यह शब्द हमारे प्रदेश की पशु पालन करने वाली जनता के लिये हानिप्रद पहुंचाने वाले शब्द हैं और मैं उनसे सुझाव के रूप में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन शब्दों को इस पंक्ति में से निकाल दिया जाय। क्योंकि यह तो ठीक है कि हम अपने पशुओं का निर्यात न करें लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दूसरे प्रान्त अपने यहां के उन्नतिशील पशुओं को हमारे यहां के लिये क्यों देंगे?

(इस समय ४ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

जिन बाहर के पशुओं को देख कर, हरियाना और राजस्थान और मध्य प्रदेश के पशुओं को खरीद कर हम अपने पशुओं का पालन और उनकी उन्नति करते हैं। वह ऐसा करने से हमारे यहां नहीं आ सकेंगे इसलिये मैं समझता हूं कि हमको अपने पशुओं को दूसरे प्रान्तों में जाने देने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। बल्कि विचार यह करना है कि हम किस तरह से अपने पशुओं की उन्नति कर सकते हैं। उसके लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मेरा यह सुझाव है कि जो ग्रामों में व्यक्तिगत पीठें लगती हैं मैं कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक ऐसा विधेयक सदन के सामने रखें कि जितनी पीठें मवेशियों की लगती हैं वह सब पीठें या तो ग्रामसभा के अधीन हों या ग्राम पंचायत के अधीन हो ताकि उसकी जो आमदनी हो उस आमदनी के द्वारा वह ग्राम पंचायत अपने पशुओं की उन्नति कर सके उनके लिये चारे का प्रबंध कर सके और उनके लिये चरागाह का प्रबंध कर सकें और किस प्रकार से पशुओं की उन्नति हो सकती है वह इस विषय में विचार करें। परन्तु यह बात है नहीं। बात आज दूसरी है। आज पूर्वी जिलों में हम देखते हैं डेढ़ फुट की गाय हैं। आप उन्नति करना चाहते हैं तो वह कैसे हो सकती है जब तक कि आपके पास अच्छे सांड़ न हो। क्या आप इनके द्वारा उन्नति कर सकते हैं जो आपने वैज्ञानिक तरीके निकाले हैं। इस प्रकार से कोई उन्नति नहीं हो सकती है। कृत्रिम साधन से जो सन्तान पैदा होती है उससे दूध कम हो गया। जो चीज हम चाहते थे वह नहीं हुयी। जो प्राकृतिक ढंग से सन्तान होती है वह ज्यादा उन्नतिशील होती है और उससे आज हम १५ और २० सेर दूध निकालते हैं। लेकिन आज पूर्वी जिलों में हम देखते हैं कि कोई गाय १ सेर, कोई आधा सेर और कोई डेढ़ सेर दूध देती है। तो क्या पशु पालने वाला वह बच्चों को पिलायेगा और क्या वह उससे आमदनी करेगा। इसलिये यह निर्यात का बन्धन नहीं लगाना चाहिये।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि गाय और भैंस किसान और मजदूर पालते हैं। किसान और मजदूरों की रोजी का यह एक साधन है उसकी आमदनी से वह अपना निर्वाह करता है। वह उसका माल है और उससे वह आमदनी भी बहुत करता है। एक एक बैल और भैंस ५०० रु० से ८०० रुपये की वह बेचता है। हमारी माता और बहनें आज भी अपने शौक के लिये बैल,

भैंस और गाय पालती हैं। वह दिन भर अपना सारा समय उनके पालने में ही लगाती हैं। उनके चारे का, उनके खाने का सब प्रबन्ध वह करती रहती हैं। मतलब यह है कि दिन भर उसमें लगी रहती हैं आप जाकर उनको उपदेश देते हैं कि इस तरह से करना चाहिये। जिन लोगों का गाय बैल से कोई सम्बन्ध नहीं है वह यहां पर खेती की बात करते हैं। मैं अपने माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि वह बतलायें कि उनके पास कितनी गायें हैं? असल में मेरा कहना यह है कि जितना अधिक निर्यात उन्नतिशील पशुओं का हमारे यहां से होगा उतने ही अच्छे पशु हमारे यहां तैयार होंगे। इस तरह से हमारे यहां से एक तो बेकारी दूर होगी और जिन लोगों के पास जमीन नहीं है दस्तकारी नहीं है उनका धंधा ही यह है कि वह अपने पशुओं का पालन-पोषण करें और पालन करने के बाद अच्छा घी और दूध पैदा करें। जितनी ही हमारे यहां पशुओं की उन्नति होगी उतना ही उन लोगों का लाभ होगा। एक एक बैल ५००-१००० रुपये को बिकता है वह लोग बेंचते हैं और उनका रोजगार चलता है। इससे किसानों को आमदनी होती है और हमारे प्रदेश के कृषकों को भी इस पशुपालन से और उसकी बिक्री से एक आमदनी होती है। उसी चीज को आप बन्द करना चाहते हैं। तो इस तरह का ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता है और न बनना चाहिये, लेकिन हमें तो कहना यह है कि यदि आपको ऐसा करना है तो मैं आपको एक और सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि यदि आप अच्छी नस्ल की गाय भैंस चाहते हैं तो उसके लिये एक सहकारी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाइये। उसको बगैर सूद के तकावी दी जाय, जानवर दिये जायं, बगैर किसी कीमत के, और उस सोसाइटी का यह कार्य हो कि वह अच्छे जानवर और अच्छा घी पैदा करे और पंजाब में इस तरह से सोसाइटी अपना काम करती हैं। दूसरे देशों में भी इस प्रकार की सोसाइटी कायम है और उन सोसाइटीज के द्वारा किसानों और मजदूरों को जो पशु पालन का काम करता है रुपया दिया जाता है। मैं माननीय सदस्यों को और अपने कृषिमंत्री को यह कहना चाहता हूं कि जो आप तकावी मवेशियों के लिये वितरित करते हैं उसको कम से कम १० गुना बढ़ा देना चाहिये। यदि आप एक लाख रुपया देते हैं तो आप को १० लाख रुपया देना चाहिये ताकि वे अच्छे जानवर खरीद कर वितरित कर सकें। परन्तु खेद है कि आज जो उनका पालन-पोषण करते हैं उनको तकावी नहीं मिलती है और जो कुछ आपकी तरफ से है वह बहुत कम है और जितने की गाय भैंस आती है उतना तो आपके कर्मचारी खा जाते हैं। आप बगैर सूद के तकावी दें और कोआपरेटिव सोसाइटियों द्वारा घी दूध का वितरण हो। चारे के लिये आपने किसानों को तो बतला दिया कि यह अच्छा चारा है, लेकिन मजदूर कैसे करेंगे? उनके पास जमीन नहीं है। लेकिन एक प्राकृतिक चारा बहुत अच्छा है, जिसे दुनिया भर का पैसा लगाकर आप पैदा नहीं कर सकते और वह है दूब घास। उसे हमारी बहनें और मातायें खोदकर लाती हैं और अपने जानवरों को खिलाती हैं, जिससे अच्छे ताजा दूध देनेवाले जानवर बनते हैं। आपके यहां वैसे अच्छे जानवर नहीं मिल सकते जैसे हमारे यहां हो सकते हैं। हमारे यहां की भैंस एक एक हजार रुपये की होती हैं। दूसरे प्रान्तों के लाखों रुपये करोड़ों रुपये का व्यापार गाय भैंस का होता है। पंजाब से हमारे यहां जानवर आते हैं और बंगाल और बम्बई इत्यादि को हमारे यहां से जाते हैं। तो भला कौन इस प्रस्ताव को मानने को तैयार होगा कि वह करोड़ों रुपये का व्यापार चौपट कर दिया जाय और इसको लात मार दी जाय। लाखों रुपया तो लाला लोग सूद में ले लेते हैं जिनसे गाय भैंस खरीदने का रुपया लिया जाता है और लाखों रुपये रेलवे को टैक्स के रूप में लाभ होता है। मैं आपको मेरठ के स्टेशन पर दिखा सकता हूं कि कम से कम ५-१० गाड़ियां रोजाना जानवरों से लदती हैं बाहर जाने को। आप दूध पीते हैं यहां की सरकारी डेयरी का जो बहुत गन्दा होता है लेकिन हमें भी वह पीना पड़ता है। वह मक्खन निकला होता है। इसलिये व्यापार को हानि करने से प्रान्त का या किसी व्यक्ति का लाभ होने वाला नहीं है। आपको इस बात पर जोर देना चाहिये कि पूर्वी जिलों की डेढ़ डेढ़ फीट की गाय भैंस हटाकर वहां सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ वगैरह से जानवर लाये जावें। जहां तक सांड़ों का किस्सा है, यदि आपने दूसरे प्रान्तों को अपने जानवर भेजने बन्द कर दिये तो वह भी आपको अच्छे सांड़ नहीं देंगे। इसलिये ऐसा प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। इससे हमारी ही हानि है। जो लोग गाय और भैंस नहीं पालते हैं उनका ध्यान दूध और घृत की ओर बहुत जल्दी जाता है। चाहिये तो यह था कि जो उनका पालन-पोषण करता है उसका

[श्री हरिसिंह]

ध्यान जाना चाहिये। यदि हम शुद्ध दूध और घृत दें भी तो शहर का व्यापारिवर्ग उसमें कुछ न कुछ मिलावट कर देता है। इसलिये इस प्रस्ताव में से अंतिम पंक्ति के यह शब्द कि "उनके वंशजों का निर्यात अविलम्ब रोका जा सके" निकाल दिये जावें।

और जब कुछ न कुछ मिश्रित करते हैं तब असली नहीं मिलता। मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि उन्नति होनी चाहिये तो आप अधिक ध्यान इस पर दें कि हमारे देश का प्रत्येक निवासी गाय और भैंस का अच्छी तरह से पालन-पोषण करे ताकि उसको अच्छा घी और दूध मिल सके जैसा कि देहात के रहने वाले शुद्ध घी दूध खाते हैं। इसलिये इस प्रस्ताव में से जो प्रतिबन्ध वाली बात है उसको निकाल दिया जाय और यही रक्खा जाय कि पशुधन की उन्नति की जाय।

*श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)--श्रीमान अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि सवेरे से उठक बैठक करने के बाद आपने अन्त में मुझे देख ही लिया।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सवेरे तो आपने उठक बैठक की नहीं।

श्रीमती चन्द्रवती--अधिष्ठाता महोदय के सामने की बात है। आप आये तो आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा तो की।

श्रीमन्, यह जो प्रस्ताव सदन के सामने बसन्तलाल जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके जो भाव हैं उनसे मैं हृदय से सहमत हूं। लेकिन वह जो नीचे के भाग में एक कांटा चुभो दिया गया, उससे मैं भेद करती हूं। मैं यह मानती हूं कि हमारे प्रदेश में पशुधन की स्थिति अच्छी हो और दूध घी की नदियां बहें। लेकिन उसमें जो निर्यात बंद करने का प्रतिबन्ध कर दिया गया है, उसको मैं उचित नहीं समझती हूं। हमारे प्रदेश से कोई चीज बाहर भेजने के लिये रोक लगायी जाय, ऐसा कानून बनाने में भी, मैं समझती हूं एक कान्स्टीट्यूशनल त्रुटि होगी, जिसके अनुसार एक प्रान्त को दूसरे प्रान्त से ट्रेड करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। ऐसी हालत में एक प्रान्त के जरिये से इस प्रकार का कानून बनाना कि हमारे यहां से इस चीज का निर्यात न किया जायगा तो वह एक गलत बात हो जायगी।

दूसरे मैं इसको इसलिये भी उचित समझती हूं कि अगर हमारे यहां कोई अच्छी चीज होती है और अगर हम उसको बाहर भेजते हैं तो वह भी एक अच्छी आपसी भावना का प्रदर्शन होता है। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि दूसरे प्रदेशों से अच्छी चीज़ अपने प्रदेश में मंगायें और उसकी नस्ल को सुधारें। इसलिये हमारे लिये यह भी उचित हो जाता है कि हमारे प्रदेश की चीज बाहर भेजी जायं।

यहां पर जिन-जिन भाइयों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, मैं उनकी भावना को नहीं समझ सकी कि उन्होंने किस प्रकार से उन भावनाओं को अपनाया और किस प्रकार से वे अपनी राय उसके समर्थन में दे सके। जिन भाइयों ने उसको उचित नहीं बतलाया उनको मैं ठीक समझती हूं क्योंकि वे एक सही चीज़ सदन के सामने लाये हैं।

इस पर सोचने के लिये हमें दो तीन चीजों की जरूरत है और उन पर ही कृषि मंत्री महोदय के सामने अपने विचार पेश करूंगी। चारे की समस्या के बारे में बहुत कुछ कहा गया बहुत से लोगों ने उस पर अपनी राय प्रकट की, लेकिन मेरी राय उससे भिन्न है। मेरा अपना दूसरा ही अनुभव है, क्योंकि मुझे पशुधन को बढ़ाने और उसकी सेवा करने का अवसर बचपन से ही मिला है और अब भी इतनी व्यस्त रहते हुए भी अपना कुछ समय पशुधन की सेवा में व्यतीत करती हूं। मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार यही नहीं कि प्रान्त में चारे की समस्या बहुत कठिन है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। दूसरी समस्या यह होती है कि वह चारा जो हो उसको शक्तिवान होना चाहिये उसमें उतनी शक्ति नहीं होती जितनी कि हरियाने के चारे में पायी जाती है। जो मेरा अनुभव है मैं हरियाने की गाय भैंसों की बड़ी शौकीन रही थी और मैं वहां से हमेशा ही अपने घर के लिये इन पशुओं को मंगाया करती थी, लेकिन मेरे अनुभव ने मुझे यह बतलाया कि एक साल या दूसरे साल या तीसरे साल के बाद जो इस प्रकार की गायें पहले १४–१५ सेर दूध देती हैं उनका दूध यहां पर आकर दो तीन साल के बाद चार पांच सेर से अधिक नहीं हो पाता है। तो यह बात मैंने अपने अनुभव से बतलायी कि वह चारे की शक्ति की कमी है जिसकी वजह से वह दूध को उतना नहीं बढ़ा सकते। जो भाई वहां से सम्पर्क रखते होंगे इस अनुभव से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वहां की गाय भैंसों को यदि रात में भरपेट चारा दिया जाय तो सबेरे देखने पर उनका पेट उसी तरह से भरा हुआ ही दिखलायी देता है, लेकिन इधर के पशुओं को सबेरे देखने से मालूम होता है कि ये तीन दिन से भूखे पड़े हुए हैं। इससे जो दूध की शक्ति है वह भी कमजोर पायी जाती है। तो मेरा इस ओर स्पष्ट अनुभव है और उसके प्रति मेरा सुझाव यह है कि चारे की शक्ति को बढ़ाना दूध को बढ़ाने के लिये आवश्यक है और चारे को शक्तिवान करने के लिये इस तरफ कदम उठाना और उसके लिये कोई अनुसंधान करना सरकार का पहला कर्त्तव्य हो जाता है। इसके लिये साइंटिफिक एक्सपर्ट के जरिये अनुसंधान के रूप में कुछ होना चाहिये। इसके लिये सरकार उनसे परामर्श करे और उनका जो सुझाव हो उसकी बिना पर इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करे तो बहुत काम हो सकता है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि यहां पर पशुओं को रखने की जो कार्य प्रणाली है वह भी बिल्कुल विपरीत है। यहां के जो भाई पशु रखते हैं वे नांद के अन्दर ही घास वगैरह डाल देते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं। भैंस उस घास को इस तरह से खाती है जैसे समुद्र में से पकड़ कर वह मछली निगल रही हो। मैं समझती हूं कि यह तरीका बिल्कुल ग़लत है। दूसरी बात यह है कि गांवों तथा देहातों में इस तरह का प्रचार करने की जरूरत है कि किस तरह से पशुओं को चारा खिलाना चाहिये और उनकी सेवा किस प्रकार से करनी चाहिये। देहातों के अन्दर ऐसा देखने में आता है कि जहां भैंस रहती है वहां घुटने तक कीचड़ भरा रहता है और उसी कीचड़ में उसको बैठना पड़ता है लेकिन अगर आप हरियाने के अन्दर जाकर देखें तो गाय तथा भैंसों के नीचे आपको पेशाब का एक दाग भी नहीं मिलेगा। उससे यह होता है कि उसका स्वास्थ्य के ऊपर बहुत असर पड़ता है। वह एक प्राकृतिक ढंग है जिसमें किसी को कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता। तो यह काम प्रचार द्वारा हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि कुछ भाइयों ने बतलाया कि कुछ चारे कि किस्में हैं जिनको हम अपने यहां लगा सकते हैं बरसीम किस्म की एक घास होती है जिसके एक दफा बोने की आवश्यकता होगी। इसके बाद दो-चार साल तक उस घास को काट-काट कर खिला सकते हैं। इसी तरह से एक घास रिजका है। उसे भी जानवरों को खिला सकते हैं। यह हरा चारा होगा और ऐसे चारे के खिलाने से दूध को बढ़ाने की एक शक्ति आ जाती है। जब तक चारे की शक्ति नहीं बढ़ेगी। तब तक देश और प्रदेश के पशुओं का दूध बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। मेरा यह निश्चित अनुभव है और उस पर पूरी तरह से कार्य होना चाहिये।

एक और चीज सामने आती है कि इस पशुधन को हम किस तरह से बढ़ावें। अभी एक भाई ने यहां सुझाव दिया कि कुछ रुपया इस तरह की सोसाइटीज बना कर दिया जाय और उस पर मैंने कुछ अनुभव किया कि माननीय कृषि मंत्री जी ने इशारा करके जता दिया कि धन की कमी है और उसकी वजह से उस तरह का प्रबन्ध नहीं हो सकता। मैंने भी अनुभव किया कि धन की कमी है, लेकिन अगर वह थोड़ी सी अक्ल और लगावें

[श्रीमती चन्द्रवती]

तो वह इस सम्बन्ध में और कुछ भी कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसे भी हो जाती हैं कि जिन में हम जिस वक्त एक तरफ रुपया लगाते हैं तो यह हो सकता है कि दूसरी तरफ रुपया हाथ में आता भी जाय अगर थोड़ा सा धन व्यय करने के साथ ही उस की वापसी का भी रास्ता बन जाय तो ऐसे व्यय को करने में कोई दिक्कत पेश न आनी चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार के पास बजट में जितना भी थोड़ा बहुत रुपया हो सके उसको पंचायतों द्वारा सोसाइटियां बनाकर पशुओं के मंगाने में व्यय किया जाय और उस रुपए से जो पशुओं का दूध, घी बेच कर धन प्राप्त हो उस से उस धन का भुगतान भी सरकार को मिलता रहे। इस तरह से पशुपालन भी हो सकेगा और दूध की मात्रा और सप्लाई में भी वृद्धि हो सकेगी और सरकार के पास उसका रुपया भी वापस आता रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

*श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय बसंत लाल जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। मैं उसके दूसरे भाग का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उसके पहले हिस्से से तो किसी को कोई मुखालफत नहीं हो सकती कि पशुधन की यहां उन्नति होनी चाहिए और दूध की अधिक पैदावार होनी चाहिए और हमारे बच्चों को दूध, घी अधिक मिलना चाहिए, लेकिन जो प्रस्ताव का दूसरा हिस्सा है और जिस में पशुओं के निर्यात पर रोक लगाने की बात है, मैं समझता हूं कि उनके मन में डर है यह तो वह समझते हैं कि उत्तर प्रदेश से बहुत कम अच्छे जानवर बाहर जाते हैं सब सदस्यों ने यह कहा है कि हम ज्यादातर बाहर से अच्छे पशुओं को मंगाते हैं और बाहर भेजते बहुत कम हैं। इसलिए यह सम्भावना नहीं हो सकती कि जो हमारे अच्छे पशु बाहर जायं, मालूम होता है कि उन को डर है कि हम ने जो गोवध रोकने के लिए ऐक्ट बनाया उसके कारण जो हमारे दूध न देने वाले पशु होंगे वह बाहर भेजे जायंगे और उनका बाहर बध होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि .....

श्री शिवनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, लाबी में शोर बहुत हो रहा है कुछ सुनाई यहां नहीं देता।

श्री अध्यक्ष--वहां लाबी में जाकर कह दिया जाय कि दरवाजा बन्द कर दें और आवाज अधिक न हो।

श्री तेजासिंह--जो हमारे पास के प्रदेश हैं वहां भी इस प्रकार के कानून बन चुके हैं कि गोवध न किया जाय। हमारे पास पंजाब का प्रदेश पड़ोस में है वहां वैसे ही आप को मालूम होगा कि मुसलमान सज्जन बहुत कम हैं और वहां भी सम्भावना हो सकती है कि इस प्रकार का कानून बन जाय। बिहार में भी ऐक्ट बनाया जा रहा है और भी जो प्रदेश हैं उनमें भी यह ऐक्ट बनाया जायगा तो वहां भी गोवध नहीं हो सकता तो फिर मैं समझता हूं कि इस पर रोक लगाने से कोई विशेष फायदा नहीं होगा और व्यापार का जिन्हें अनुभव है और जो एकनामिक उसूलों को समझते हैं उनका भी कहना है कि व्यपार में सरकार का ज्यादा दखल होने से ज्यादा रोक लगने से भ्रष्टाचार ज्यादा होता है। हमारे सामने से वह जमाना गुजरा है जब कपड़े की आमदरफ्त पर रोक थी अनाज पर, सीमेन्ट पर, लोहे पर, रोक थी। उस वक्त किस कदर भ्रष्टाचार हुआ, उसका सबको पता है। मैं ऐसे इलाके में रहता हूं जो बोर्डर पर है और जहां पर आने पर रोक लगाई जाती है हिंडन नदी को उस वक्त बार्डर बनाया गया था .....

---

* वक्ता ने भषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आप जरा रुकिये । कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई कोरम पूरा होने के बाद)

अब आप भाषण जारी रखिये ।

श्री तेजासिंह—तो मैं यह कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि कंट्रोल के जमाने में जब चीजों के लाने ले जाने पर रोक थी तो हिंडन नदी पर काफी भ्रष्टाचार होता था। पुलिस को रिश्वतें दी जाती थीं और तरह-तरह के मुकदमें लोगों पर कायम किये जाते थे लेकिन उसी के साथ-साथ उस इलाके के रहने वाले किसानों को अपनी जरुरत की चीजों को लाना और ले जाना मुश्किल होता था और काफी तकलीफ होती थी । चूंकि रोका जाता था उनको नदी पर और उनका घर और रहायश नदी के पार होती थी तो इस लिहाज से उनको काफी परेशानी होती थी और फिर कपड़ा, सीमेंट और लोहा ऐसी चीजें हैं, जिसमें ले जाने के लिये व्यक्ति की जरूरत होती है, किसी ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है । इसलिये उनको किसी हद तक रोका भी जा सकता है लेकिन हमारे प्रदेश की जो सीमा है उसके साथ ही देहली की सीमा मिली हुई और एक खेत के साथ दूसरे खेत से मिला हुआ है और हमारे प्रदेश के जो पशु हैं वह दूसरे गांव के खेत में चरने के लिये जाते हैं या लोग दूसरे गांव से ले आते हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारी हुकूमत को इंतिजाम करने के लिये बड़ी परेशानी होगी । तमाम सीमा पर कोई तार लगा दिया जाय या हर जगह पर पुलिस बिठा दी जाय कि किसी जगह से हमारे पशु दूसरी सीमा के उस पार न जा सकें। यह असम्भव है। सरकार के लिये यह बहुत सरदर्द भी होगा। इसलिये मेरा यही सुझाव है कि पशुधन की रक्षा के लिये जहां तक खर्च किया जा सकता है किया जाय, चारा बढ़ाया जा सके तो बढ़ाया जाय, लोगों को तकावी दी जा सके तो दी जाय, लेकिन जानवर जो चरने जाते हैं उन पर रोक नहीं लगनी चाहिये। इससे ज्यादा लाभ के स्थान पर नुकसान ही होगा।

श्री शिवनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल से इस सदन में बैठा-बैठा अपने विरोधियों को भी सुनता रहा हूं और अपनी पार्टी के लोगों को भी सुनता रहा और मैं उन सम्मानित सदस्यों की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं हमने एक नारा लगाया था। पूज्य बापू ने कहा था कि गोवंश की रक्षा होगी इस देश में और दूध की नदिया इस देश में बहेंगी। अभी हमारी एक बहिन ने बतलाया कि दूध की नदियां नहीं बह सकेंगी तो क्या वे चाहती हैं कि यहां डालडा की नदियां बहें। डालडा की नदियां तो इस देश में बह रही हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य इस तरह बिगड़ गया है जो असहनीय है, और इसी कारण हमारे माननीय सदस्य ने इस प्रस्ताव को रक्खा। वे स्वयं दुखी हैं। दूध की कमी है, दही की कमी है, उसी के फलस्वरूप आज यह प्रस्ताव आया है। इसमें उनका प्रस्ताव मान्यवर, दो लाइन का है "राज्य में शुद्ध घृत और दूध एवं कृषि योग्य उत्तम पशुओं की अत्याधिक कमी है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य ....

श्री अध्यक्ष—यह तो पढ़ा जा चुका है। इसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवनारायण—कृषि पर, स्वास्थ्य पर, शुद्ध घृत और दूध इन चार चीजों की मांग इसमें है। उधर से जो गाय या जो भैंस १५, १५ सेर दूध देने वाली आती हैं तो इस पार आकर दो वर्ष के बाद उनमें दूध देने की शक्ति कम हो जाती है। हमने तो बाजार खोल रक्खा है। जो भेजने वाले हैं बढ़िया माल उसे उत्तर प्रदेश खरीदने को तैयार है। हमने ओपिन मार्केट रक्खा है। जर्मनी और अमेरिका की तरह प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। लेकिन हम अपनी इज्जत, अपनी कमजोरी , अपने राज्य की खामियां जो हैं– जैसे हरिसिंह ने कहा कि उनके इलाके में डेढ़-डेढ़ फुट की गाय होती हैं। उस इज्जत को बचाना चाहते हैं और उसे बचाने के लिये ही बसन्तलाल जी ने यह प्रस्ताव रक्खा है। इस सदन को चाहिये कि

[श्री शिवनारायण]

अपने यू० पी० की मान मर्यादा को रक्खे। हमारी छोटी-छोटी गाय या छोटे-छोटे बैल उस पार न जाने पायें। हमारी इज्जत घर में ही रहे। घर की इज्जत घर में ही रहे तो अति उत्तम होगा। लेकिन हमारे विरोधी भाइयों ने इसका भी विरोध किया। रामेश्वर लाल जी ने अध्यक्ष महोदय, कहा कि सवा करोड़ घर हैं इस प्रान्त में। उनको एक जोड़ी बैल चाहिये। मान्यवर, हम लोग जोड़ी बैल के निशान पर ही जीत कर आये हैं और इस जोड़ी बैल की हमें रक्षा करनी होगी और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक इस सदन के सदस्य रहेंगे, गोवंश की रक्षा करेंगे और उसका रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारे भाई रणंजय सिंह जी अकेले विरोधी दल में बैठे हैं जिनको गोवंश से प्रेम है। बाकी बालेन्दुशाह और रजिया शाह उठ कर चले गये.....।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि किसी सदस्य का नाम लेकर इस तरह बोलना ठीक नहीं है।

श्री शिवनारायण--मैं उसे वापस लेता हूं। विरोधी दल के जो बड़े-बड़े महारथी, बड़े-बड़े नारे लगाने वाले गोवंश के शुभचिन्तक उठ कर चले गये जिस वक्त कि इस सदन ने जो गोवंश की रक्षा के लिये कानून पास किया है उसकी कमी की पूर्ति के लिये यह बिल आया है। उस की पूर्ति के लिये बसन्तलाल जी का यह संकल्प आया है, उसे यह पूरा करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आप का बड़ा भारी आभारी हूं, आपने अन्तिम समय में मुझे बोलने का अवसर दिया और इसके लिये मैं आप को दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं श्रीमान् जी की सेवा में थोड़ा सा यह निवेदन करना चाहता हूं कि दूध की मात्रा फारेन कंट्रीज में क्या है और हमारे देश में क्या है इसको वह जरा देखें। सन् ३५-३६ में वह ७ औंस थी, लेकिन अब घट कर पौने पांच औंस हो गई है। फिर दूध तो मिलता ही नहीं, पानी मिलता है, जैसा भाई हरिसिंह जी ने कहा डेरी का दूध जो आता है मैं सरकार का ध्यान माननीय और कृषि मंत्री का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वे ओपिन इंक्वायरी करायें। हमको शुद्ध दूध नहीं मिलता। हम चाय में पानी पीते हैं। कलेजा छलनी हो जाता है। पैसा देते हैं दूध के लिये, लेकिन मिलता पानी है, दूध नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे सदन के अध्यक्ष हैं, हमारे सर्वमान्य हैं, मैं कहता हूं किसी दिन जब आप की इच्छा हो आप देख लें किसी शीशी को उठा कर कि दूध है या पानी। मैंने दारुलसफा के होटलवाले से कहा कि आज मैं तुमको बन्द कराऊंगा। लेकिन बाद में मैंने वापस कर लिया, क्योंकि मैंने पढ़ा है "--क्षमा बड़ेन को चाहिये छोटेन को उत्पात।" यह मैंने पढ़ा है और इस पर मैं अमल करने की कोशिश करता हूं। मान्यवर, मैं बता रहा था कि दूध नहीं मिलता है, पानी मिलता है। इसके लिये मैं अपने कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें। इसमें हमारी बदनामी, आप की बदनामी, इस सरकार की बदनामी होती है। सरकार हमारी प्रति वर्ष की बजट में इतना रुपया देती है डेरियों को। बीस हजार, चालीस हजार सरकार देती है। लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता। लोग खा जाते हैं और पानी देते हैं। मान्यवर, बड़ी बदनामी होती है। मैं हरिसिंह का आभारी हूं जिन्होंने कहा कि हमारे यहां डेढ़-डेढ़ फुट की गाएं हैं ठीक है, हम अपनी मर्यादा को, अपनी इज्जत को अपने घर में रखना चाहते हैं। हरियाने का जिक्र किया गया। हरियाना हमारे प्रान्त में है। उसका एक हिस्सा हमारे प्रान्त में है एक ही गांव सही। लेकिन है। हरिसिंह जी ने कहा कि मेरठ में अच्छे-अच्छे बैल, गाय और सांड पैदा करते हैं। भाई, उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है, भेज दें उनको। आप खुद उनकी तरक्की कीजिये ऊंचा उठाइये और उनकी रक्षा कीजिये। उससे मान्यवर, हमारे देश में आर्थिक लाभ होगा। आज लोग उनकी तरफ से उदासीन हैं। लोग प्रेम नहीं रखते। यह उनमें प्रेम पैदा होगा जब कम्पल्शन हो जायगा। मैं एक लफ्ज आप की इजाजत से कहना चाहता हूं। इंग्लैंड की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और हम भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रहे हैं। लेकिन वहां गवर्नमेंट कमजोर है और पब्लिक स्ट्रांग है और हमारे यहां गवर्नमेंट स्ट्रांग है पब्लिक

कमजोर है। मैं चाहता हूं कि हमारी जनता जनार्दन चतुर और सचेत हो। और अपने फरायज को समझे। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के सांड के लिये दाम दिये हैं उनको सांड भेजिये।

एक सदस्य—मेरठ से दीजिये, चाहे यमुना पार से दीजिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—गायें भी देनी पड़ेंगी।

श्री शिवनारायण—गाय भी देंगे, सांड भी देंगे। बसन्तलाल जी ने कहा कि दो गायें उन्होंने बस्ती को दान में दी है। हम नहीं कहते कि हम नहीं पाते हैं। पाते हैं। जिन्होंने दाम दिया है उनको जरूर भिजवाइये।

श्री अध्यक्ष—आप लोग आपस में यों जोर से बात न करें।

श्री शिवनारायण—तो मैं यह निवेदन करूंगा कि गौओं की रक्षा का जो अपने बीड़ा उठाया है उसका सरकार पालन करे और जो मेरा कर्तव्य है मैं पालन करूं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में गायों की रक्षा हो और हमें उससे बैल मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष—आप तो समाप्त कर रहे थे ?

श्री शिवनारायण—नहीं मान्यवर, वह तो एक पोर्शन था जो मैंने अपनी गवर्नमेंट को बताया। यह तो गवर्नमेंट का हिस्सा था। मान्यवर, तो मैं कहना चाहता हूं कि बैलों से हम खाली जोतने का काम नहीं लेते। हम उसे रहट, गाड़ी कोल्हू आदि का भी काम उनसे लेते हैं। सवा करोड़ के बजाय ढ़ाई करोड़ तो वह होगा और करीब ५० हजार फुटकर कार्यों के लिये आज अगर मैं अपनी छोटी मोटी पूंजी को उस पार कर दूं सिवाने के उस पार, और प्रतिबन्ध न लगायें तो कैसे काम चलेगा। हम रोकेंगे। और मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि जरूर प्रतिबन्ध लगायें। बाहर से आने में रोक नहीं लगाते। बाहर वालों को एतराज तब होता जब उनके जानवर हमारे यहां न आने पायें, पंजाब वालों को तब शिकायत होती, हरियाना वाले तब कहते कि उत्तर प्रदेश के लोग बड़े निकम्मे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने उनके लिये दरवाजा खोल रखा है। बसन्तलाल जी के प्रस्ताव में उनका दरवाजा खुला है। आइये, वेलकम है। हम आप से अच्छे-अच्छे बैल, गाय और सांड खरीदेंगे। हमने उनके लिये खुला बाजार रखा और इसके बाद मान्यवर यह जितनी बातें हैं इतना ही नहीं, खेती का सवाल है। हमारे प्रदेश में करीब ७ करोड़ २२ लाख ७८ हजार ८ सौ ९ एकड़ जमीन है, जिसमें करीब ४ करोड़ एकड़ पर खेती होती है और तीन करोड़ एकड़ के वह हिस्सा है जहां जंगल और परती है और बेकार जमीन है। वहां हमारी गायें और भैंसें चर सकेंगी।

एक सदस्य—इसमें असेम्बली भी तो रहेगी।

श्री शिवनारायण—असेम्बली में भैंसें चरने नहीं आयेंगी। यहां मेम्बर रहेंगे। गुप्ता जी से मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर माननीय मेम्बर आते हैं। यहां मिनिस्टर्स बैठते हैं और सबसे सुयोग्य व्यक्ति इस प्रान्त के बैठते हैं जिसके जिम्मे सवा छः करोड जनता की सेवा है। मान्यवर, मैं आप की कृपा से सीताराम शुक्ल जी का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह शिक्षक हैं। शुक्ल जी ने आज निराश और उदास व्क्तव्य दिया इस सदन के अन्दर। मुझे बड़ा दुख हुआ। वह हमारे यहां के पंडित हैं, शिक्षक हैं, पवित्र पंडित हैं। मैं उनका अनुकरण करता हूं। वह इस बात को सोचें। गोवंश के रक्षक वह हैं और सब से बड़े रक्षक हम हैं। जब शुक्ल जी और ठाकुर साहब जवाब दे देतें हैं तो हम उनका अन्तिम संस्कार करते हैं। और मान्यवर मैं नहीं घबड़ाता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि श्री बसन्तलाल जी का जो प्रस्ताव है वह निहायत सुन्दर है और उत्तम है। उससे इस देश की रक्षा होगी और उत्थान होगा। इन शब्दों क साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री दाताराम (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, आज जो संकल्प हमारे सामने पेश है, मैं इस बात से तो सहमत हूं कि हमारे प्रदेश में और खेती की वृद्धि हो, लेकिन इसके आखिर में जो यह लिखा गया है कि बाहर जाने पर पाबन्दी लगा दी जाय, इसका मैं विरोध करता हूं। एक बात तो यह समझ में नहीं आयी है कि हमारे पशुओं की नस्ल पर क्या असर पड़ेगा बाहर जाने का। हमें तो यह सोचना है कि हमारे मुल्क में इन दूध देने वाले पशुओं से कैसे तरक्की हो और किस तरह से हमारे प्रदेश को दूध और घी ज्यादा मिले। मेरी राय में तो यह एक बहुत ही गलत कदम हो जायगा, अगर हम इस प्रकार की पाबन्दी लगायेंगे। वैसे तो हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाये गये हैं और अगर यहां पाबन्दी लग गयी तो फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी पाबन्दी लगा सकते हैं कि हमारे जिले से कोई पशु बाहर नहीं जाय, टाउन एरिया भी लगा सकता है। तो इस तरह से तो पीछे हटते-हटते हम न जाने कहां पहुंच जायंगे। मेरी राय यह है और कृषि मंत्री जी का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में, हमारे प्रदेश में सांडों की बहुत कमी है और अच्छी नस्ल के सांड हर जगह पहुंच जाने चाहिये जिससे मुल्क में घी और दूध देने वाले जानवरों की वृद्धि हो। मुझे कृत्रिम गर्भाधान की भी इत्तला है पर पता नहीं उससे कितना काम हुआ है और उसमें कामयाबी हुई है या नाकामयाबी हुई है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं है कि कुछ उसमें नस्ल अच्छी हो सकती है और कुछ उसके खिलाफ हैं, लेकिन मुझे जाती तजुर्बा नहीं है। इतना मैं मानता हूं कि अगर अच्छी नस्ल के सांड ग्राम पंचायतों को दे दें तो उससे काफी तरक्की नस्ल के सुधार में हो सकती है। लेकिन महज़ सांड ही से काम नहीं चलेगा। साथ ही रहन-सहन और खान-पान के ऊपर भी निर्भर है। अगर गाय अच्छी नस्ल की हैं और खाने पीने का अच्छा इन्तजाम नहीं है या रहन-सहन अच्छा नहीं है तो भी तरक्की नहीं कर सकते। अभी श्रीमती चन्द्रवती ने बतलाया है कि हरियाने से अच्छी गाय भैंस आती हैं लेकिन इधर आकर उनका दूध ४–५ सेर रह जाता है। इसमें कई दो रायें नहीं हैं कि जो अच्छी नस्ल बैलों की होती है वह पूरब में आनकर उतनी अच्छी नहीं रह जाती। तो उसके भी कई कारण हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये। उनके लिये अच्छे चारे का इन्तजाम हो, रहने की जगह अच्छी हो। अब तो खैर बाढ़ आ गई, लेकिन जब बाढ़ भी नहीं होती तो भी पशुओं के रहने के लिये इतनी गन्दी जगह होती है कि उनकी सेहत पर बहुत खराब असर पड़ता है।

पंचवर्षीय योजनाओं पर विवाद का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब अगले असरकारी दिन आप अपना भाषण जारी रखें। मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं। प्रथम पंच-वर्षीय योजना की प्रगति तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर वाद विवाद १७, १८ और १९ अक्तूबर को होगा। ये दिन निश्चित कर दिये गये हैं इसके लिये।

अब हम उठते हैं और तारीख १७, सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १७ अक्तूबर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१४ अक्तूबर, १९५५

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५ पर)

जौनपुर जिले के जिन स्कूलों के राजनैतिक पीड़ित छात्रों को सन् १९५४–५५ में छात्र-वृत्ति दी गई उनकी सूची।

क्रम संख्या	छात्र का नाम	कक्षा	संस्था	छात्रवृत्ति पुरस्कृत की राशि
				रु० मासिक
१	निर्भयनाथ त्रिपाठी	११	टी० डी० कालेज, जौनपुर ..	२०
२	जिय प्रताप सिंह	१२	जय हिन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तेजी बाजार	२०
३	माधो राय	१२	आर० डी० एम० इन्टर कालेज, जौनपुर	२०
४	जमादार सिंह	११	सेंट टामर्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शाहगंज, जौनपुर ..	२०
५	मान बहादुर सिंह	१२	टी० डी० एस० क्षत्रिय, इन्टर कालेज जौनपुर	२०
६	जय प्रकाश	१०	बी० आर० पी० इन्टर कालेज, जौनपुर	१२
७	कुमारी कामनी कौशल	९	राजकीय महिला कालेज, जौनपुर ..	१२
८	समर बहादुर सिंह	१०	राजा हरपाल सिंह उ० मा० विद्यालय, सिग्रामों, जौनपुर ..	१२
९	दूधनाथ दूबे	९	बी० एन० बी० उ० मा० विद्यालय, मांरिहों, जौनपुर ..	१२
१०	ध्रुव राज सिंह	९	सरकारी उ० मा० विद्यालय, मेहरावां जौनपुर	१२
११	राम राज मौर्य	९	प्रताप गंज, उ० मा० विद्यालय, गुलजार-गंज, जौनपुर ..	१२
१२	जिलेदार पांडे	९	राजकीय उ० मा० विद्यालय, जौनपुर	१२
१३	राम बहादुर सिंह	७	जय हिन्द उ० मा० स्कूल, तेजी बाजार, जौनपुर	८
१४	राम लखन	८	जुनियर हाई स्कूल, गोदापुर, जौनपुर	८
१५	बन्सराज कहार	६	जूनियर हाईस्कूल, चितौरी, जौनपुर	८
१६	मुसाफिर सिंह	६	पब्लिक उ० मा० विद्यालय, सराय हरखूं, जौनपुर	८
१७	ग्यान प्रकाश	६	बी० आर० पी० इन्टर कालेज, जौनपुर	८
१८	आनन्द प्रकाश	७	" " " "	८
१९	क्रान्ती प्रताप सिंह, उर्फ बच्चन	६	जूनियर हाईस्कूल, चितौरी, जौनपुर	८
२०	कुमारी रानी किरन देवी	५	म्युनिसिपल पाठशाला, जहांगीराबाद जौनपुर	५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८ पर)

तालिका 'क'

दिवस बालिका पाठशाला	२
दिवस बालक पाठशाला	२७
रात्रि पाठशाला	२८
पुस्तकालय	१३

विधान सभा प्रदेश प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे ८८ पर)

तालिक 'ख'

तहसील	दिवस बालक	पाठशाला बालिका	रात्रि पाठशाला	पुस्तकालय
१	२	३	४	५
पडरौना	८	..	५	२
हाटा	..	२	१४	५
देवरिया	३	..	३	..
सलेमपुर	८	..	६	६

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५-२६ के उत्तर पीछे पृष्ठ ९१ पर)

अलीगढ़ जिले के हायर सेकेन्डरी स्कूलों की सूची जिन्हें मान्यता प्राप्त है पर अभी अनुदान नहीं दिया गया है :

क्रम-संख्या	स्कूल का नाम	मान्यता प्राप्त करने का समय
१	यम० यम० इन्टर कालेज, अन्दला	१९५१
२	आदर्श यच० यस० स्कूल, अलादतपुर	१९५३
३	गोपाल आदर्श यच० यस० स्कूल, हाथरस	१९५२
४	आर०यन०सी०एल०सक्सेरिया यच०यस०यस०, हाथरस	१९५३
५	सर्वोपयोगी यच० यस० स्कूल, पलसरा	१९५२
६	आदर्श यच० यस० स्कूल मीरपुर, आर्यनगर	१९५३
७	लक्ष्मीराज यच०यस० स्कूल, गभना	१९५२
८	जमुना खन्ड यच०यस०स्कूल, तपाल	१९५३
९	गांधी यच० यस० स्कूल, चन्दौस	१९५२
१०	शंकरानंद यच० यस० स्कूल, बिसवां	१९५२
११	आर्यन कल्चर यच० यस० स्कूल, रायपुर	१९४६
१२	रघुनन्दन यच० यस० स्कूल, छारा	१९५२
१३	आदर्श यच०यस०स्कूल, माहो	१९५३
१४	म्युनिसिपल बोर्ड यच० यस० स्कूल, अतरौली	१९५४
१५	जाटव यच० यस० स्कूल, अलीगढ	१९५५

संसद पुस्तकालय सभा

जिला अलीगढ़ के मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की सूची जिनको अभी अनुदान नहीं दिया जाता है :

क्रम-संख्या	स्कूल का नाम	मान्यता प्राप्त करने का समय
१	सुभाष जे०यच०स्कूल, सिकन्दरपुर	जुलाई १९५१
२	ग्राम शिक्षा समिति जे०यच० स्कूल, कासिमपुर	१९५२
३	जनता विद्यालय यच० स्कूल सिकतरा, निजामुदपुर	१९५२
४	किसान जे० यच० स्कूल, बुन्तसी	१९५४
५	कृषक जे० यच० स्कूल, विझारी	१९५२
६	गांधी स्मारक जे० यच० स्कूल भरतपुर, वेझरा	,, १९५२
७	आदर्श जे० यच० स्कूल, सरोल	१९५३
८	विजय विद्यालय जे० यच० स्कूल, ओछागढ़	१९५४
९	जे०यच० स्कूल, दिहुली	१९५२
१०	आदर्श जे० यच० स्कूल, बदायूं	१९५२
११	जे० यच० स्कूल, कोइल	१९५३
१२	जनता जे० यच० स्कूल, नगलापदम	१९५४
१३	चम्पा जे० यच० स्कूल, पाली	१९५२
१४	गान्धी जे० यच० स्कूल, चखताल	,, १९५५
१५	पटेल स्मारक जे० यच० स्कूल, जतारी	१९५२
१६	यच बी० के० के० विद्यालय जे० यच० स्कूल, हाथरस	१९५३
१७	कमला नेहरू जे० यच० स्कूल, संगरा	१९५२
१८	किशोर जे० यच० स्कूल, वीरपुर	१९५२
१९	ब्राह्मण जे० यच० स्कूल, हाथरस	१९५४
२०	जे० यच० स्कूल, अलीगढ़	१९५२
२१	सुषाष जे० यच० स्कूल, लेहरा	,, १९५४
२२	दौलत राम वार्षिनों जे० यच० स्कूल, हाथरस	१९५२
२३	लखन किसान जे० यच० स्कूल, झरोलीकलां	१९५२

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर ।)

उत्तर प्रदेश के जिला बोर्ड को १९५४–५५ में दिये गये आवर्तक तथा अनावर्तक अनुदानों की तालिका

क्रम-सं०	जिला बोर्ड का नाम	आवर्तक अनुदान	अनावर्तक अनुदान	योग ३+४	विवरण
१	देहरादून	३,५०,७४५	३५००	३५४२४५	
२	सहारनपुर	७,१७,६१९	९०००	७२६६१९	
३	मुजफरनगर	५३३०८३	५०२२	५३८१०५	
४	मेरठ	७८६३५४	११,०००	७९७३५४	
५	बुलन्दशहर	५४३२६९	१५,०००	५५८२६९	
६	अलीगढ़	६३३७११	२४,२००	६५७९११	
७	मथुरा	६१४५६०	७,०००	६२१५६०	
८	आगरा	६३२९३९	४,०००	६३६९३९	
९	मैनपुरी	५९३०७४	५,५००	५९८५७४	
१०	एटा	७२८६५४	७,०००	७३५६५४	
११	बरेली	५१६४११	६,०००	५२२४११	
१२	बिजनौर	७३९,६००	८,०००	७४७,६००	
१३	बदायूं	५७४७६६	५,०००	५७९७६६	
१४	मुरादाबाद	६२६१४३	६,०००	६३२१४३	
१५	शाहजहांपुर	६३५८६८	६,०००	६४१८६८	
१६	पीलीभीत	४६२६२०	५,०००	४६७६२०	
१७	फर्रूखाबाद	६,४५,३२९	६,०००	६,५१,३२९	
१८	इटावा	६,३६,१६५	४,५००	६,४०,६६५	
१९	कानपुर	७,२३,९५३	६,०००	७,२९,९५३	
२०	फतेहपुर	५,५७,४४१	६,०००	५,६३,४४१	
२१	इलाहाबाद	८,२९,१०९	४,०००	८,३३,१०९	
२२	बांदा	५,४७,०२२	७,०००	५५४०२२	
२३	हमीरपुर	५९२४९९	५,०००	५९७४९९	
२४	झांसी	५३१८३८	५,१९५	५३७०३३	
२५	जालौन	५४७००४	६,०००	५५३००४	
२६	बनारस	९२१२६२	१५,६४७	९३६९०९	
२७	मिर्जापुर	८८४०४४	८,९५७	८९३००१	
२८	जौनपुर	८५६३९३	६,२१६	८६२६०९	
२९	गाजीपुर	६०८८९२	३,२२७	६१२११९	
३०	बलिया	८०८६८९	७,०६५	८१५७५४	
३१	भदोही बनारस	१५७२४०		१५७२४०	
३२	गोरखपुर	९६५८५३	१०,०००	९७५८५३	
३३	बस्ती	८७१३५१	४,५००	८७५८५१	
३४	आजमगढ़	९४१०१४	७,०००	९४८०१४	
३५	देवरिया	८६१५२१	७,०००	८६८५२१	

क्रम सं०	जिला बोर्ड का नाम	आवर्तक अनुदान	अनावर्तक अनुदान	योग ३ + ४	विवरण
३६	नैनीताल	४३१४३१	६,०००	४३७४३१	
३७	अलमोड़ा	७३७४१०	८,६९७	७४६१०७	
३८	गढ़वाल	६९३५८७	७,७४४	७०१३३१	
३९	लखनऊ	४९०५३७	४,०००	४९४५३७	
४०	उन्नाव	६१३४१३	६,५००	६१९९१३	
४१	रायबरेली	६५११६९	६,५००	६५७६६९	
४२	सीतापुर	६७४११६	६५००	६८०६१६	
४३	हरदोई	७००७४०	८,०००	७०८७४०	
४४	खेरी	६१५४२३	८,०००	६२३४२३	
४५	फैजाबाद	७८१५०९	८,०००	७८९५०९	
४६	गोंडा	६७४९७८	६,०००	६८०९७८	
४७	बहराइच	६३४१९७	६,०००	६४०१९७	
४८	सुल्तानपुर	६१२८२५	६,६९५	६१९५२०	
४९	प्रतापगढ़	६८२८३५	६,०००	६८८८३५	
५०	बाराबंकी	५९१०६१	७,०००	५९८०६१	

सन् १९५४–५५ में हरिजन सहायक विभाग द्वारा जिला परिषदों को दिये गये अनुदानों की सूची :

क्रम-संख्या	जिला परिषद	अनुदान
		रु०
१	देहरादून	३,३७४
२	सहारनपुर	१५,३६८
३	मुजफ्फरनगर	२१,९६५
४	मेरठ	२३,२०८
५	बुलन्दशहर	११,२०८
६	अलीगढ़	२४,०१९
७	मथुरा	१३,२१२
८	आगरा	२०,३८६
९	मैनपुरी	१५,११९
१०	एटा	१४,६२५
११	बरेली	३,४७०
१२	बिजनौर	१४,१११
१३	बदायूं	१०,६९३
१४	मुरादाबाद	१०,१४२
१५	शाहजहांपुर	९,६७५
१६	पीलीभीत	७,९६७
१७	फर्रुखाबाद	१६,३५८
१८	इटावा	२३,७२६
१९	कानपुर	१६,१०१
२०	फतेहपुर	१२,०३२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जिला परिषद	अनुदान
		रु०
२१	इलाहबाद	२४,७३८
२२	झांसी	१२,६१०
२३	जालौन	१७,५०२
२४	हमीरपुर	१०,४७६
२५	बांदा	९,१९८
२६	बनारस	११,३३०
२७	मिर्जापुर	१४,४२६
२८	जौनपुर	२४,२००
२९	गाजीपुर	१२,७९०
३०	बलिया	१७,३८४
३१	गोरखपुर	१२,७४७
३२	बस्ती	३०,७४२
३३	आजमगढ़	३४,३९१
३४	देवरिया	२९,७०२
३५	नैनीताल	७,८७३
३६	अल्मोड़ा	१०,१९७
३७	गढ़वाल	९,१३५
३८	लखनऊ	२०,१०२
३९	उन्नाव	१३,५५५
४०	रायबरेली	१८,६१३
४१	सीतापुर	२१,३०४
४२	हरदोई	२१,८९५
४३	खीरी	१५,८३७
४४	फैजाबाद	२३,६६३
४५	गोंडा	६,५१३
४६	बहराइच	१३,८३०
४७	सुलतानपुर	९,२४७
४८	प्रतापगढ़	१४,९५८
४९	बाराबंकी	११,५२४
५०	भदोही बनारस सब बोर्ड	२,०५०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर।)

राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र गाजियाबाद (मेरठ) के कार्यों का विवरण

राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र गाजियाबाद (मेरठ) मई सन् १९५० में स्थापित किया गया था। इस केन्द्र में निम्नलिखित कार्य होते हैं:—

(१) चिकित्सा विभाग—में एक होमियोपैथिक औषधालय है जिसके द्वारा श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लोगों की नि:शुल्क चिकित्सा की जाती है। १९५४ में इस विभाग द्वारा १८,१२९ रोगियों की चिकित्सा की गई।

(२) स्त्रियों तथा बच्चों का विभाग—यह विभाग मुख्यतया श्रमिक स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। इस विभाग में एक परिचारिका और एक दाई नियुक्त है जो कि संभावित माताओं और रोगी बच्चों के स्वास्थ्य की देख-रेख करती है। प्रति-दिन कमजोर बच्चों सेवित व सम्भावित माताओं तथा अन्य रोगियों को इस विभाग द्वारा दुग्ध वितरित किया जाता है। इस केन्द्र में सन् १९५४ में २,१८६ सेर दुग्ध श्रमिक महिलाओं तथा बच्चों में वितरित किया गया।

इस विभाग में उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त प्रसव-पूर्व व प्रसव-पश्चात की माताओं की देख-रेख भी की जाती है और प्रसव के समय परिचारिका उनको नि:शुल्क सहायता देती है। इसके अतिरिक्त श्रमिक बच्चों के स्नान व मालिश की व्यवस्था भी की जाती है तथा बच्चों के स्वास्थ्य सुधार-हेतु कमरे के भीतरी व बाहरी खेलों का भी आयोजन प्रतिदिन किया जाता है। साथ ही समय-समय पर स्त्रियों के संगीत, भजन आदि के कार्यक्रम होते हैं। गत वर्ष इस विभाग द्वारा प्रसव से पूर्व १०५ श्रमिक महिलाओं की जांच की गई। ६१ प्रसव और प्रसवोपरांत के केस हुये, १,९४५ महिलाओं को बच्चों के लालन-पालन और निजी स्वास्थ्य इत्यादि के सम्बन्ध में सलाह दी गई। ७,९४५ बच्चों को स्नान तथा मालिश की गई, १२,५८१ बच्चों ने कमरे के भीतरी खेलों में भाग लिया और ८,३२१ शिशुओं ने बाहरी खेलों में भाग लिया।

(३) मनोरंजन तथा क्रीड़ा कार्य—श्रमहितकारी केन्द्र के इस विभाग द्वारा कमरे के भीतरी खेल एवं बाहरी खेल, संगीत-गोष्ठियां और अन्य मनोरंजन कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किये जाते हैं। सन् १९५४ में केंद्र के इस विभाग में उपस्थिति-संख्या १, ११, ७६५ थी।

(४) शैक्षणिक कार्य विभाग—केन्द्र का यह विभाग श्रमिकों को पुस्तकालय व वाचनालय के लाभ प्रस्तुत करता है। यहां पर श्रमिकों को पुस्तकें पढ़ने को दी जाती हैं तथा वाचनालय में दैनिक तथा मासिक समाचार-पत्रों के पढ़ने का प्रबन्ध है। इसके अतिरिक्त अनपढ़ श्रमिकों को केन्द्र के संचालक द्वारा समाचार पढ़कर सुनाये जाते हैं। इस विभाग द्वारा अनपढ़ वयस्क श्रमिकों को पढ़ाने की भी व्यवस्था की गई है, सन् १९५४ में इस विभाग से लगभग १०, ००० श्रमिकों ने लाभ उठाया।

(५) सिलाई विभाग:—यह विभाग श्रमिक महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की शिक्षा देता है। यहाँ पर श्रमिक महिलायें यह कार्य सीखने के अतिरिक्त अपने घरों के कपड़ों की भी सिलाई करती हैं। जो महिलायें केन्द्र के कपड़ों की सिलाई करती हैं उनको उनके कार्य करने का भुगतान किया जाता है। सन १९५४ में इस विभाग द्वारा १०९ महिलाओं और बालिकाओं को सिलाई का कार्य सिखलाया गया और आकस्मिक सीखने वाली महिलाओं की संख्या १४० थी।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६ पर)

जिला परिषद के नाम	खोले गये स्कूलों की संख्या
१ आगरा	२७
२ मैनपुरी	२३
३ बरेली	३५
४ मुरादाबाद	२३
५ शाहजहांपुर	२४
६ फर्रुखाबाद	२०
७ कानपुर	३१
८ इलाहाबाद	२७
९ बस्ती	४०
१० देवरिया	९
११ अल्मोड़ा	९
१२ पौड़ी-गढ़वाल	५२
१३ खीरी	३६
१४ हरदोई	४३
१५ गोंडा	५१
१६ भदोही	४९
१७ मिर्जापुर	१
योग ..	५००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ११० हल० ए०—१९५६-७९६ ।